

# सूचना का अधिकार अधिनियम

---

2005

धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) अनुसार जानकारी

---



---

## छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग

जिला – दुर्ग

के

क्रियाकलाप पर विवरण

---

---

दिनांक 01/10/2015 की स्थिति में

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की

### उप-धारा (1) के खण्ड (बी)

### छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी विभाग के क्रियाकलाप पर विवरण

#### **(01) संरचना, कार्य एवं कर्तव्य (Organisation, Functions and Duties) :-**

छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विभाग के द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित मदों से राजस्व प्राप्त होता है :—

(1) आबकारी

(2) मनोरंजनकर

**(a) जिला स्तरीय संरचना (Organisation) :-** जिला दुर्ग में आबकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत पद निम्नानुसर हैः—

क्र	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
(अ)	<b>प्रथम श्रेणी</b>				
1	सहायक आयुक्त आबकारी	01	<b>01</b>	-	<b>15600-39100</b>
(ब)	<b>द्वितीय श्रेणी</b>				
2	जिला आबकारी अधिकारी	01	<b>1+1 = 02</b> (1 परिविकाशीन))	+01	15600-39100
3	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	07	<b>09</b>	+02	<b>9300-34800</b>
(स)	<b>तृतीय श्रेणी कार्यपालिक</b>				
4	आबकारी उप निरीक्षक	14	<b>9+5 = 14</b> (5 परिविकाशीन)	-	<b>5200-20200</b>
5	मुख्य आरक्षक	07	<b>06</b>	-01	5200-20200
6	आरक्षक	40	<b>31</b>	-09	5200-20200
(द)	<b>तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय एवं अन्य</b>				
7	मुख्य लिपिक	01	-	-01	5200-20200
8	लेखापाल	01	<b>01</b>	-	5200-20200
9	सहायक ग्रेड-2	01	<b>02</b>	+01	5200-20200
10	सहायक ग्रेड-3	04	<b>04</b>	-	5200-20200
11	वाहन चालक	04	<b>04</b>	-	5200-20200
(इ)	<b>चतुर्थ श्रेणी</b>				
12	दफतरी	01	-	-01	<b>4750-7440</b>
13	भृत्य	12	<b>10</b>	-02	4750-7440
14	चौकीदार	01	-	-01	4750-7440
	योग	95	<b>84</b>	-11	

**(b) आबकारी विभाग का कार्य एवं कर्तव्य (Functions & Duties)** :— विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:—

1. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित नीति के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी कर आवेदन शुल्क, लायसेंस फीस एवं ड्यूटी के रूप में राजस्व अर्जित करना।
2. देशी/विदेशी मदिरा के थोक लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस के रूप में राजस्व अर्जित करना।
3. देशी/विदेशी मदिरा, निर्माण एवं बॉटलिंग हेतु लायसेंस देकर लायसेंस फीस एवं बॉटलिंग फीस अर्जित करना।
4. देशी/विदेशी मदिरा के आयात/निर्यात की स्वीकृति दी जाकर, आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।
5. देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग के फुटकर लायसेंसियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर शास्ति/संधानराशि आरोपित कर राजस्व अर्जित करना।
6. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृहों एवं वीडियो सेन्टर से मनोरंजन शुल्क प्राप्त करना, केबल आपरेटरों/होटल केबल/डी.टी.एच. आपरेटर से मनोरंजन शुल्क प्राप्त करना एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों से मनोरंजन शुल्क प्राप्त कर राजस्व अर्जित करना।
7. मेडीशनल एण्ड टायलेट प्रिप्रेशन नियम के अन्तर्गत लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस के रूप में राजस्व अर्जित करना।
8. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध मदिरा निर्माण, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय, अवैध धारण के प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी कर जाँच करने पर अपराधी के विरुद्ध कायम आपराधिक प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा लायसेंसी के विरुद्ध पाई गई विभागीय अनियमितताओं हेतु विभागीय प्रकरण दर्ज कर विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना।
9. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृहों, वीडियो सेन्टर एवं मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों, जिसमें मनोरंजन कर देय है, की जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर, विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना एवं न्यायालयीन प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना।

10. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस.) के अन्तर्गत मादक पदार्थों की अवैध खेती, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय एवं अवैध धारण की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी ली जाकर या जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।
11. विभाग में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915, छ.ग. मनोरंजनकर अधिनियम 1936 एवं एन.डी.पी.एस अधिनियम 1985 के अन्तर्गत होने वाले अपराधों पर उचित नियंत्रण रखकर आबकारी एवं मनोरंजन कर राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करना है।

**2. जिला स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारी के अधिकार एवं कर्तव्य :-** आबकारी विभाग में जिलास्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य पदवार निम्नानुसार हैं।

**(a) कलेक्टर (आबकारी)** :- जिला स्तर पर कलेक्टर आबकारी प्रशासन के प्रमुख हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :—

1. किसी—भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी—भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
2. देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी करने का अधिकार।
3. मादक पदार्थों के आयात, निर्यात एवं परिवहन हेतु पास जारी करने का अधिकार।
4. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय की दुकानों को लोक शांति हेतु निश्चित् समय के लिए बंद करने का अधिकार।
5. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय के लिए जारी किए गए लायसेंसों को निलंबित करने या निरस्त करने का अधिकार है।
6. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों के उल्लंघन पर दर्ज किए गए प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
7. 5 लीटर से अधिक देशी/विदेशी मदिरा अथवा किसी भी मदिरा के अवैध धारण/परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर मदिरा एवं वाहन को राजसात करने का अधिकार।

8. देशी/विदेशी मंदिरा एवं भांग दुकानों को उसी परिक्षेत्र (लोकेलिटी) में स्थानांतरित करने हेतु आदेश देने का अधिकार।
9. देशी/विदेशी मंदिरा के फुटकर विक्रय हेतु जारी लायसेंस के निरस्त होने या अवधि समाप्त होने पर उसमें शेष रहे स्कन्ध के निराकरण के अधिकार।
10. एफ.एल.1घ, एफ.एल.2, एफ.एल.3, एफ.एल.5, एफ.एल.5(क), एफ.एल.6, एफ.एल.7 एवं एफ.एल.8 लायसेंस जारी करने के अधिकार।
11. विदेशी मंदिरा के आयात एवं निर्यात करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
12. देशी/विदेशी मंदिरा के अधिक मार्गहानि के प्रकरणों में शास्ति आरोपित करने का अधिकार, जिसके लिए आबकारी आयुक्त द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया गया है।
13. भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंसों की नीलामी/टेण्डर की बोली/निविदा को अंतिम करने का अधिकार – भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंसों के लिए बोली/निविदा को रुपये 2.50 करोड़ तक स्वीकृत करने के अधिकार।
14. देशी/विदेशी मंदिरा के फुटकर लायसेंसों के लिए आवेदन प्रणाली में प्राप्त आवेदन पत्रों में से आवेदकों के कम्प्यूटर द्वारा सार्वजनिक लॉटरी से चयन हेतु जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष हैं।
15. जिला आबकारी सलाहकार समिति ‘नगरीय एवं ग्रामीण’ में पदेन अध्यक्ष हैं।
16. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृह स्वामियों द्वारा दर्शकों से लिए गए सेवाशुल्क के सही उपयोग की जाँच करने का अधिकार।
17. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
18. मनोरंजन गृह के लिए लायसेंस प्रदान करना तथा गंभीर त्रुटि पाये जाने पर लायसेंस को 3 माह तक की अवधि के लिए निलंबित या प्रतिसंहृत करने का अधिकार।
19. आबकारी मद में जमा राजस्व रुपये 5,000/- तक रिफण्ड देने का अधिकार।
20. स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रुपये 5,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
21. आबकारी राजस्व, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रुपये 10,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
22. जिला स्तर पर राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं आबकारी स्टाफ पर उचित नियंत्रण रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है।

**(b) सहायक आयुक्त आबकारी** :- छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायपुर में उपायुक्त आबकारी तथा राज्य के 6 जिलों में क्रमशः दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चौपा एवं रायगढ़ में सहायक आयुक्त आबकारी पदस्थ है। अतः इस जिले में सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय प्रमुख हैं एवं कार्यालय प्रमुख होने के नाते, कार्यालय प्रमुख को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे सभी अधिकार इन्हें प्राप्त हैं। उक्त के अतिरिक्त उन्हें अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :—

1. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु तलाशी लेने, जप्ती करने के अधिकार।
2. किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
3. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के अन्तर्गत लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी/वृत आबकारी उप-निरीक्षक द्वारा दर्ज किए गए प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार है।
4. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत केबल आपरेटरों को केबल सर्विस देने हेतु लायसेंस देने का अधिकार। केबल आपरेटर हेतु लायसेंस सी.टी.-1 एवं होटल/बासा हेतु सी.टी.-2 में लायसेंस प्रदान करने का अधिकार है।
5. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृहों, वीडियो सेन्टर एवं अन्य मनोरंजन के कार्यक्रमों, जिस पर मनोरंजन कर देय है, के निरीक्षण एवं अनियमितताएं पाई जाने पर प्रकरण दर्ज करने का अधिकार है।
6. सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं वृत आबकारी उप-निरीक्षक द्वारा मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
7. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
8. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
9. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।
10. जिला स्तर पर राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं आबकारी स्टाफ पर उचित नियंत्रण रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। साथ-ही आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी एवं कलेक्टर द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

**(c) सहायक जिला आबकारी अधिकारी** :— जिले में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं। इस जिले में वर्तमान में पांच मण्डल क्रमशः दुर्ग पूर्व, पश्चिम, भिलाई-1, 3 एवं धमधा संचालित हैं जहां पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ है।

1. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृहों, वीडियो सेन्टर एवं मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों, जिस पर मनोरंजन कर देय हो, का निरीक्षण करना एवं पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार है।
2. एन.डी.पी.एस. एकट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
3. एन.डी.पी.एस. एकट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
4. एन.डी.पी.एस. एकट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।
5. जिला स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं छविगृहों पर उचित नियंत्रण रखना एवं आबकारी अपराधों की रोकथाम करना इनका मुख्य कर्तव्य है। साथ-ही कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त आबकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

**(d) मद्यभाण्डागार अधिकारी** :— जिला दुर्ग में वर्तमान में एक मद्यभाण्डागार भिलाई में संचालित है जहां पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक की मद्यभाण्डागार अधिकारी के रूप में पदस्थापना की गई है। दिनांक 01.04.2006 से उक्त भाण्डागार में देशी मदिरा भराई नहीं की जाती है एवं वर्तमान प्रदायकर्ता आसवक मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट लिमि. खपरी कुम्हारी जिला दुर्ग द्वारा आसवनी में ही देशी मदिरा की निर्धारित गुणवत्ता अनुसार भराई की जाकर जिले के मद्यभाण्डागार तक आपूर्ति की जाती है जहां पर से मद्यभाण्डागार अधिकारी द्वारा फुटकर लायसेंसियों को प्रदाय किया जाता है। अतः भरी बोतलों की आमद एवं प्रदाय करना, लायसेंस फीस, ड्यूटी राशि, अधिभार व टी.डी.एस. राशि एकत्रित करना तथा संपूर्ण मद्यभाण्डागार पर नियंत्रण स्थापित करना मद्यभाण्डागार अधिकारी का अधिकार होता है।

**(e) वृत आबकारी उप–निरीक्षक** :- जिले में आबकारी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वृत है। इस जिले के आबकारी वृतों में आबकारी उप–निरीक्षक एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ हैं। वृतों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं। इसके आलावा निम्नलिखित अधिकार हैं:-

1. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृहों, वीडियो सेन्टर एवं मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों, जिस पर मनोरंजन कर देय हो, का निरीक्षण करना एवं पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार है।
2. वृत में पंजीबद्ध किए गए न्यायालयीन प्रकरणों में सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान वृत आबकारी उप–निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।
3. वृत स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं छविगृहों पर कुशल नियंत्रण रखना, आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका मुख्य कर्तव्य है। कलेक्टर, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

**(f) आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक** :- जिले के आबकारी वृतों में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु पदस्थ रहते हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पास या अनुज्ञा प्रस्तुत करने की मांग करने एवं सार्वजनिक स्थान पर तलाशी लेने का अधिकार है। आबकारी उप–निरीक्षक के साथ उपलंभन कार्य, गश्त कार्य एवं आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका प्रमुख दायित्व है।

**(g) कार्यालयीन कर्मचारी** :- जिला कार्यालयों में कार्यरत रहते हुए, जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्य संपादन हेतु प्रमुख रूप से निम्नांकित शाखाएँ जिला कार्यालयों में निर्मित हैं, जिनमें परिवर्तन का अधिकार कार्यालय प्रमुख में निहित है। प्रत्येक शाखा का प्रभारी कर्मचारी अपनी शाखा से संबंधित कार्यों के सम्पादन एवं अधीनस्थ पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है :-

- (1) स्थापना एवं गोपनीय शाखा
- (2) लेखा, बजट, आडिट व पेंशन शाखा
- (3) ठेका एवं आसवनी शाखा

- (4) मनोरंजनकर शाखा
- (5) स्टोर्स, स्टेशनरी एवं रिकार्ड रूम शाखा
- (6) पत्रों की आवक—जावक शाखा

**(3) निर्णय, प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली, सनियंत्रण एवं**

**जबाबदेही की व्यवस्था (The Procedure Followed In The Decision Making Process, Including Channels Of Supervision And Accountability)** :—

आबकारी विभाग के अन्तर्गत जिन प्रकरणों में स्वीकृति देने का अधिकार आबकारी आयुक्त का होता है— जैसे विदेशी मदिरा विक्रय के थोक लायसेंस जारी करना, एफएल.4 व एफ.एल.4क लायसेंस जारी करना, देशी/विदेशी मदिरा के आयात व निर्यात के सम्बन्ध में स्वीकृति देना एवं विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन भत्ते, अवकाश, विभागीय जाँच, शास्ति आदि से संबंधित ऐसे प्रकरणों में आबकारी आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित शाखा द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में टीप दी जाती है, जिसमें संबंधित शाखा के प्रभारी उपायुक्त/अपर आयुक्त आबकारी द्वारा अपनी टीप/अभिमत के साथ नस्ती आबकारी आयुक्त को आदेशार्थ भेजी जाती है। आबकारी आयुक्त द्वारा इसमें यथास्थिति आदेश दिए जाते हैं।

ऐसे प्रकरण, जिनमें शासन की स्वीकृति /अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जैसे—विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाईयों के लायसेंस स्वीकृति व नवीनीकरण, स्प्रिट के विनिर्माण हेतु आसवनी लायसेंस देने या नवीनीकरण करने, देशी मदिरा के प्रदाय हेतु लायसेंस देने, आगामी वर्ष के लिए देशी/विदेशी मदिरा की नीति निर्धारित करने (जिसमें कोई विशेष परिवर्तन न हो), होलोग्राम प्रदाय आदेश देने सम्बन्धी, देशी/विदेशी मदिरा के न्यूनतम विक्रय दर निर्धारित करने सम्बन्धी, मनोरंजनकर में छूट देने सम्बन्धी, नियमों में संशोधन सम्बन्धी प्रकरण, अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि से सम्बन्धित प्रकरणों में आबकारी आयुक्त के सम्बन्धित शाखा से नस्ती तैयार कर प्रभारी उपायुक्त आबकारी/अपर आयुक्त आबकारी के द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है। आबकारी आयुक्त अपने अभिमत सहित सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को नस्ती भेजते हैं। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को भेजते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर शासन की ओर से आदेश छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के उप—सचिव या अवर सचिव द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में जिन—जिन अधिकारियों द्वारा जो टीप दी गई, उसके लिए वे उत्तरदायी हैं।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आसव के उत्पादन हेतु आसवनी स्थापित करने, विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई स्थापित करते हेतु आशय—पत्र/लायसेंस देने सम्बन्धी, आबकारी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के सम्बन्ध में, आबकारी अधिनियम, मनोरंजनकर अधिनियम आदि में संशोधन करने सम्बन्धी प्रकरणों में, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शास्ति देने या पद से हटाने आदि से सम्बन्धित प्रकरणों, जिसमें निर्णय मंत्री मण्डलीय उप—समिति/मंत्री मण्डल द्वारा लिया जाता होता है, ऐसे प्रकरणों में आबकारी आयुक्त कार्यालय के शाखा प्रभारी उपायुक्त आबकारी/अपर आयुक्त आबकारी द्वारा नस्ती आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है। आबकारी आयुक्त द्वारा नस्ती अपने अभिमत सहित सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को भेजते हैं। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग कुछ प्रकरणों, जिसमें आवश्यक समझते हैं, विधि और विधायी कार्य विभाग से परामर्श भी लेते हैं, तत्पश्चात् सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग अपने अभिमत सहित, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को भेजते हैं। मंत्री जी के अनुमोदन पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण मंत्री मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में मंत्री मण्डल द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, उस पर उप—सचिव या अवर सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिन प्रकरणों में मंत्री मण्डलीय उप—समिति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंत्री मण्डलीय उप—समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री मण्डलीय उप—समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस पर सचिवालय स्तर पर उप—सचिव/अवर सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में जिस अधिकारी के द्वारा जो मत/टीप दी जाती है, वे उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, परन्तु संबंधित प्रकरण में लिया गया अन्तिम निर्णय सामूहिक उत्तरदायित्व का होता है।

विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों में लिये जाने वाले निर्णय के लिए प्रक्रिया में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली, सनियंत्रण एवं जबाबदेही की व्यवस्था निम्नानुसार है :—

(1) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया :— इच्छुक आवेदनकर्ता वर्ष 2015—16 के लिए आवेदन प्रणाली में आबंटित की जाने वाली देशी/विदेशी मदिरा के समूह में समिलित फुटकर दुंकान/दुकानों की सूची वर्षिक निर्धारित न्युनतम प्रत्याभूत की मात्रा, वार्षिक डयूटी की राशि, वार्षिक लायसेंस फीस की

राशि, वार्षिक मूल्य, निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 वे भाग के बराबर धनराशि एवं वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12 वे भाग के बराबर प्रतिभूति की धनराशि एवं 1 माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि व समूह के लिये निर्धारित प्रोसेस फीस आदि की जानकारी दुर्ग जिले के कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आबकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार/नगर निगम/नगर पालिका के कार्यालय एवं इसके अतिरिक्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड्डनदस्ता एवं छ.ग. बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी तथा आबकारी विभाग के वेबसाइट <http://excise.cg.nic.in> पर भी उपलब्ध है ।

देशी/विदेशी मदिरा समूह का आवंटन होने पर संबंधित समूह के लिए निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में आवेदक को अपने चयन की सूचना प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। साथ—ही माह अप्रैल की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च तक नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि दिनांक 30 अप्रैल तक जमा करना अनिवार्य होगा, जो नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से जारी बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकती है। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए जिलों में बनाए गए समूहों के लिए निर्धारित वार्षिक राजस्व, निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा, निर्धारित प्रोसेस फीस की राशि, निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (ड्यूटी एवं लायसेंस फीस) तथा माह अप्रैल की निर्धारित लायसेंस फीस आदि की जानकारी जिलों से जारी होने वाली विज्ञप्ति में दिया जाता है। उक्त जानकारी के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रदेश स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के साथ—साथ कलेक्टर। राज्य के समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी/ एवं जिले के अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नगर निगम /नगरपालिका आदि के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी सर्व साधारण की जानकारी के लिए चर्चा कराई जाती है। उक्त संबंध में इस आवंटन की कार्यवाही के लिए नियमों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति गठित है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं तथा सचिव सहायक आयुक्त आबकारी हैं। उपरोक्त संबंध में और अन्य जानकारी के लिए जिले के सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों एवं कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

### **(क) निर्धारित प्रोसेस फीस :–**

किसी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर दुकानों/समूहों की अनुज्ञाप्ति हेतु आवेदन प्रणाली में आबंटन करने के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं के द्वारा ऑन-लाईन किये जाने वाले निर्धारित आवेदन के साथ प्रोसेस फीस रुपये 5000/- ई-पेमेंट के माध्यम से जमा की जावेगी। प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञाप्ति स्वीकृत न होने पर वापसी योग्य होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति 581, दिनांक 10.02.2015 की कंडिका-1 (iii) में दी गई है।

**(ख) समूह के आवंटन के लिए आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें :–** देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की पात्रता के लिए आवेदकों को यथासंशोधित छ.ग. व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम 9 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें पूरी करना होगा :–

#### **(क)**

- (1) भारत का नागरिक हो।
- (2) 21 वर्ष से अधिक आयु हो।
- (3) आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो। इन नियमों के नियम 13 के अधीन व्यतीक्रमी सूची में सम्मिलित न हो।
- (4) आवेदक को दुकान/समूह आबंटित होने पर आपत्तिरहित स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त स्थान रखता हो या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता हो।
- (5) आवेदक का नैतिक चरित्र अच्छा हो, और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो तथा उसको आबकारी अधिनियम, 1915 या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित न किया गया हो।
- (6) आवेदनकर्ता के अनुज्ञाप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है।

(7) आवेदक के अनुज्ञाप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

(8) आवेदनकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय न हो।

(9) आवेदक आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी लेखा संख्या (**Permanent Account Number**) धारित करता हो।

(ख) इस नियम के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) से (9) तक की शर्तों के प्रमाण स्वरूप आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ-ही विहित प्रारूप में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र एवं पैन नंबर की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

**स्पष्टीकरण:-** शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर अथवा कोर्ट फीस टिकट/एडहेसिव टिकट का उपयोग कर अथवा फ्रैंकिंग विधि से तैयार किया जा सकता है।

(ग) देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिए अनुज्ञाप्ति :- जिलों में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए अनुज्ञाप्तियाँ कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए जारी की जाती हैं। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए प्ररूप सी.एस.2घ एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए प्ररूप एफ.एल.1घ में अनुज्ञाप्ति दी जाती है।

(घ) उप-दुकान/दुकानों के लिए निर्धारित मापदण्ड :- समूह में सम्मिलित देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए उप-दुकानें (प्रति एक देशी मदिरा दुकान के लिए एक उप-दुकान) देने के प्रावधान भी हैं, जिसके लिए उप-दुकान की अनुज्ञाप्ति प्ररूप सी.एस.2घ में जारी की जाती है। देशी मदिरा दुकानों के लिए उप-दुकानों हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं वार्षिक लायसेंस फीस निम्नानुसार है :—

(1) किसी-भी जिले में स्वीकृति की जाने वाली उप-दुकान से उसके समीपस्थ क्षेत्र की अन्य देशी/विदेशी मदिरा दुकान अथवा पड़ोसी जिले में स्थित दुकान का राजस्व प्रभावित नहीं होना चाहिए।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में उप-दुकान देशी मदिरा की मुख्य दुकान से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर, किन्तु 8 कि.मी. की परिधि के अन्दर स्थित होगी, जिसमें यह प्रतिबंध होगा कि मुख्य दुकान से स्वीकृति की जाने वाली उप-दुकान के मध्य जितनी दूरी होगी, उससे अधिक दूरी समीपवर्ती अन्य दुकान की होना चाहिए।

- (3) किसी—भी जिले में स्वीकृति की जाने वाली उप—दुकान उसके समीपस्थ जिले की सीमा से 5 कि.मी. के अन्दर स्थित नहीं की जा सकेगी।
- (4) शहरी क्षेत्र में उप—दुकान मुख्य दुकान से सामान्यतः 1 कि.मी. की परिधि के अंदर होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदण्ड यह होगा कि, स्वीकृति की जाने वाली उप—दुकान से पड़ौसी मदिरा दुकान की बिक्री किसी—भी प्रकार से प्रभावित न हो।
- (5) अनूसूचित क्षेत्रों में ऐसे किसी—भी स्थल पर उप—दुकान खोलने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 61—ड की उप—धारा (2) के अन्तर्गत संबंधित ग्राम सभा की सहमति अथवा अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है।

**(ङ) उप—दुकान के लिए निर्धारित लायसेंस फीस** :- उपदुकानों के लिये निर्धारित लायसेंस फीस निम्नानुसार है:-

क्रमांक	क्षेत्र	निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस
1.	<b>ग्रामीण क्षेत्र में</b> (देशी मदिरा की मुख्य दुकान से 5 कि.मी. की परिधि के बाहर, किन्तु अधिकतम सीमा 8 कि.मी. तक)	रुपये 3,00,000/-
2.	<b>नगरीय क्षेत्र में</b> (देशी मदिरा की मुख्य दुकान से 1 कि.मी. की परिधि तक)	रुपये 6,00,000/-

टीप— किन्तु वर्ष 2007—08 से राज्य शासन के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2015—16 के लिये भी देशी मदिरा की उपदुकान स्वीकृत नहीं की जाएगी।

**(2) भांग,भांग घोंटा एवं भांग मिठाई की फुटकर दुकानों के ठेकों की प्रक्रिया** :- जिले में स्थित भांग एवं भांग मिठाई की फुटकर दुकानों को प्रतिवर्ष माह फरवरी—मार्च में नीलाम द्वारा (बोली/निविदा) दिया जाता है, जिसके ठेके की अवधि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक रहती है। इन ठेकों का नीलाम कलेक्टर द्वारा किया जाता है। भांग से संबंधित दुकानों के नीलाम के लिए शासन द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के साथ—ही सर्व साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए कार्यालय के

नोटिस बोर्ड पर भी चर्चा किया जाता है। नीलाम में भाग लेने वाले बोलीदारों/निविदाताओं को नीलाम स्थल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क रुपये 500/- निर्धारित है, जिसमें मुख्य बोलीदार एवं उसका एक सहायक प्रवेश कर सकता है। बोली/निविदा देने के पूर्व घोषित आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत भाग अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होता है तथा इस अर्नेस्टमनी के विरुद्ध वह 10 गुना तक बोली दे सकता है। उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर सफल बोलीदार/निविदादाता के पक्ष में नीलाम/निविदा अंतिम किए जाने पर, सफल बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/6 भाग नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में नीलाम के तुरन्त बाद जमा करना अनिवार्य है, जिसमें अर्नेस्टमनी की राशि समायोजन योग्य होती है। उच्चतम बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/12 भाग प्रतिभूति के रूप में नीलाम के 3 दिवस के भीतर नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से जारी बैंक गारंटी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है। भांग का प्रदाय संबंधित जिले के मद्य भांडागार से निर्धारित ड्यूटी दर चुकाकर, भांग का प्रदाय लिया जा सकता है। भांग की फुटकर दुकानों के लिए ड्यूटी दर रुपये 100/- प्रति किलोग्राम निर्धारित है। भांग की अनुज्ञाप्ति कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप एच.डी. 7 में जारी की जाती है।

**(3) अन्य अनुज्ञाप्तियाँ एवं जारी करने की प्रक्रिया** :— उपरोक्त के अलावा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले अन्य अनुज्ञाप्तियों के प्रकार एवं स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

**(1) एफ.एल.2 रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञाप्ति** :— रेस्टोरेन्ट में बीयर बार के लिए प्ररूप एफ.एल.2 में अनुज्ञाप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। एफ.एल.2 रेस्टोरेन्ट बार, जिस स्थान पर खोला जाना है, यदि संबंधित स्थल नियमों के अन्तर्गत आपत्तिजनक है अथवा ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस हैं, तो ऐसे प्रकरणों में कलेक्टर की अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा नियमों में अथवा जनसंख्या संबंधी निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। इस अनुज्ञाप्ति के अन्तर्गत रेस्टोरेन्ट बार में लायसेंसी द्वारा आगन्तुकों या ग्राहकों को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ अनुज्ञाप्त परिसर में उपभोग हेतु केवल बीयर का विक्रय किया जा सकता है। एफ.एल.2 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 2 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घ दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (केवल बीयर) अभिप्राप्त कर

सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 100/- निर्धारित है। इस लायसेंस के अन्तर्गत किसी-भी समय बीयर की 780 बोतल से अधिक का स्टाक नहीं रखा जा सकता है। इस लायसेंस के लिए लायसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित है :—

क्रमांक	मापदण्ड	वर्तमान वर्ष 2015–16 में वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 4,50,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 6,50,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 8,50,000

(2) एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञाप्ति :— होटल में विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए प्ररूप एफ.एल.3 में अनुज्ञाप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। एफ.एल.3 होटल बार, जिस स्थान पर खोला जाना है, यदि संबंधित स्थल नियमों के अन्तर्गत आपत्तिजनक है अथवा ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस हैं, तो ऐसे प्रकरणों में कलेक्टर की अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा नियमों में अथवा जनसंख्या संबंधी निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। इस अनुज्ञाप्ति के अन्तर्गत होटल के निवासियों, उनके अतिथियों एवं आगन्तुकों को उनके स्वयं के उपयोग हेतु अनुज्ञाप्त परिसर में भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञाप्ति के लिए होटल में न्यूनतम 10 कमरे होना आवश्यक है। एफ.एल.3 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 2 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घ दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 200/- निर्धारित है। इस लायसेंस के अन्तर्गत किसी-भी समय विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की 420 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 660 बोतल से अधिक का स्टाक नहीं रखा जा सकता है। इस लायसेंस के लिए लायसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित है :—

क्रमांक	मापदण्ड	वर्तमान वर्ष 2015–16 में वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 10,50,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 15,00,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 20,00,000

(3) **एफ.एल.4 अव्यवसायिक क्लब अनुज्ञाप्ति (असैनिक विनोद गृह)** :- विनोद गृह (क्लब), जो अव्यवसायिक हो, में क्लब के वास्तविक सदस्यों या उनके अतिथियों को अनुज्ञाप्त परिसर में विदेशी मदिरा के उपभोग के लिए प्ररूप एफ.एल.4 में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञाप्ति जारी की जाती है। एफ.एल.4 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 2 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घ दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 200/- निर्धारित है। इस अनुज्ञाप्ति के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1,00,000/- वर्तमान में निर्धारित है।

(4) **एफ.एल.4क व्यवसायिक क्लब अनुज्ञाप्ति** :-व्यवसायिक क्लब लायसेंस किसी ऐसे कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान को आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी, जिसके पास निम्न सूचीबद्ध सुविधाओं में से कम से कम पाँच सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिनमें सुविधा क्रमांक (अ-1) एवं (अ-2) का होना आवश्यक है –

#### (अ-1) तरण ताल

- (अ-2) व्यायाम शाला, जिसमें शारीरिक व्यायाम हेतु कम-से-कम 12 आइटम हो।
- (अ-3) बैडमिन्टन हॉल
- (अ-4) विलियर्ड्स/पुल टेबल
- (अ-5) टेबल-टेनिस
- (अ-6) स्कॉर्च कोर्ट
- (अ-7) कार्ड्स रूम
- (अ-8) लान टेनिस कोर्ट

उक्त लायसेंस के अन्तर्गत अनुज्ञाप्त परिसर में विदेशी मदिरा को अधिपत्य में रख सकेगा एवं वहाँ पर इसे क्लब के सदस्यों एवं उनके वास्तविक अतिथियों को, यदि क्लब का संबंधित सदस्य उसके साथ है, विक्रय कर सकेगा। एफ.एल.4क का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 3 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घ दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 200/- निर्धारित है। इस लायसेंस के लिए वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्रमांक	मापदण्ड	वर्तमान वर्ष 2015–16 में वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 5,40,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 7,50,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 10,00,000

(5) – (अ) एफ.एल.5 प्रासंगिक अनुज्ञाप्ति :– यह अनुज्ञाप्ति नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थाई प्रकृति में लोक मनोरंजन के अवसर पर अनुज्ञाप्ति से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों में विदेशी मंदिरा रख सकेगा और विक्रय कर सकेगा इस हेतु अनुज्ञाप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारी विदेशी मंदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1घ अनुज्ञाप्तिधारियों से करेगा, जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। इस अनुज्ञाप्ति के लिए लायसेंस फीस रुपये 10000/- प्रतिदिन निर्धारित है।

(ब) एफ.एल.5-क (मंदिरा के उपभोग के लिए प्रासंगिक अनुमति) “ – एफ.एल.5-क का अनुज्ञाप्तिधारक, नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थायी प्रकृति के लोक मनोरंजन के अवसर पर अनुज्ञाप्ति से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों में विदेशी मंदिरा रख सकेगा और उपभोग कर सकेगा” इस हेतु अनुज्ञाप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारी विदेशी मंदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1घ अनुज्ञाप्तिधारियों से करेगा, जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। इस अनुज्ञाप्ति के लिए लायसेंस फीस रुपये 10000/- प्रतिदिन निर्धारित है।

(6) एफ.एल.6 सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञाप्ति :– सैनिक केन्टीन का एफ.एल.6 अनुज्ञाप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारक विदेशी मंदिरा रख सकेगा और एफ.एल.7 या एफ.एल.8 के अनुज्ञाप्तिधारकों को थोक विक्रय कर सकेगा। अनुज्ञाप्तिधारी या तो एफ.एल.9, एफ.एल.9क या एफ.एल.10क अनुज्ञाप्तिधारक से क्रय करके अथवा आयात करके अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10000/- निर्धारित है।

(7) एफ.एल.7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञाप्ति :– सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल, इण्डो तिब्बत सीमा-पुलिस, केन्द्रीय आद्योगिक सुरक्षा बल या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई पैरा मिलिट्री बल से अनुमोदित एवं सम्बद्ध सैनिक केन्टीन का एफ.एल.7 अनुज्ञाप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञाप्तिधारक विदेशी मंदिरा रख सकेगा और

एफ.एल.8 के अनुज्ञप्तिधारक को अथवा वास्तविक रक्षा एवं पुलिस कर्मियों को जो सुसंगत विनियमों के अधीन सम्यक् रूप से ऐसे केन्टीनों से ऐसा क्रय करने हेतु प्राधिकृत हो, विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। विक्रय सीलबंद बोतलों में किया जायेगा। परिसर में उपभोग किया जाना निषिद्ध होगा। अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपना स्टाक प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1000/- निर्धारित है।

(8) एफ.एल.8 सैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति :— एफ.एल.8 में सैनिक विनोद गृह के लिए अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक सेना अथवा पैरा मिलिट्री कर्मियों के लिए चलाए जा रहे विनोद गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) में उक्त विनोद गृह अथवा भोजनालय के वास्तविक सदस्यों अथवा उनके अतिथियों को अनुज्ञाप्त परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा रख सकेगा और विक्रय कर सकेगा तथा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारक एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1000/- निर्धारित है।

(9) एफ.एल.9 बोतल भराई अनुज्ञप्ति—बॉटलिंग लायसेंस :— एफ.एल.9 में अनुज्ञप्ति शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक, जिसे विदेशी मदिरा की बोतल भराई की मंजूरी है, स्प्रिट को सम्मिश्रित और तेजी कम करके विदेशी मदिरा का विनिर्माण और बोतल भराई कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारक अन्य राज्यों के अनुज्ञप्तिधारकों को सम्मिलित करते हुए एफ.एल.6 और एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारकों को विदेशी मदिरा का अंतरण एवं विक्रय कर सकेगा। बोतल भराई के लिए फीस रुपये 2/- प्रति प्रूली निर्धारित है, जिसका संदाय अनुज्ञप्तिधारक करेगा। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 7,00,000/- निर्धारित है। विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. का प्रदाय राज्य में स्थित आसवनियों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए परिवहन फीस रुपये 200/- प्रति परमिट निर्धारित है। ई.एन.ए. का आयात राज्य के बाहर अन्य राज्यों से भी किया जा सकता है, जिसके लिए आयात फीस रुपये 3.00 प्रति बल्कलीटर निर्धारित है। अनुज्ञप्तिधारक केवल उन्हीं ब्राण्ड/लेबलों की विदेशी मदिरा की भराई कर सकता है, जिनके लेबल/लेबलों (नामपत्र/नामपत्रों) को नियम 9 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया हो। विदेशी मदिरा के प्रत्येक लेबल (नामपत्र) के लिए पंजीयन शुल्क रुपये 10000/- निर्धारित है।

(10) एफ.एल.9 के विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति :- यह अनुज्ञप्ति, ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी को शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी, जिसे विदेशी मंदिरा के ऐसे विनिर्दिष्ट लेबलों अथवा ब्राण्डों के स्वामी द्वारा उन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मंदिरा की बोतल भराई के लिए विशेषाधिकार दिया गया है अथवा प्राधिकृत किया गया हो, जिन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मंदिरा का विनिर्माण संबंधित एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी को उनके संबंध में विशेषाधिकार दिए जाने के समय अथवा पूर्व में छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी किया जा रहा है अथवा किया गया हो। यह अनुज्ञप्ति ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी लिया जाना आवश्यक होगा, जो उसके स्वयं के स्वामित्व की ऐसी लेबलों/ब्राण्डों की विदेशी मंदिरा का विनिर्माण करना चाहता हो, जिनकी विदेशी मंदिरा का विनिर्माण पूर्व से ही छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी किया गया हो अथवा किया जा रहा हो। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 2,00,000/- प्रति फैंचाईसी निर्धारित है।

(11) एफ.एल.10 विनिर्माणकर्ता की वितरण अनुज्ञप्ति (थोक विक्रय अनुज्ञप्ति) :- यह अनुज्ञप्ति आबकारी आयुक्त द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लिए दी जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मंदिरा के केवल उन ब्राण्डों तथा लेबिलों का क्रय तथा भण्डारण कर सकेगा, जो नियम 9 के अन्तर्गत पंजीकृत हो। अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.9, एफ.एल.9क और बी-1-क के अनुज्ञप्तिधारी से अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर इसी प्रकार के अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी मंदिरा का क्रय/अंतरण कर सकेगा, जो उनके द्वारा निर्मित/बॉटलिंग की गई हो। एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए एवं भण्डारण किये गये विदेशी मंदिरा स्टाक को प्रदेश के किसी-भी एफ.एल.1क, एफ.एल.1कक, एफ.एल.1ककक, एफ.एल.1घ, एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारी को विक्रित किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुविधानुसार एक से अधिक स्थानों/जिलों में विदेशी मंदिरा भण्डारण एवं विक्रय कर सकेगा। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) निर्धारित है।

(12) स्प्रिट के विनिर्माण (पेय प्रासव उत्पादन) हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत आसवनी में स्प्रिट उत्पादन के लिए डिस्टिलरी की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार आसवनी का संनिर्माण तथा कार्य करने के लिए आशयित व्यक्ति, अपनी स्कीम प्ररूप डी (ए) में अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रुपये 10000/- शासन कोष में जमा कर, चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना

आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान होने पर राज्य शासन द्वारा प्ररूप डी (बी) में आशय पत्र जारी किया जावेगा, जो जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक की कालावधि के लिए वैद्य रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, संसूचित किया गया आशय पत्र अनुज्ञाप्ति मंजूर करने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है तथा वह किसी भी समय धारक को कारण बताओ सूचना पत्र देने के पश्चात् और सुनवाई के उपरांत लोकहित में प्रतिसंहरण एवं प्रत्याहरण किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित को हुई हानि के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। उक्त कालावधि के दौरान भवन की योजना (प्लान) तथा नक्शे के अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ सरकार द्वारा जारी किए गए आशय पत्र की प्रति, प्रस्तावित आसवनी की परियोजना रिपोर्ट के साथ आसवनी भवन की योजना तथा नक्शा, छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी अनापति प्रमाण पत्र की प्रति, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन मुख्य कारखाना निरीक्षक के अनापति प्रमाण पत्र की प्रति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। नक्शा अनुमोदन के पश्चात् आसवनी के लिए भवन का संनिर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जावेगी। यदि आशय पत्र की मंजूरी तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर भवन का संनिर्माण करने में असफल रहने की दशा में किसी भी नुकसानी तथा हानि के प्रतिकर के बिना आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है, परन्तु आबकारी आयुक्त को समाधान होने पर कि दो वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण हैं, तो ऐसे कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आशय पत्र की अवधि में वृद्धि की जा सकती है, जो एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी। आसवनी के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा हो जाने पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए पाँच वर्ष की कालावधि के लिए रुपये 10,00,000/- वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का संदाय करने पर प्ररूप डी-1 में स्पिरिट के विनिर्माण के लिए अनुज्ञाप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञाप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञाप्तिधारी प्ररूप डी-1 में मंजूर की गई अनुज्ञाप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा उक्त अनुज्ञाप्ति के कार्यकरण के लिए किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है।

**(13) विदेशी मदिरा बॉटलिंग यूनिट हेतु अनुज्ञाप्ति 9 एवं 9(क) स्वीकृति की**

**प्रक्रिया** :— छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 3 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के निर्माण एवं चलाने के लिए आशयित व्यक्ति समस्त सुसंगत ब्यौरे देते हुए अपनी स्कीम अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रुपये 10000/- शासन कोष में जमा कर, चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान होने पर राज्य शासन द्वारा आशय पत्र जारी किया जावेगा, जो जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए वैद्य रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, संसूचित किया गया आशय पत्र अनुज्ञाप्ति मंजूर करने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है तथा वह किसी भी समय धारक को कारण बताओ सूचना पत्र देने के पश्चात् और सुनवाई के उपरांत लोकहित में प्रतिसंहरण एवं प्रत्याहरण किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित को हुई क्षति या हानि के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा तथा आशय पत्र का धारक “आशय पत्र” का विक्रय, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा उक्त आशय पत्र के अनुसरण में विनिर्माण इकाई या बोतल भराई इकाई से संनिर्मित करने या चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ठहराव नहीं कर सकता है। उक्त कालावधि के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ सरकार द्वारा जारी किए गए आशय पत्र की प्रति, विनिर्माण भवन के मानचित्र, संयंत्र और मशीनरी के साथ प्रस्तावित विनिर्माण इकाई (मैन्यूफैक्चरी) की परियोजना रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य कोई प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकार-पत्र या निर्बन्धन-पत्र की प्रति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मानचित्र अनुमोदन के पश्चात् विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जावेगी। यदि आशय पत्र की मंजूरी तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र व मशीनरी की स्थापना करने में असफल रहने की दशा में किसी भी क्षति अथवा हानि की क्षतिपूर्ति के बिना आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है, परन्तु

आबकारी आयुक्त को समाधान होने पर कि एक वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण हैं, तो ऐसे कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आशय पत्र की अवधि में वृद्धि की जा सकती है, जो आबकारी आयुक्त के विवेक पर निर्भर करेगी। विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा जाने पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रूपये 7,00,000/- वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप एफ.एल.9 में तथा रूपये 200000/- वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का संदाय पर एक वर्ष की कालावधि के लिए एफ.एल.9क में अनुज्ञाप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञाप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञाप्तिधारी इस अनुज्ञाप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो वह अनुज्ञाप्ति पर दर्ज की जावेगी।

(14) **बीयर निर्माण अनुज्ञाप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया** :— छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970 के नियम 3 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में यवासवनी स्थापित करना या चलाना चाहता हो, उसके लिए लायसेंस प्राप्त करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को आवेदन प्रपत्र ख-1 में कर सकता है। यदि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवेदक द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। लायसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकता है :—

- (1) आवेदक ने आबकारी आयुक्त का यह समाधान कर दिया हो कि, संयंत्र की प्रतिदिन कम से कम 2,000 बोतल बीयर उत्पादन की क्षमता है।
- (2) आवेदक ने आबकारी आयुक्त का यह समाधान कर दिया हो कि, बीयर बनाने, संग्रह करने तथा उसका निर्गम करने के कारोबार के सम्बन्ध में उपयोग में लाये जाने के लिए प्रस्तावित भवन, पात्र, संयंत्र और साचित्रों को इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अनुसार बनाया गया है और यह कि आग से बचाव के लिए यथोचित सावधानी बरती रही है।

(3) आवेदक ने उसके लायसेंस की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए शासकीय वचन पत्रों या सामान बाजार मूल्य की अन्य शासकीय प्रतिभूतियों के रूप में रुपये 25,000/- जमानत के रूप में जमा किया है। वचन-पत्र या अन्य प्रतिभूतियों, उनके जमा किये जाने पर जिले के कलेक्टर को उसके पदनाम से पृष्ठांकित की जायेगी। बीयर बनाने वाले को उर्प्युक्त रकम पर निकलने वाला ब्याज, जैसे ही वह देय हो, लेने की अनुमति होगी। राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रुपये 5,00,000/- वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप ख-1-अ में अनुज्ञाप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञाप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए नवीनीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञाप्तिधारी इस अनुज्ञाप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो वह अनुज्ञाप्ति पर दर्ज की जावेगी।

(4) दुर्ग जिले में सोना ब्रेवरेज प्रा.लिमि. रसमड़ा जिला-दुर्ग में बियर निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जो दिनांक 04.03.2014 से प्रारंभ है।

(15) देशी मदिरा के थोक प्रदाय हेतु निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया:-

वर्ष 2015–16 में दुर्ग जिले की सभी देशी मदिरा दुकानों का प्रदाय केवल मानकीकृत कांच की बोतलों में भण्डारण भाण्डागार भिलाई से किया जावेगा।

**4. मादक द्रव्यों की प्रदाय की व्यवस्था:-** जिला स्तरीय मादक द्रव्यों के लायसेंसियों को विक्रय हेतु मादक द्रव्य का प्रदाय निम्नानुसार दिया जाता है:-

1. **देशी मदिरा :-** देशी मदिरा की भरी हुई बोतलें आसवनी से मद्यभाण्डागार भिलाई तक पेटियों में परिवहित की जाती है। प्रत्येक पेटियों में 50 नग पाव अथवा 24 नग अद्वी अथवा 12 नग बोतल भरी हुई होती है। मद्यभाण्डागार भिलाई में मदिरा का भण्डारण किया जाता है एवं देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञाप्तिधारियों को ढूयूटी एवं शुल्क आदि जमा पश्चात् वांछित मात्रा, प्रकार एवं नगों में प्रदाय दिया जाता है।

2. **विदेशी मदिरा :-** विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट की प्रदाय हेतु जिले के समस्त फुटकर लायसेंसियों को छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड के रायपुर डिपो से संलग्न किया गया है। लायसेंसियों के द्वारा ढूयूटी राशि के जमा पश्चात् इस

कार्यालय से रायपुर डिपो प्रभारी के लिये परमिट जारी किया जाता है। जिस पर फुटकर लायसेंसियों के द्वारा मदिरा की कीमत एवं शुल्क आदि का पृथकतः अग्रिम भुगतान पश्चात् वांछित मात्रा, प्रकार एवं नगों में प्रदाय दिया जाता है।

3. **भांग** :— वर्तमान में जिले में एकमात्रा भांग दुकान केम्प—1 भिलाई में संचालित है। भांग की आवश्यक मात्रा शासन के द्वारा क्रय की जाकर भिलाई मद्यभाण्डागार में संग्रहित की जाती है एवं लायसेंसियों के द्वारा निर्धारित शुल्क, ड्यूटी आदि जमा करने के पश्चात् लायसेंसियों को प्रदाय दिया जाता है।
  
4. **पापीस्ट्रा** :— पापीस्ट्रा मूलतः अफीम के फल का छिलका होता है साथ ही साथ अफीम के बीज को भी इसमें शामिल किया जाता है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अफीम की खेती कहीं पर भी नहीं की जाती है। वर्तमान में छ.ग. शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1–07/2015/वाक(आब)/पांच रायपुर दिनांक 01.04.2015 द्वारा पॉपीस्ट्रा व्यसनियों को पोस्ता चूरा (डोडा चूरा) उपलब्ध कराया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

#### **(5) कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रतिमान (नार्म्स) (Norms Set By It**

**For The Discharge Of Its Functions** :— आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त निरीक्षण को महत्वता देते हुए सामयिक अंतरालों पर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्रतिमान (नार्म्स) निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार है :—

#### **(क) कार्यालय निरीक्षण** :—

क्र.	कार्यालय	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय	1. आबकारी आयुक्त	तीन वर्ष में एक बार
		2. अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार (सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय का निरीक्षण अवश्य करेंगे)
		3. उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	आबकारी आयुक्त द्वारा आवंटित सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार अवश्य करेंगे।
		4. सहायक आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार

2.	वृत कार्यालय	1.	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	मुख्यालय में पदस्थ प्रत्येक उपायुक्त अपने प्रभार के जिलों के कम से कम तीन वृतों का निरीक्षण वर्ष में एक बार करेंगे।
		2.	सहायक आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत का निरीक्षण करेंगे।
		3.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रभार क्षेत्र के वृतों का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे।
3.	भण्डारण भाण्डागार	1.	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	मुख्यालय में पदस्थ प्रत्येक उपायुक्त अपने प्रभार के जिलों के विनिर्माण के भाण्डागारों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे।
		2.	सहायक आयुक्त आबकारी	प्रत्येक भण्डारण के भाण्डागार का वर्ष में कम से कम 2 बार निरीक्षण करेंगे।
		3.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रभार क्षेत्र के प्रत्येक भण्डारण के भाण्डागार का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे।

(ग) विभिन्न अनुज्ञाप्तियों का निरीक्षण :-

क्र.	अनुज्ञाप्ति का प्रकार	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	सी.एस.2(घ) (देशी मंदिरों की फुटकर बिक्री का लायसेंस), एवं एफ.एल.1(घ) (विदेशी मंदिरों की फुटकर बिक्री का लायसेंस)	1. उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता /जिला आबकारी अधिकारी, उड़नदस्ता	प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक माह में 4 केन्द्र
		2. सहायक आयुक्त आबकारी	प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार
		3. सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार
		4. वृत्त प्रभारी अधिकारी /उप निरीक्षक	मुख्यालय स्थित केन्द्रों का पाक्षिक एवं अन्य केन्द्रों का मासिक
2.	मनोरंजन केन्द्र (छविगृह एवं वीडियो पार्लर)	1. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता /जिला आबकारी अधिकारी, उड़नदस्ता	प्रत्येक अधिकारी कम से कम दो छविगृह प्रति माह
		2. सहायक आयुक्त आबकारी	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र का वर्ष में कम-से-कम दो बार
		3. सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र का वर्ष में दो बार कम से कम

		4.	उप निरीक्षक	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र प्रत्येक माह में कम से कम दो बार
4.	एफ.एल.2 (रेस्टोरेन्ट बार, केवल बीयर हेतु), एफ.एल.3 (होटल बार अनुज्ञाप्ति), एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञाप्ति) एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब), एफ.एल.6 (सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञाप्ति), एफ.एल.7 (सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञाप्ति), डी.एस.1 (डिनेचर्ड स्प्रिट विक्रय का थोक लायसेंस) डी.एस.2 (डिनेचर्ड स्प्रिट विक्रय का फुटकर लायसेंस), डी.एस.3 (प्रमाणिक उद्योगों, वैज्ञानिक और मंद करने के प्रयोजन के लिए डिनेचर्ड स्प्रिट को कब्जा में रखने की अनुज्ञाप्ति), डी.एस.4 (औषधि विक्रेताओं द्वारा कब्जे, उपयोग और विक्रय के लिए उद्योगों में कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञाप्ति), आर.एस.1 (परिशोधित स्प्रिट के विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति), एल.2 (अल्कोहल एवं अन्य नारकोटिक्स ड्रग्स मिश्रित दवाओं के निर्माण की अनुज्ञाप्ति), एच.डी.7 (भांग के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति), एच.डी.8 (भांग घोंटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञाप्ति), डी.एस.पी.1 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के निर्माण और विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति) डी.एस.पी.2 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति), डी.एस.पी.3 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति)	1. सहायक आयुक्त आबकारी 2. सहायक जिला आबकारी अधिकारी 3. उप निरीक्षक 4. जिला आबकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता	प्रत्येक अनुज्ञाप्ति वर्ष में एक बार। प्रत्येक अनुज्ञाप्ति वर्ष में एक बार। एफ.एल.2/3 माह में एक बार शेष अनुज्ञाप्तियां तीन माह में एक बार प्रत्येक माह में कम से कम 2 अनुज्ञाप्ति	

## **(6) विभाग में रखे जाने वाले विधान–नियम(Rules, Regulations, Instructions,**

**Manuals And Records)** :- विभाग के कार्य संपादन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले नियम, विधान, आदेश, निर्देश निम्नानुसार हैं:-

- (1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915)
- (2) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936)
- (3) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985)
- (4) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (क्र. 16 सन् 1955)
- (5) मादक (स्पिरिटजन्य) सम्पाक अन्तर्राज्य (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (क्रमांक 39 सन् 1955)
- (6) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 46 सन् 1988)
- (7) सामान्य प्रयोग के नियम, 1960
- (8) आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य संबंधी नियम, 1960
- (9) सामान्य अनुज्ञाप्ति शर्तें
- (10) छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995
- (11) छत्तीसगढ़ देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002
- (12) छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995
- (13) छत्तीसगढ़ ताड़ी नियम, 1960
- (14) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996
- (15) छत्तीसगढ़ विप्रकृत स्पिरिट नियम, 1960
- (16) छत्तीसगढ़ परिशोधित स्पिरिट नियम, 1960
- (17) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 1960
- (18) छत्तीसगढ़ अपीलें, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन नियम, 1960
- (19) छत्तीसगढ़ राजसात वस्तुओं के (निपटारा) के संबंध में नियम, 1960
- (20) छत्तीसगढ़ मादक मादक सम्पाक अन्तर्राज्य (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण नियम, 1960
- (21) छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970
- (22) छत्तीसगढ़ विप्रकृत मादक (स्पिरिटजन्य) संपाक नियम, 1969

- (23) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ सिद्धदोष या आदी (व्यसनी) के द्वारा बंधपत्र निष्पादन नियम, 1985
- (24) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ (केन्द्रीय) नियम, 1985
- (25) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ (छत्तीसगढ़) नियम, 1985
- (26) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क नियम, 1942
- (27) छत्तीसगढ़ सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982
- (28) छत्तीसगढ़ सिनेमा (वीडियो कैसेट रिकार्डर द्वारा फ़िल्म प्रदर्शन) अनुज्ञापन नियम, 1983
- (29) छत्तीसगढ़ केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999
- (30) होलोग्राम के क्रय, भण्डारण, रख—रखाव, परिवहन व निर्गम के सम्बन्ध में जारी निर्देश
- (31) देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी करने हेतु जारी किए गए निर्देश

उक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होने वाले निम्नलिखित नियम सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यालय में रखे जाते हैं :—

- (1) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम
- (2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977
- (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976
- (4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा) परिचर्या नियम, 1958
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
- (6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (स्थाई एवं अर्द्धस्थाई) सेवा नियम, 1960
- (7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
- (8) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
- (9) छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—एक
- (10) छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—दो
- (11) छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना नियम, 1985
- (12) छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955
- (13) छत्तीसगढ़ वेतन निर्धारण नियम
- (14) छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम

- (15) छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग—एक एवं दो
  - (16) छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग— एक एवं दो
  - (17) छत्तीसगढ़ लेखा संहिता भाग— एक एवं दो
  - (18) छत्तीसगढ़ यात्रा भृत्ता नियम
  - (19) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदग्रहणकाल) नियम, 1982
- (07) जिला स्तरीय संधारित किये जाने वाले अभिलेखः—** जिला स्तरीय कार्यालय में कार्यालयवार संधारित किये जाने वाले अभिलेखों, पंजियों, नस्तियों की जानकारी निम्नानुसार हैः—
1. **सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यालयः—**
    - (1) आबकारी की फुटकर दुकानों के ठेकों से संबंधित अभिलेख
    - (2) आसवनी एवं बॉटलिंग इकाईयों के लिए मुख्यालय से जारी किए गए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत जिलों में स्थित इकाईयों से संबंधित अभिलेख
    - (3) न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
    - (4) स्थापना शाखा में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
    - (5) समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावलियों से संबंधित अभिलेख
    - (6) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
    - (7) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित जाँच संबंधी अभिलेख
    - (8) मनोरंजनकर में छविगृहों, वीडियो, केबल आपरेटरों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों से संबंधित अभिलेख
    - (9) स्टोर, स्टेशनरी एवं भण्डार क्रय एवं प्रदाय से संबंधित अभिलेख
    - (10) शासकीय वाहनों का रख—रखाव एवं अन्य कार्यालयीन उपकरणों के क्रय व रख—रखाव से संबंधित अभिलेख एवं वाहन की लागबुक
    - (11) बजट निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण तथा मुख्यालय से प्राप्त बजट आवंटन संबंधी अभिलेख
    - (12) आडिट संबंधित अभिलेख
    - (13) अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं अन्य भृत्तों एवं अग्रिम धनों के भुगतान से संबंधित देयकों से संबंधित अभिलेख

- (14) समस्त व्यय की गई राशियों के लिए मासिक व्यय विवरणी से संबंधित अभिलेख
- (15) सांख्यिकी से संबंधित समस्त जानकारी (आय, खपत, उपलंभन आदि) से संबंधित अभिलेख एवं मासिक पत्रकों की तैयारी व प्रेषण
- (16) कार्यालय, वृत, भांडागार, आसवनी, बॉटलिंग यूनिटों के निरीक्षणों से संबंधित निरीक्षण टीपे
- (17) आबकारी अपराधों एवं विभागीय लायसेंसियों द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराध घटना पंजी पी-14 का संधारण एवं रख-रखाव तथा विभागीय प्रकरणों की नस्तियाँ

**(2) मद्य भाण्डागारों :-** पूर्व में प्रचलित विनिर्माण एवं वर्तमान में केवल भण्डारण के भाण्डागार में मद्यभाण्डागार अधिकारी द्वारा संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	डी-12	रजिस्टर	देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों की आमद, प्रदाय एवं बचत का लेखा रखने हेतु
2.	डी-16	रजिस्टर (बुक)	भांडागारों में राजस्व ताले लगाने एवं खोलने के लिए लॉक टिकिट बुक
3.	डी-17	रजिस्टर	सीलबंद देशी मदिरा बोतलों के प्रदाय की पंजी
4.	डी-18	रजिस्टर	सीलबंद देशी मदिरा बोतलों को दुकानवार प्रदाय की पंजी
5.	डी-21	रजिस्टर	भांडागार अधिकारी की दैनंदिनी
6.	डी-24 (Part I & II)	फार्म	देशी मदिरा दुकानों को प्रदाय की गई मदिरा की जानकारी का मासिक पत्रक
7.	डी-25	रजिस्टर	देशीमदिरा प्रदायकर्ता की ओर से कार्यरत स्थाई कर्मचारियों / श्रमिकों का मजदूरी रजिस्टर
8.	डी-26	रजिस्टर	देशीमदिरा प्रदायकर्ता की ओर से कार्यरत अस्थाई श्रमिकों का मजदूरी रजिस्टर
9.	एच.डी. 26	रजिस्टर	भांग दुकानों को प्रदाय की गई भांग का लेखा रजिस्टर
10.	जी-2	रजिस्टर	देशी / विदेशी मदिरा, भांग की फुटकर दुकानों की लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली का रजिस्टर
11.	जी-9	फार्म	10वें कार्य दिवस पश्चात मासिक लायसेंस फीस बकाया के संबंध में जानकारी
12.	ओ.एफ. 7	रजिस्टर	भांडागारों में उपलब्ध सामग्रियों का रजिस्टर
13.	ओ.एफ. 9	रजिस्टर	भांडागारों में उपलब्ध अभिलेखों के निरसन का रजिस्टर
14.	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार का रजिस्टर (पत्रों का आवक-जावक)
15.	-	रजिस्टर	देशीमदिरा के फुटकर लायसेंसियों को प्रदाय की गई देशीमदिरा पर आय कर वसूली का रजिस्टर

16.	—	रजिस्टर	देशी मंदिरा दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं उसके विरुद्ध उठाई गई मंदिरा का लेखा रजिस्टर
17.	एच.जी. 5	रजिस्टर	होलोग्राम की प्राप्ति का लेखा
18.	एच.जी. 6	रजिस्टर	मंदिरा बॉटलिंग पश्चात् बोतलों में चर्स्पा करने हेतु उपयोग में लाए गए, विकृत / नष्ट हुए होलोग्राम का लेखा
19.	एच.जी. 7	फार्म	होलोग्राम प्राप्ति, उपयोग, शेष स्कन्ध एवं विकृत / नष्ट हुए होलोग्राम संबंधी साप्ताहिक पत्रक
20	—	रजिस्टर	मंदिरा बोतलों पर लगाए जाने वाले ढक्कनों एवं लेबलों का लेखा रजिस्टर

(7) वृत्त कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख :— वृत्त कार्यालयों में निम्नानुसार अभिलेख, पंजिया संधारित की जाती हैः—

क्र.	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	पी—1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार पंजी (पत्रों का आवक एवं जावक)
2.	पी—2	फार्म	आबकारी वृत्त उप—निरीक्षक की पाक्षिक दैनंदिनी
3.	पी—3	रजिस्टर	आबकारी वृत्त उप—निरीक्षक की भ्रमण पंजी
4.	पी—4	फार्म	आबकारी वृत्त उप—निरीक्षक द्वारा माह में किए गए निरीक्षण एवं भ्रमण की जानकारी का मासिक पत्रक
5.	पी—5	रजिस्टर	आबकारी दुकानों के लाभ—हानि के मूल्यांकन का रजिस्टर
6.	पी—6	रजिस्टर	आबकारी वृतों के क्षेत्राधिकार स्थित ग्रामों के लिए ग्रामवार इतिहास का रजिस्टर
7.	पी—7	रजिस्टर	आबकारी वृतों में आबकारी उप—निरीक्षक को अपराधों की प्राप्त सूचना का रजिस्टर
8.	पी—8	फार्म	आबकारी वृतों में दर्ज किए गए प्रकरणों के लिए अपराध एवं घटना रिपोर्ट का फार्म
9.	पी—9	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में जप्त मंदिरा व अन्य सामग्री की जप्ती का फार्म
10.	पी—10	फार्म	सुपुर्दनामा पत्र जिसमें आबकारी प्रकरणों में जप्त मुद्देमाल को पुलिस या अन्य सक्षम पदाधिकारी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया जाता है ।
11.	पी—11	फार्म	आबकारी प्रकरणों में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट (अभियोजन) न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
12.	पी—12	फार्म	पेट्रोल चालान फार्म

13.	पी-13	कार्म	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग दुकानों एवं अन्य अनुज्ञितियों के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं हेतु लायसेंसी को दिया जाने वाला आरोप—पत्र
14.	पी-14	रजिस्टर	वृतों में कायम किए गए प्रकरणों को जिला कार्यालय में दर्ज करने के लिए अपराध एवं घटना रजिस्टर
15.	पी-15	कार्म	विभागीय प्रकरणों में आरोपित संधानराशि / शास्ति की सूचना देने का फार्म
16.	पी-16	कार्म	अपराधिक प्रकरणों में मुलजिम को जमानत देने के लिए जमानत मुचलका फार्म
17.	पी-26	रजिस्टर	इनाम वितरण रजिस्टर
18.	जी-2	रजिस्टर	देशी / विदेशी मदिरा, भांग दुकानों की लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली का रजिस्टर
19.	—	अभियोजन रजिस्टर	न्यायालयीन प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन रजिस्टर
20.	ओ.एफ. 7	रजिस्टर	वृतों में उपलब्ध सामग्रियों का रजिस्टर
21.	ओ.एफ. 9	रजिस्टर	वृतों में उपलब्ध अभिलेखों के निरसन का रजिस्टर
22.	—	रजिस्टर	देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं उसके विरुद्ध उठाई गई मदिरा का लेखा रजिस्टर
21.	—	रजिस्टर	आबकारी पुरानी बकाया एवं वसूली का रजिस्टर

(08) संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/स्थानीय निकाय/जन—भागीदारी का नीतिनिर्धारण या नीतियों के क्रियान्वयन में योगदान/भागीदारी (Consultation With, Or Representation By, The Members Of The Public In Relation To The Formulation Of Its Policy Or Administration) :— नियमों के अन्तर्गत गठित आबकारी सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य देशी मदिरा और विदेशी मदिरा व अन्य मादक औषधियों की दुकानों को खोलने एवं मदिरा विक्रय के लिए आबकारी दुकानों की संख्या और क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में उनके वितरण के सम्बन्ध में सलाह मशविरा करना एवं समिति की राय लेना है। वर्तमान में स्थित मदिरा की किसी दुकान को बंद करना है या दुकानों के स्थान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव हो तो ऐसे प्रस्तावों पर राय—मशविरा किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा समिति की राय के साथ जिले का पूर्ण प्रतिवेदन भेजा जाता है, जिस पर शासन द्वारा आगामी वर्ष के लिए नीति विषयक निर्णय लिया जाता है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के खण्ड (ब) में आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य सम्बन्धी नियम प्रावधानित हैं, जिसके नियम-1 में नगरपालिका और छावनी (कन्टोनमेन्ट) क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है :—

(अ)	कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा समय—समय पर नियुक्त डिप्टी कलेक्टर	—	पदेन सभापति
(ब)	जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय—समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो	—	सदस्य
(स)	नगर पालिका समिति द्वारा चुने हुए क्षेत्र की नगर पालिका परिषद के चार सदस्य	—	सदस्य
(द)	(i) अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और	—	सदस्य
	(ii) मादक द्रव्य के व्यापारियों के प्रतिनिधि, जो दो से अधिक न हों, जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि खण्ड (स) के अन्तर्गत चुने हुए सदस्य ऐसी जाति या व्यापारी का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और	—	सदस्य
(ड)	सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी	—	पदेन सचिव

नगर पालिका समिति में चुने हुए प्रतिनिधियों में से खण्ड (स) के अनुसार चार सदस्य प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होंगे तथा "चुना गया कोई सदस्य (प्रतिनिधि), नगरपालिका समिति के सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता की अवधि तक सलाहकार समिति का सदस्य रहेगा या जब तक सलाहकार समिति में उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता, रहेगा, परन्तु शर्त यह है कि उस समिति में अपनी सदस्यता की अवधि के समाप्त होने के कारण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण के वह नगर पालिका की सदस्यता से वंचित होता है, तो वह सलाहकार समिति की सदस्यता से भी वंचित हो जायेगा।"

इसी प्रकार ग्रामीण सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान नियम-3 में है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है :—

(अ)	कलेक्टर या समय—समय पर कलेक्टर द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर	—	पदेन सभापति
(ब)	जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय—समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो	—	सदस्य

(स)	जिले में प्रत्येक जनपद सभा द्वारा चुने हुए दो सदस्य या ऐसे क्षेत्र में प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत जिले में गठित अन्य इसी प्रकार के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुने गए दो सदस्य		—	सदस्य
(द)	(i)	अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और		— सदस्य
	(ii)	मादक द्रव्यों के व्यापारियों के दो से अधिक प्रतिनिधि, और		— सदस्य
	(iii)	आदिम जनजाति के प्रतिनिधि, जो दो से अधिक न हों, जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि, खण्ड (स) के अन्तर्गत चुने गए सदस्य ऐसी जाति, व्यापारी या जनजाति का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और		— सदस्य
(ड)	सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी		—	पदेन सचिव

शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस बैठक में गठित समिति के सदस्यों के अतिरिक्त माननीय सांसद एवं विधायकों को भी विशेष रूप से आहूत किया जाता है और इस बैठक में आगामी वर्ष के लिये ठेकों की व्यवस्था के संबंध में मत लेकर अध्यक्ष / कलेक्टर अपने अभिमत के साथ प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को भेजते हैं। इस तरह सर्व जन-भागीदारी के उपरांत ही आगामी वर्ष के लिए देशी / विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर लायसेंसों की व्यवस्था संबंधी नीति पर शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्णय लिया जाता है।

**(09) व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकार अथवा प्रदत्त छूट की जानकारी:-**  
**(Particulars Of Recipients Of Concessions,Permits Or Authorisations Granted By It )** :- विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को छूट नहीं दी गई है। कुछ जाति विशेष या व्यक्ति समूह को दी गई छूट की जानकारी निम्नानुसार है :—

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे, अर्थात् :—

(i) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक समाराहों के प्रयेजनों के लिए ही किया जायेगा।

- (ii) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।
- (iii) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी—भी समय 5 लीटर होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य में बिशप, डायोसिस ऑफ, रायपुर को केवल पूजा के प्रयोजन हेतु, सेक्रामेन्टल वाईन के निर्माण, कब्जा एवं परिवहन हेतु छूट प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशी मदिरा (स्प्रिट) के लिए ड्यूटी की दरें क्रमशः लैंडिंग प्राईस रुपये 700/- तक प्रति पेटी (12 क्वार्ट बोतल) तक के लिए रुपये 100/- प्रति प्रूफ लीटर एवं एक्स फैक्ट्री प्राईस रुपये 701/- से 1000/- तक प्रति पेटी (12 क्वार्ट बोतल) के लिए रुपये 115/- प्रति प्रूफ लीटर, एक्स फैक्ट्री प्राईस रुपये 1001/- से 1500/- तक प्रति पेटी (12 क्वार्ट बोतल) के लिए रुपये 130/- प्रति प्रूफ लीटर, एक्स फैक्ट्री प्राईस रुपये 1501/- से 2500/- तक प्रति पेटी (12 क्वार्ट बोतल) के लिए रुपये 160/- प्रति प्रूफ लीटर, एक्स फैक्ट्री प्राईस रुपये 2501/- से 4000/- तक प्रति पेटी (12 क्वार्ट बोतल) के लिए रुपये 190/- प्रति प्रूफ लीटर, एक्स फैक्ट्री प्राईस रुपये 4001/- और उससे अधिक प्रति पेटी (12 क्वार्ट बोतल) के लिए रुपये 220/- प्रति प्रूफ लीटर तथा माल्ट मदिरा के लिए रुपये 22/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है, जबकि मिलीटरी सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों, उनकी संस्थाओं और कलबों के लिए विदेशी मदिरा (स्प्रिट) हेतु रुपये 30/- प्रति प्रूफलीटर तथा माल्ट मदिरा (बीयर) के लिए रुपये 8/- प्रति क्वार्ट बोतल निर्धारित है।

(10) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सुविधाओं का विवरण (The Particulars Of Facilities Available To Citizens For Obtaining Information, Including The Working Hours Of A Library Or Reading Room, If Maintained For Public Use) :-  
नागरिकों के लिए विभाग में सूचनाओं के लिए पृथक लायब्रेरी या वाचनालय की व्यवस्था नहीं है। समस्त जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के पास उनके कार्यक्षेत्र के अभिलेखों की जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध रहेगी, जो किसी नागरिक द्वारा उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाने पर कार्यालयीन समय में अवलोकन की सुविधा दी जायेगी और उसकी प्रति चाही जाने पर अथवा अन्य कोई जानकारी, जो उन्हें जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराई जा सकती है, की मांग करने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर निर्धारित समय—सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी। इन्टरनेट पर जानकारी देने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।

(11) जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण (The Names, Designations And Other Particulars Of The Public Information Officers) :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आबकारी विभाग के मुख्यालय स्तर एवं वृत्त स्तर पर नियुक्त अधिकारियों को विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्रं.	प्रभारी अधिकारी नाम व पदनाम	प्रभार क्षेत्र
1.	सहायक आयुक्त आबकारी	जिला कार्यालय एवं संपूर्ण जिला
2.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	विशेष वृत्त दुर्ग
3.	मद्यभाण्डागार अधिकारी भिलाई	मद्यभाण्डागार भिलाई
4.	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त – दुर्ग शहर पूर्व
5.	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त – दुर्ग शहर पश्चिम
6.	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त – दुर्ग आंतरिक उत्तर
7.	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त – दुर्ग आंतरिक दक्षिण
8.	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त – भिलाई क्रमांक 1
9.	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त – भिलाई क्रमांक 2
10	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त – भिलाई क्रमांक 3
11.	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त – भिलाई क्रमांक 4
12	आबकारी उपनिरीक्षक	वृत्त – धमधा

नागरिकों के द्वारा अनुविभाग स्तर पर कार्यालय वृत आबकारी उप-निरीक्षक, जिला स्तर पर कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय अर्थात् प्रातः 10.30 बजे से संध्या 5.30 बजे के बीच सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं।

(12) अन्य विवरण (Such Other Information, As May Be Prescribed) :-

जिले की सामान्य जानकारी पदस्थापना एवं लायसेंसों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:—

(01) जिले की सामान्य जानकारी

- कार्यालय का पता – कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी  
कलेक्ट्रेट परिसर, दुर्ग  
फोन एवं फैक्स नं. 0788–2323769

2.	कार्यालय प्रमुख का नाम	—	श्री पी.एल.साहू सहायक आयुक्त आबकारी
3.	मण्डल कार्यालय 03	—	दुर्ग, भिलाई एवं धमधा
4.	मण्डल प्रभारियों के नाम 05 —		श्री सी.एस. पाण्डेय, श्री जे.के. अरोरा, श्री सी. खलको, श्री जे.पी.एन. दीक्षित एवं श्री प्रभाकर शर्मा
5.	मद्यभाण्डागार 01	—	भण्डारण मद्यभाण्डागार भिलाई
6.	मद्यभाण्डागार प्रभारी का नाम —		श्री बी.आर. नेताम
7.	वृत्त कार्यालयों की संख्या 10—		दुर्ग शहर पूर्व/पश्चिम/दुर्ग आंतरिक उत्तर/ दक्षिण भिलाई क्रमांक-1/2/3/4/धमधा एवं विशेष वृत्त दुर्ग
8.	वृत्त प्रभारियों के नाम 10 —		श्री एल.के. गायकवाड़, श्री चंदनसिंह चुरेन्द्र, श्री सी. खलको, श्री बी.आर. नेताम, श्री मुकेश अग्रवाल, श्री जी.पी. प्रजापति, श्री सी.आर.साहू श्रीमती कुसुमलता जोल्हे, श्रीमती सुप्रिया तिवारी एवं कुशीला रानी एकका
9.	देशी/विदेशी मादिरा समूह 31—		धमधा समूह /ननकटठी,समूह /जेवरासिरसा समूह /अहिवारा समूह/कुम्हारी समूह/चरौदा समूह/जामगांव समूह/भिलाई-3 समूह/ ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई समूह/जोरातराई समूह/ खुर्सीपार, भिलाई समूह/जवाहर मार्केट भिलाई समूह/ए.सी.सी. चौक जामुल समूह /सुपेला, भलाई समूह/कोहका,भिलाई समूह/जुनवानी भिलाई समूह /नेहरू नगर भिलाई समूह/सिविक सेंटर भिलाई समूह /बांसपारा,दुर्ग समूह /स्टेशन एरिया, दुर्ग समूह /धमधा रोड दुर्ग समूह /संतराबाडी,दुर्ग समूह /गंजपारा,दुर्ग समूह /पोटियारोड, दुर्ग समूह/ अंजोरा समूह/अण्डा समूह / पद्मनाभपुर दुर्ग समूह/रिसाली, भिलाई समूह/ मडौदा समूह /उतरई समूह / पाटन समूह/

- 10. विदेशी मदिरा दुकान 23—**
- धमधा / जेवरासिरसा / अहिवारा / कुम्हारी /  
 चरौदा / भिलाई—3 / खुर्सीपार / जवाहर  
 मार्केट / ए.सी.सी.चौक जामुल / सुपेला /  
 जूनवानी / नेहरू नगर / सिविक सेंटर  
 / राजेन्द्र पार्क, दुर्ग / स्टेशन एरिया /  
 इन्द्रिरा मार्केट, दुर्ग / गंजपारा / अण्डा  
 / पद्मनाभपुर / रिसाली / मडौदा / उत्तई  
 / पाटन
- 11. देशी मदिरा दुकान 38—**
- धमधा / ननकट्ठी / नंदनी खुंदनी /  
 जेवरासिरसा / अहिवारा / कुम्हारी /  
 देवबलौदा / जामगांव / चरौदा बस्ती / भिलाई—3  
 / ट्रांसपोर्ट नगर / दादर (चरौदा) /  
 जोरातराई / पुरैना / खुर्सीपार / केम्प —1  
 भिलाई / ए.सी.सी.चौक जामुल / सुपेला  
 / कोहका / 18 नं. रोड, भिलाई / जूनवानी  
 / नेहरू नगर / बांसपारा, दुर्ग / तितूरडीह,  
 दुर्ग / धमधा रोड, दुर्ग / उरला रोड, दुर्ग /  
 संतराबाड़ी, दुर्ग / नयापारा / पुलगांव /  
 पोटिया रोड, दुर्ग / अंजोरा / चंदखुरी /  
 अण्डा / रुआबांधा / रिसाली / मडौदा / उत्तई /  
 पाटन
- 14. भांग / भांग घोटा – 01**
- केम्प—1 भिलाई लायसेंसी – श्री स्वराज सिंग  
 आ. जसवन्त सिंह शॉप नं. 107 ए मार्केट  
 सेक्टर—1 भिलाई, जिला—दुर्ग

15. एफ.एल.-2/3/3-क - 85

क्र०	लायसेंसी का नाम व पता	अनुज्ञाप्त परिसर एवं होटल का नाम	अनुज्ञाप्ति प्रारंभ होने का दिनांक
1	2	3	4
<b>एफ.एल. 2 लायसेंस</b>			
1	श्रीमती पुष्पादेवी जौजे नंदलाल जायसवाल, नंदनी रोड, भिलाई	होटल-ग्लासी, नंदनी रोड, भिलाई	05.06.2014
2	श्रीमती सविता सिंह जौजे प्रदीप सिंह, दीपक नगर, दुर्ग	होटल-शागुन, उरला	25.06.2014
3	श्रीमती राजकुमारी सिंह पति स्व. राजनारायण सिंह निवासी-दीपक नगर दुर्ग	होटल-मेसर्स स्नोव्हाइट रेस्टोरेंट उरला दुर्ग	01.05.2015
<b>एफ.एल. 3 लायसेंस</b>			
1	श्रीमती बिरेन्द्र कौर नि.-मोहन नगर दुर्ग	होटल ग्रीन, ग्रीन-चौक,दुर्ग	24.09.92
2	श्रीमति माया देवी यादव पति श्री श्यामनारायण यादव नि. सुपेला भिलाई	होटल माया , सुपेला, भिलाई	29.03.97
3	श्री बृज जीवन राय आ० राम वृक्ष राय नि. होटल गौरी सुपेला भिलाई	होटल गौरी, सुपेला, भिलाई	12.10.97
4	श्री रमेश चन्द्र काछवानी आ० केवल मल काछवानी नि.सिंधी कालोनी दुर्ग	होटल पायल, स्टेशन रोड, दुर्ग	30.03.02
5	श्री श्याम नारायण यादव आ० आर.एन.यादव नि. आजाद मार्केट भिलाई	होटल दि प्लाजा, रिसाली भिलाई	02.06.02
6	श्रीमती अमनदीप कौर जौजे कुलवंत सिंह निवासी – दीनदयाल नगर जुनगानी रोड दुर्ग	होटल रॉक फोर्ट, नेहरूनगर,चौक भिलाई	14.07.02
7	श्री राजवत्त सिंह आ० श्री इकबाल सिंह नि.एरावत परिसर पद्मनाभपुर दुर्ग	होटल पंजाब, रामनगर भिलाई	17.07.02
8	श्री जोगेन्द्र सिंह आ. मुद्रिका सिंह नि. पावरहाऊस नंदनी रोड भिलाई	होटल अशोका, नंदनी रोड भिलाई	22.07.02
9	श्री धर्मेन्द्र पाठक आ० श्री राधारमण पाठक नि.सड़क नं. 18 केम्प-1 भिलाई	होटल आर.के. वृन्दा नगर केम्प-1, भिलाई	25.07.02
10	श्री शंकर शर्मा आ० राम सिंह शर्मा नि.तितुरडीह दुर्ग	होटल डिल्लन, सुपेला, भिलाई	01.08.02
11	श्री सतीश यादव आ० बाबू लाल यादव नि.गया नगर दुर्ग	होटल प्रिया स्टेशन रोड, दुर्ग	08.08.02
12	श्रीमति प्यार कौर पति श्री सौदागर सिंह नि.खुर्सिपार गेट भिलाई	होटल पड़डा प्राईड, खुर्सिपार, भिलाई	14.08.02
13	श्री रतन सिंह आ० हजारा सिंह नि. नेहरू नगर, वेस्ट भिलाई .	होटल रायल, सिविक सेंटर, भिलाई	22.10.02
14	श्रीमति सीमा आनन्द पति श्री अरुण आनन्द नि. अम्बेडकर चौक पावरहाऊस भिलाई	होटल आर.के., पावर हाउस भिलाई	09.12.02
15	श्री राजपाल सिंह आ० श्री दर्शन सिंह नि. से.-7 ब्लाक नं. 4 क्वा.नं. ए भिलाईनगर	होटल ब्लू हैवन, रिसाली, भिलाई	17.12.02
16	श्री श्याम सुन्दर पाण्डेय आ० चन्द्रशेखर प्रसाद पाण्डे नि. होटल शिला दुर्ग	होटल शीला, इंदिरा मार्केट दुर्ग	19.12.02
17	श्रीमति सोनम नारायणी पति श्री राजकुमार नारायणी नि. स्टेशन रोड दुर्ग	होटल एवन, स्टेशन रोड दुर्ग	19.12.02

1	2	3	4
18	श्री सतीश खिचरिया आ० श्री जे.पी. खिचरिया नि.कातुलबोड,दुर्ग	होटल उपवन कातुल बोड, दुर्ग	05.04.03
19	श्री जगदीश प्रसाद राठौर आ० श्री लखन लाल राठौर नि. जुनवानी भिलाई	होटल अजन्ता, जुनवानी, नेहरू नगर	05.04.03
20	श्री विक्रम सिंह ठाकुर आ० स्व० रघुराम सिंह ठाकुर नि. मोती पारा दुर्ग	होटल मान, मोतीपारा, दुर्ग	06.06.03
21	श्री संजय अग्रवाल आ० श्री जय नारायण अग्रवाल नि. हा.बोर्ड भिलाई	होटल सकून (रिलिफ) नंदनी रोड भिलाई	20.06.03
22	श्रीमती रविन्द्र कौर पति स्व. श्री इन्द्रजित सिंह निवासी सड़क नं. -1,क्वा. 383-शंति नगर भिलाई	होटल ग्रीन, जी.ई.रोड सुपेला भिलाई	02.07.03
23	श्री निर्मल सिंह आ० श्री हरवन्धा सिंह नि. नया खुर्सीपार भिलाई	होटल मेधदुत जी.ई.रोड पावर हाउस भिलाई	26.07.03
24	श्री प्रवीण सिंह आ० श्री आर.पी.सिंह नि. मैत्री नगर रिसाली भिलाई	होटल मधुरम रिसाली, भिलाई	01.09.03
25	श्रीमति मीरा सिंह पति श्री ललित मोहन सिंह नि. सेक्टर 2 भिलाई	होटल महेन्द्रा, पावर हाउस भिलाई	21.01.04
26	श्री जसवीर सिंह चाहल आ० श्री मक्खन सिंह चाहल नि. वैशाली नगर भिलाई	होटल प्रिंस, खुर्सीपार गेट भिलाई	06.02.04
27	श्रीमती संगीता मिश्रा पति श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा नि. 18 न्. रोड केम्प-1 भिलाई	होटल सुविधा, केम्प-1, भिलाई	10.08.04
28	श्रीमती अनुराधा राव पति श्री मुकेश राव नि. मकान नं. 8 से.6 भिलाई	होटल मधुशाला, सुपेला-भिलाई	26.10.04
29	श्री राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी आ. दयाशंकर द्विवेदी निवासी- 22/16, नेहरू नगर भिलाई, तह. व जिला-दुग	होटल 'रेनबो' कोहका रोड, भिलाई	31.07.14
30	श्रीमती भावना यादव पति श्री धर्मेन्द्र यादव नि. एम आई जी 176 एम पी हा.बो.भिलाई	होटल मून, नंदनी रोड भिलाई	31.08.05
31	श्रीमती सुनीता सिंह, निवासी दीपक नगर दुर्ग	होटल झीम पैलस स्टेशन के पास दुर्ग	16.10.05
32	कुमारी बबीता पाण्डेय पिता श्री रमेशकांत पाण्डेय नि. मदरटेरेसा नगर भिलाई	होटल प्रतिक्षा, मदरटेरेसा नगर भिलाई-3	17.01.06
33	श्रीमती पुष्पा देवी पति स्व. श्री इन्दल सिंह यादव नि. एम. आई. जी. 176 एम. पी. हा. बो.भिलाई	होटल इन्द्रलोक ट्रांसपोर्टनगर हथखोज	08.05.06
34	श्रीमती दुर्गावती पाण्डेय पति रमेशकांत पाण्डेय नि. हनुमान मंदिर के पास पानी टंकी केम्प 1 भिलाई	होटल कैरेबिन ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई	26.05.06
35	श्री राजेन्द्र पाल भाटिया आ. इकबाल सिंह भाटिया नि. संतराबाड़ी दुर्ग	होटल गुलशन स्टेशन रोड, दुर्ग	15.06.06
36	श्रीमती शेष देशमुख पति संजय देशमुख नि. कसारीडीह दुर्ग	होटल पहुना पुलगाँव चौक, दुर्ग	24.06.06
37	श्री सुभाष जायसवाल आ. रामाधार जायसवाल नि. महात्मा गांधी नगर अलंकार काम्पलेक्स के पास केम्प2 भिलाई	होटल सुभाष सुपेला भिलाई	24.06.06
38	श्रीमती सुचित्रा केडिया पत्नी स्व. श्री संजय केडिया नि. 25/9 नेहरू नगर पूर्व भिलाई	होटल गोवा डा. राजेन्द्र प्रसाद चौक कोहका भि.	03.08.06
39	श्री गुरुबिन्दर सिंह आ. घ्यारा सिंह नि. 512 मोतीलाल नेहरू नगर पश्चिम भिलाई	होटल इम्पिरियल शास्त्री मार्केट भिलाई	03.08.06
40	श्री हरजीत सिंग पिता श्री जनरैल सिंह नि. प्लाट न्र. 38 बावादीप सिंग नगर सुंधु भवन के पास सुंदर नगर भिलाई	होटल-राईट धमधा रोड कुम्हारी	16.11.06
41	श्री मनोज कुमार सिंह आ. राजेश्वर सिंह नि. एल.आई.जी. 2/519 हा.बो. भिलाई	होटल राजधानी जामुल	18.01.07

1	2	3	4
42	श्रीमती ममता माने पति स्व. श्री युवराज माने निवासी बीड़ी कालोनी दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग	होटल प्लाजा, तितुरडीह, दुर्ग	27.11.07
43	श्री गणेश गजभिष्ये, आ. ताराचंद गजभिष्ये वार्ड नं. 15 तितुरडीह दुर्ग	होटल एवरग्रीन, बांस पारा दुर्ग	27.11.07
44	श्री जसप्रीत सिंह आ. श्री बलदेव सिंह भाटिया मालवीय नगर दुर्ग	होटल प्रिन्स, गंजपारा, दुर्ग	27.11.07
45	श्रीमती अरुणा राव पुत्री श्री पी.जी.राव निवासी ई डब्ल्यू एस 1796 म.प्र. हा. बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र भिलाई	होटल नीलकमल, चरोदा भिलाई	04.12.07
46	श्री राहुल परिहार आ. श्री प्रकाश परिहार नि. 107 दीपक नगर दुर्ग	होटल मिलन मालवीय नगर दुर्ग	20.12.07
47	श्री मनीष साहू आ. स्व. शिवचरण साहू पोलसाय पारा, दुर्ग	होटल जन्नत, पोटिया रोड, दुर्ग	24.01.08
48	श्री धर्म सिंह आ. भीमबहादुर सिंह निवासी स्मृति नगर भिलाई	होटल रिजेन्सी सुपेला भिलाई	28.01.08
49	श्री विनोद निझावन आ० श्री सत्यपाल निझावन नि. त्रिवेणीभवन राम नगर भिलाई	होटल सोनूस सिरसा रोड, मौर्या टाकीज के सामने भिलाई	04.04.08
50	श्री अरुण कुमार तिवारी, आ. श्री रामसजीवन तिवारी नि. जवाहर नगर दुर्ग	होटल अरुण पद्मनाभपुर, दुर्ग	22.04.08
51	श्री मनीष सिंह भण्डारी आ. श्री मनोहर सिंह भण्डारी, अग्रसेन चौक, दुर्ग	होटल रोयाल, बोरसी रोड, दुर्ग	22.05.08
52	श्री मान सिंह, निवासी न्यू खुर्सीपार, म.नं. 903, भिलाई	होटल महाराजा धमधा रोड दुर्ग	14.08.08
53	श्री कुमानदास साहू, निवासी न्यू आदर्श नगर, भिलाई जिला-दुर्ग	होटल जलतरंग रिसाली भिलाई	14.08.08
54	श्री गणेश सिंह आ. श्री ढाल सिंह निवासी ग्राम धमधा, जिला-दुर्ग	होटल बबला धमधा	22.08.08
55	श्रीमती अंजू जायसवाल पति जुगल जायसवाल नि. नंदनी रोड सपना टाकीज के पास भिलाई जिला-दुर्ग	होटल हर्ष रिसाली भिलाई	24.11.08
56	श्री संतोष कुमार ठाकुर आ. नजरु राम ठाकुर निवासी बोरसी चौक दुर्ग	होटल मघुबन, बोरसी चौक दुर्ग	27.11.08
57	श्री मनोज अग्रवाल नि. जामुल भिलाई	होटल सनविच आहिवारा	05.04.11
58	श्रीमती माया मिश्रा नि. 18 नं. केम्प 1 भिलाई	होटल राप्ती खुर्सीपार भिलाई	29.06.11
59	श्री जुल्फीकार अली आ. स्व. अब्दुल गफ्फार निवासी 7/2 राधिका नगर भिलाई तह. व जिला दुर्ग	होटल /रेस्टारेन्ट चेरिओट रानी अवंतीबाई चौक कोहका भिलाई जिला-दुर्ग	14.09.11
60	श्रीमती भानमति पत्नि के.एस. कश्यप जनजागरण समिति रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग	होटल /रेस्टारेन्ट अंजली नंदनी रोड सुभाष नगर भिलाई जिला-दुर्ग	15.09.11
61	श्रीमती बलविन्दर कौर पति त्रिलोकसिंह नि. नेहरू नगर भिलाई	होटल ग्राण्ड डिल्लन नेहरू नगर चौक भिलाई	06.03.12
62	श्रीमती मीनाक्षी देवी साव पति सुभाष साव नि. पुष्पक नगर जुनवानी रोड भिलाई	होटल अमित, जी.ई. रोड सुपेला भिलाई	16.04.12
63	श्री प्रशांत स्वरूप सिंह आ. स्व. रामसिंह नि. 18 हनुमान नगर, दुर्ग	होटल राजपूताना, सुपेला भिलाई	27.07.12
64	श्रीमती वन्दना अग्रवाल पति विजय अग्रवाल निवासी – एम.आई.जी. 143, पद्मनाभपुर दुर्ग	होटल सकून नयापारा रोड दुर्ग	09.10.12
65	कु. संगीता आ.कृपांषकर निवासी क्वा.नं.5/ए सड़क-9 सेक्टर-5 भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)	होटल रितुफोर्ट नंदनी रोड भिलाई जिला-दुर्ग	06.11.12

1	2	3	4
66	श्री शरण बिहारी अग्रवाल आ. स्व. रामस्वरूप अग्रवाल, निवासी – दीपक नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग	“सागर इंटरनेशनल” रेल्वे स्टेशन के सामने दुर्ग	05.04.13
67	श्रीमती रीना सिंह जौजे विनोद सिंह निवासी दीपक नगर , दुर्ग, जिला दुर्ग को रेल्वे स्टेशन के सामने,दुर्ग	होटल “ऋषि ” रेल्वे स्टेशन के सामने,दुर्ग	09.05.13
68	श्रीमती दसरी बाई पति नम्मू राम साहू निवासी उत्तर्व नाका, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)	होटल ‘‘स्टार’’ बोरसी रोड, दुर्ग	08.08.13
69	श्री अभिजीत चन्द्राकार आ. श्री मंगल प्रसाद चन्द्राकर निवासी स्टेषन रोड संतराबाड़ी दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	होटल “विजय इन्टरनेशनल” स्टेशन रोड दुर्ग	08.08.13
70	श्री बलविन्दर सिंह भोगल आ. श्री दीदार सिंह निवासी –शंकर नगर दुर्ग, तह.व जिला-दुर्ग (छ.ग)	होटल “ पंजाब लॉज एवं रेस्टोरेन्ट” न्यू बसस्टैण्ड दुर्ग	19.09.13
71	श्री सुखपाल सिंह बल आ. स्व. श्री लक्खा सिंह बल निवासी – 63 मालवीय नगर, दुर्ग तह.व जिला-दुर्ग (छ.ग)	होटल “द एवलॉन” मालवीय नगर दुर्ग	19.09.13
72	श्री दीपक अग्रवाल आ. श्री मुकेश अग्रवाल निवासी – 35/ए, अयोध्या अपार्टमेंट, आमदी मंदिर वार्ड, दीपक नगर दुर्ग तह.व जिला-दुर्ग (छ.ग)	होटल फ्रेण्डस “सिप बार” धमधा रोड दुर्ग	26.09.13
73	श्री राजेश शर्मा आ. स्व. भूशणलाल शर्मा निवासी–मकान नं. 192 न्यू खुर्सीपार, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग	होटल एवं रेस्टोरेन्ट “संगम” अहिवारा	01.10.13
74	श्री ए. त्रिनाथ राव आ. स्व. श्री अम्मीराजु निवासी – कुरुद रोड कोहका, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग	होटल आक्टोपस, सुपेला, भिलाई	<a href="#">04.11.04</a>
75	श्री श्रीनिवास नायडू आ. स्व. आर.झी. नायडू निवासी–सी.85, स.नं. -15, स्मृति नगर, भिलाई	होटल–सेंट्रल पार्क, सुपेला, भिलाई	25.06.14
76	श्री गणेश सिंह आ. राजनारायण सिंह निवासी–दीपक नगर दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग	होटल “साई पैलेस” मोतीपारा दुर्ग	05.11.14
77	श्रीमती सोनी कौर पति श्री जसपाल सिंह निवासी– बैकुंठ नगर केम्प–2 भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग	होटल “ऑरियान” घिवाजी नगर खुर्सीपार भिलाई	07.11.14
78	श्री अभिषेक कुमार जैन आ. विश्वु जैन निवासी गणपति कुंज एम.जी. हा.बोर्ड भिलाई	होटल “वाईल्ड फायर” ब्लाक नं. 1-4 विजय काम्प्लेक्स जी.ई.रोड भिलाई	07.11.14
79	श्रीमती अर्चना पल्लि महावीर प्रसाद जैन निवासी– पाटनी विला सडक नं. 18 स्मृति नगर भिलाई तह. व जिला-दुर्ग(छ.ग.)	होटल ‘‘जैन इन’’ जी.ई. रोड सुपेला भिलाई	22.06.15
80	श्री जसजीत सिंह दोसांझ आ. अमरीक सिंह दोसांझ निवासी–14 / 6 नेहरू नगर भिलाई तह. व जिला-दुर्ग	होटल “रि-सायकल” कातुल बोर्ड दुर्ग	20.08.15
81	श्रीमती तजिन्दर कौर तुली पल्लि श्री ओंकार सिंह तुली निवासी–पद्मनाभपुर दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग	“तुलीस रेस्टोरेन्ट” स्टेषन रोड दुर्ग	04.09.15

#### एफ.एल.-3(क) लायसेंस

1	श्री इंद्रजीत सिंह आ. स्व. सरदार सुरेन्द्र सिंह, नि. –संतोषी मंदिर गली, श्याम नगर, रायपुर	होटल– टेन डाउनिंग स्ट्रीट, सूर्या ट्रेजर मॉल, भिलाई	24.06.14
---	---	---	----------

16. क्लब लायसेंस 11

— एफ.एल.-4/4(क)

क्र०	लायसेंसी/होटल का नाम व पता	प्रारंभ होने का वर्ष
1	2	3
	एफ.एल. 4	
1	अवैतनिक सचिव, भिलाई क्लब, भिलाई	25/08/1982
2	अवैतनिक सचिव, स्टील क्लब, भिलाई	14/02/1984
	एफ.एल. 4 (क)	
1	मार्डन स्पोर्ट्स एण्ड रिकियेशन क्लब पुलगांव, दुर्ग,	होटल मॉर्डन स्पोर्ट्स एण्ड रिकियेशन क्लब
2	सचिव शिवनाथ क्लब	शिवनाथ क्लब, शिवनाथ नदी पुल के पास दुर्ग
3	श्री आशीष गुप्ता, जी.ई.रोड पावरहाऊस भिलाई	होटल दी बाईजर क्लब
4	प्लेजर क्लब ग्राम अजोरा, दुर्ग, होटल प्लेजर क्लब	होटल प्लेजर क्लब
5	श्री प्रशांत साहू उतर्ही,	होटल मेनका सोशल क्लब
6	श्री दिलीप सिंग, सुपेला भिलाई	होटल वत्स विग्योर क्लब
7	नीशा सिंह,	वैष्णो क्लब पथरिया
8	श्रीमती सोमासिंह जौजे संजय सिंह,	फोर सीजन क्लब, दीपक नगर दुर्ग
9	दिलप्रीत कौर	गोल्डन सोशन क्लब धमधा रोड दुर्ग

17. सिनेमा गृह 09 —

अप्सरा, दुर्ग / तरुण, दुर्ग / श्री व्यंकटेश्वर,  
 भिलाई / न्यू बसंत, भिलाई / चन्द्रा, भिलाई /  
 मौर्या, भिलाई / सपना, भिलाई / गीत (मिराज) /  
 पी.वी.आर. भिलाई

18. मुख्य केबल संचालक —

(1) दुर्ग क्षेत्र – ग्रेण्ड चैनल पदमनाभुपर (व्यवस्थापक – श्री पवन सिंह मो. न. 09981-638761)

(अन्य संचालक – 67 एवं केबल कनेक्शन संख्या – 8634 )

(1) भिलाई क्षेत्र – छत्तीसगढ़ ब्राण्ड बैण्ड केबल टी.वी. नेटवर्क (2) ए.सी.एन. भिलाई  
 (व्यवस्थापक – श्री एम.सुरेश मो. न.09981-638761)

(अन्य संचालक – 127 एवं केबल कनेक्शन संख्या – 17519)

केबल आपरेटर की संख्या/ लायसेंस क्र.	केबल आपरेटर का नाम	केबल आपरेटर का पता	कनेक्शन संख्या	प्रति कनेक्शन शुल्क
1	2	3	4	5
<b>वृत्त-दुर्ग शहर पूर्व</b>				
1	श्री कांत खेडिया	पदमनाभपुर दुर्ग	275	20
2	श्री अजीत दुबे	बोरसी विस्तार (अजीत दुबे)	79	20
3	श्रीमती कविता शर्मा	बोरसी, दुर्ग	165	20
4	श्री पल्लव सोम,	रायपुर नाका सिंदी कालोनी, दुर्ग	102	20
5	श्रीमती सीमा	केलाबाड़ी चौक दुर्ग	238	20
6	श्री शैलष जोगेवार	न्यू आदर्श नगर दुर्ग	176	20
7	श्री अजय मिश्रा	केलाबाड़ी ,दुर्ग कसारीडीह, दुर्ग	145	20
8	श्रीमती नूतन राय	रजनीगंधा कालोनी	52	20
9	श्री नवीन परधनिया	आदर्श नगर सुभाष नगर दुर्ग	110	20
10	श्री संजय सिंह	गायत्री मंदिरवार्ड, दुर्ग	354	20
11	श्री चैतन्य नायडू	पोलसाय पारा,	266	20
12	श्रीमती पार्वती	मनवार दीपक नगर, दुर्ग	401	20
13	श्री रमेश यादव	कसारीडीह पदमनाभपुर, दुर्ग	141	20
14	श्री श्रीकांत खेडिया	बोरसी दुर्ग	120	20
15	श्री अजय तिवारी,	सिंधिया नगर दुर्ग	428	20
16	श्री संतोष पंडवार	पोलसाय पारा, दुर्ग	115	20
17	श्री सुशील केशरी, सुधीर विडियो	केलाबाड़ी दुर्ग	110	20
18	श्री गोविंद चंद्राकर	केलाबाड़ी, दुर्ग	73	20
19	श्री दीपक शर्मा	संतराबाड़ी,	60	20
20	श्री दयानंद पाण्डेय	सिंधिया नगर	108	20
21	श्री सुनिल लालवानी,	दुर्ग	117	20
22	श्री संजीव राय शर्मा, दारा वर्ल्डविजन	कादम्बरी नगर,	92	20
23	श्री हरिन्द्र सिंह, ग्राण्ड चैनल	विद्युत नगर दुर्ग	110	20
24	श्री एम. सुरेश	पदमनाभपुर दुर्ग	390	20
25	श्री आनंद राय	न्यू पुलिस लाइन	50	20
26	श्री प्रेम सागर	पदमनाभपुर विद्युत नगर, न्यू आदर्श नगर	115	20

1	2	3	4	5
27	श्रीमती मायादेवी सचदेव, शैलेष विजन	कंवर नगर (सिंधी कालोनी) दुर्ग	45	20
28	श्री महेन्द्र साहू (जानकी साहू)	पचरीपारा दुर्ग	78	20
29	श्रीमती अनिता लालवानी	सिंधी कॉलोनी दुर्ग	95	20
30	योगेश्वर प्रसाद साहू	बोरसी भांठा दुर्ग	42	20
31	स्वाधी पटेल	गुरुघांसी दास वार्ड	40	20
32	स्टार सिटी केबल,	हुड़को, दुर्ग	18	20
33	संजय गुप्ता, गुप्ता वर्ल्डविजन	तितुरडीह, दुर्ग	180	20
34	विजय चंद्राकर	केलाबाड़ी दुर्ग	72	20
<b>योग-</b>			<b>4962</b>	

### वृत्त-दुर्ग शहर पश्चिम

35	श्री रियाज खान	लूचकी पारा दुर्ग	132	20
36	श्री सुनील कुमार सोनी	शीतला नगर दुर्ग	130	20
37	श्री जीतेन्द्र नायक	शिक्षक नगर, दुर्ग	145	20
38	श्री राजेश कुमार	खण्डेलवाल कालोनी, दुर्ग	56	20
39	श्री अजय साहू	मील पारा, दुर्ग	84	20
40	श्री सी.एच.कृष्णराव	सिकोला भाठा, दुर्ग	200	20
41	श्री मिश्री गुप्ता गंजपारा,	शक्ति चौरा, दुर्ग	135	20
42	श्री संजय गुप्ता	शनिचरी बाजार, गंजपारा गुप्ता	120	20
43	श्री राजू व्यास	गंजपारा, दुर्ग	70	20
44	श्री अश्वनी चंदेल	ब्राम्हण पारा दुर्ग	144	20
45	श्री शकर लाल देवांगन	दुर्ग	105	20
46	श्री कैलाश चंद्र डग्गर	सिद्धार्थ नगर दुर्ग	90	20
47	श्री विनोद राणा	मोहन नगर गजानंद नगर,	155	20
48	श्री विजय तम्बोली	बैजनाथ पारा, दुर्ग	85	20
49	श्री प्रसन्नालिंका	जवाहर चौक, दुर्ग	211	20
50	श्री दिनेश राव सुधलवार	बैगापारा, दुर्ग	125	20
51	श्री मो. मुस्ताक	तकिया पारा, दुर्ग	222	20
52	श्री चंद्रकांत सार्व	आपापुरा, दुर्ग	59	20
53	श्री संजय तिवारी	गया नगर दुर्ग	80	20
54	श्री संजय सिंह	गायत्री मंदिर वार्ड दुर्ग	211	20
55	श्री चैतन्य नायडू	भिलाई केबल नेटवर्क	121	20
56	श्री राहुल तिवारी	पुलगाँव दुर्ग	65	20
57	एम.सुरेश	दुर्ग (उरला)	80	20

1	2	3	4	5
58	श्री नरेश सोनी, सोनी स्टार विजन	न्यू कॉलोनी गया नगर दुर्ग	140	20
योग—			2965	
<b>वृत्त—आंतरिक उत्तर</b>				
<b>निरंक</b>				
<b>वृत्त—आंतरिक दक्षिण</b>				
59	किरण सोनी	पाटन	471	10
60	प्रो. हनिफ मो.	उतर्ई केबल नेटवर्क नेवर्ई	50	10
61	प्रो. हनिफ मो.	उतर्ई केबल नेटवर्क उतर्ई	100	10
62	प्रो. पल्लव सोम	उतर्ई केबल नेटवर्क डुन्डेरा	50	10
63	श्रीमती किरण सोनी	सोनी केबल नेटवर्क जोरातराई	50	10
योग			721	
<b>भिलाई वृत्त कमांक – 1</b>				
64	श्री जी. सुरेश	सेक्टर –1 भिलाई	780	15600
65	श्री फिरोज खान	सेक्टर –1 भिलाई	78	1560
66	मो. शमीम अहमद,	सेक्टर – भिलाई	58	1160
67	श्री शिव कुमार सोनी	सेक्टर –1 भिलाई	115	2300
68	श्री बालचंद सिंह ठाकुर,	सेक्टर –1 भिलाई	190	3800
69	श्री रंजीत सिंह	आनंद सेक्टर ब्लाक एस/ए सड़क 11 भिलाई	78	1560
70	श्री गुरमीत सिंह	सेक्टर 4 भिलाई	670	13400
71	श्री अजीत दुबे	सेक्टर–6 भिलाई, एफ. एच. सेटेलाईट	330	6600
72	श्री अंकित अग्रवाल,	सेक्टर–2 भिलाई	310	6200
73	श्री नीरजपाल सिंह	सेक्टर 5 भिलाई	315	6300
74	श्रीमती रूपा चक्रवर्ती,	सेक्टर–6 भिलाई	97	1940
75	श्री डी.व्ही.एन. राजू	सेक्टर–6 भिलाई	78	1560
76	श्री अमित कुमार प्रसाद,	सेक्टर–6 भिलाई	70	1400
77	श्रीमती मीरा साव,	सेक्टर–6 भिलाई	55	1100
78	श्री रत्नाकर, पंकज भट्टाचार्य	सेक्टर–6 भिलाई	83	1660
79	श्री अंकित अग्रवाल,	सेक्टर–6 भिलाई	75	1500
80	श्री समसुल खान,	सेक्टर–7 भिलाई,	102	2040
81	श्री राजू (सखदेव सिंग)	सेक्टर–7 भिलाई,	85	1700
82	श्री प्रदीप गुप्ता,	सेक्टर–6 भिलाई,	84	1680
83	श्री नरेश राजपूत,	सेक्टर–7 भिलाई,	50	1000
84	श्री दीपक शाह	सेक्टर 7 भिलाई	110	2200
85	श्री शंभूनाथ,	सेक्टर–7 भिलाई,	96	1920

1	2	3	4	5
86	श्री विजय	भिलाई	96	1920
87	श्री चैतन्य नायडू	सेक्टर-10 भिलाई,	252	5040
88	श्री हरिन्द्र सिंह,	हुडको भिलाई,	200	4000
89	श्री पल्लव सोम,	हुडको भिलाई,	355	7100
90	श्री जी.एस.राव	एम.आई.जी. 10 भिलाई,	168	3360
91	श्री एम.सुरेश वर्ल्ड विजन	रुवाबांधा भिलाई	78	1560
92	श्री जननिंद्र सिंह,	नेहरू नगर भिलाई,	900	18000
93	श्री संदीप द्विवेदी,	माडल टाउन भिलाई, नेहरू नगर	116	2320
94	श्री जीतू	सुपेला भिलाई,	75	1500
95	श्री अनंत कुमार, बनारसी प्रसाद गुप्ता	रुवाबांधा एच.सी.एल.	70	1400
96	श्री प्रो. प्रकाश	सेक्टर 6 भिलाई	75	1500
97	श्री एम.श्री निवास,	एस.बी.आई. कालोनी सेक्टर 8 भिलाई,	65	1300
98	श्रीकांत खेड़िया,	स्मृति नगर भिलाई	425	8500
99	श्री विनोद नासिरकर,	हास्पिटल सेक्टर भिलाई,	109	2180
100	श्री राधाकृष्णन	सेक्टर-2 भिलाई	180	3600
101	प्रो.आर.पी.कोरी	रुवाबांधा सेक्टर भिलाई	60	1200
102	श्री कमाल अख्तर	फरीद नगर भिलाई	90	1800
103	श्री राजेन्द्र सिंह गुम्बर, गोविन्द सिंह गुम्बर	नेहरू नगर भिलाई,	25	500
104	श्री श्रीनिवास खेड़िया	87 / ए मार्केट भिलाई	85	1700
105	श्रीमती पार्वती मनवार	दीपक नगर दुर्ग	40	800
106	श्री अशोक शर्मा	एम.आई.जी. 2 / 184 बोरसी	50	1000
107	श्री लक्ष्मण राव, वेस्टर्न नेटवर्क	कोसानाला, दीक्षित कालोनी	70	1400
108	श्री राजीव पंजारिया, सिटी केबल नेटवर्के	प्रियदर्शनी परिसर	75	1500
109	श्री एन. रामचंद्र राव	पॉप नं.-530, बी. मार्केट, सेक्टर-6 भिलाई	50	1000
110	त्रिपाठी केबल	रुवाबांधा	50	1000
111	एम. सुरेश	सी.सी.एम. हथखोज कान्ड्रेक्टर कॉलोनी	100	2000
योग			<b>7768</b>	<b>155360</b>

### भिलाई वृत्त क्रमांक – 2

112	श्री मो.अकरम खान,	केम्प 2 भिलाई	461	9220
113	श्री राजेश सोनकर,	केम्प-2 शारदा पारा,	135	2700
114	श्री चंदूसिंह	संतोषीपारा केम्प-2 भिलाई	63	1260
115	श्री देवेन्द्र लाखवानी,	केम्प-2 भिलाई,	331	6620
116	सिटी केबल	वैशाली नगर-भिलाई	371	7420

1	2	3	4	5
117	श्री मुमताज भाईजान	केम्प-1 भिलाई,	308	6160
118	श्री जे.के. कवालिया,	हाऊसिंग बोर्ड भिलाई एम.आई.जी.सी. 2315	430	8600
119	श्री अजीत दुबे	हाऊसिंग बोर्ड भिलाई	350	7000
120	श्री सुभाष गुप्ता	हाऊसिंग बोर्ड, भिलाई	178	3560
121	श्री के.व्ही. मोहन	हाऊसिंग बोर्ड भिलाई,	90	1800
122	श्री एल. उमेश्वर राव	केम्प-1 भिलाई	96	1920
123	श्री जसपाल सिंह	जवाहर नगर भिलाई	133	2660
124	श्री संग्राम सिंह	हाऊसिंग बोर्ड भिलाई, ढांचा भवन	207	4140
125	रेड्डी विजन	ढांचा भवन भिलाई	35	700
126	श्रीमती माधुरी सिंह	वैशाली नगर भिलाई,	250	5000
127	श्री मनोज रामजी	भिलाई	62	1240
128	श्री मनोज पाण्डे	केम्प 1 भिलाई	120	2400
129	श्री संतोष कुमार,	हाऊसिंगबोर्ड भिलाई	35	700
130	श्री शमशुल खाँ	खम्हरिया	75	1500
131	आगरकट कम्प्यूटर एण्ड कम्पनी केबल	शिवाजी नगर भिलाई	300	6000
132	आर.एस. वीडियों राजन सिंह	सिरसा रोड कोहका	140	2800
<b>योग</b>			<b>4170</b>	<b>74600</b>

### भिलाई वृत्त क्रमांक – 3

133	श्री सुधीर जोशी, नम्रता जोशी	इस्पात नगर, भिलाई	120	2400
134	श्रीमती गरिमा	रिसाली भिलाई	29	580
135	श्री सिराज अहमद	मरौदा टैक रिसाली	66	1320
136	श्री रेड्डी विजन	स्टेशन मरौदा	78	1560
137	श्री नजमुज्मा सिद्धीकी,	शास्त्री मार्केट भिलाई,	428	8560
138	श्री जयंत कुमार विश्वास	मडोदा सेक्टर	348	6960
139	श्री शिव कुमार सोनी	खुर्सीपार जोन-1 भिलाई	302	6040
140	श्री नारायण ज्योति झा,	मैत्री कुंज रिसाली,	131	2620
141	श्री अजय शर्मा	रिसाली भिलाई, ओम	170	3400
142	श्री के.पी. द्विवेदी	आशीष नगर रिसाली,	120	2400
143	श्री सतीश मिश्रा	व्ही.आई.पी. नगर	42	840
144	श्री मोहन बडे,	प्रगति नगर रिसाली	264	5280
145	श्रीमती सरिता मिश्रा	ए.सी.सी. कालोनी जामुल,	186	3720
146	श्री जी. धनंजय	खुर्सीपार जोन-2	228	4560
147	पी मुरली खुर्सीपार	भिलाई जोन -3 कांति मार्केट	280	5600

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
148	संजय बंसोड़	खुर्सीपार जोन-2	178	3560
149	श्री उमापती रेड्डी	जोन-2 खुर्सीपार	63	1260
150	श्री शेख फैय्याजुदीन	राम मंदिर लेबर कालोनी जामुल	275	5500
151	एम. सुरेश श्री आर.के. विश्वास	(जनिन्द्र सिंह सोदी मैत्री नगर रिसाली	288	5760
152	श्री राम हरि निषाद	जोन-3 खुर्सीपार भिलाई	186	3720
153	श्री निखिल साढे	छावनी भिलाई	250	5000
154	श्री रामदेव एवं श्री अनिल कुमार राठी	खुर्सीपार, भिलाई	155	3100
155	श्री राम विलास	प्रगति नगर रिसाली,	80	1600
156	श्री चैतन्य नायडू	आशीष नगर पूर्व रिसाली	91	1820
157	श्री अवधेश सिंह	खुर्सीपार भिलाई	130	2600
158	श्री राम सागर	ब्लाक नं.11 रिसाली सेक्टर भिलाई नगर	63	1260
159	श्री रामकृष्ण पाढी	जोन -2 खुर्सीपार भिलाई	95	1900
160	श्री सुरेश चौधरी	रिसाली सेक्टर भिलाई	126	2520
161	श्री प्रदीप राठी	मिलन चौक न्यू खुर्सीपार	245	4900
162	श्री उमेश रजक, देव केबल नेटवर्क	रिसाली सेक्टर भिलाई	60	1200
163	श्री राजेन्द्र प्रसाद, गणपति केबल	डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर	60	1200
164	श्री मोहन राजयोग	चारीका केबल भिलाई	50	1000
165	श्री पल्लव सोम,	४डी सेक्टर-2 भिलाई	50	1000
166	श्री भूपेन्द्र यादव	न्यू खुर्सीपार भिलाई	100	2000

**योग**

**5337**

**106740**

**भिलाई वृत्त क्रमांक - 4**

167	श्री आलोक कुमार	शांति नगर भिलाई -3	275	5500
168	श्री वाई.एम.व्ही. प्रसाद	भिलाई	150	3000
169	श्री संजय उड्के	गांधी नगर भिलाई -3	240	4800
170	श्री एस. के.व्ही. एवं श्री सत्य नारायण	चरौदा पदुमनगर भिलाई	395	7900
171	श्री सुशील कुमार यादव	चरौदा जी.ई. रोड	137	2740
172	श्री विनोद बंसोड़	इंदिरा नगर बी.एम. वाई चरौदा	170	3400
173	श्री भगवती प्रसाद	बी.एम.वाय चरौदा	95	1900
174	श्री निखिल साढे	छावनी भिलाई	85	1700
175	श्री सचिन डोंगरे	वसुन्धरा नगर भिलाई 3	160	3200
176	श्री एल. वेकंट	पुरेना भिलाई	255	5100
177	श्री राजु गुप्ता	अंकर नगर देव बलोदा	90	1800

1	2	3	4	5
178	श्री जुम्मन खान	कुम्हारी	150	1500
179	श्री जयेश चावडा	कुम्हारी	160	1600
180	श्री शिव कुमार सोनी	जोन-1 खुर्सीपार भिलाई	160	3200
181	श्री लोकेश रंगारी	इंदिरा नगर, समता कालोनी चरोदा	115	2300
182	श्री शशिकांत गेडाम, चरौदा	पंचशील नगर चरौदा	65	1300
183	श्री मनीष	राजीव नगर, चरौदा	125	2500
184	श्री सुभाष कश्यप	गजरा चौक, जोन-1 चरोदा	45	900
185	श्री नितिन कुमार मेश्राम	समता कॉलोनी चरोदा	25	500
186	श्री राजेश बंछौर	कुगदा, कुम्हारी	60	600
187	श्री अवध पटेल	रायपुर चोरहा (कुम्हारी)	85	850
188	श्री भूपेश चावडा, जी. केबल	हनुमान नगर परसदा कुम्हारी	75	750
189	श्री एस.के. सत्यनारायण	सिरसाकला भिलाई-3	50	1000
190	श्री महेन्द्र वर्मा	सोमनी	60	1200
<b>योग</b>			<b>3227</b>	<b>59240</b>

<b>वृत्त-धमधा</b>				
191	श्री महाजन प्रसाद	नंदिनी माइन्स, अहिवारा	375	10
192	श्री रामकिशन आ. देमडू	नंदिनी नगर, धमधा	435	10
193	श्रीमती रजनी सोनी पति संजय कुमार सोनी	ब्राह्मण पारा धमधा	300	10
194	छ.ग. ब्राण्ड बैण्ड केबल नेटवर्क		168	10
<b>योग</b>			<b>1278</b>	
<b>महायोग-</b>			<b>30428</b>	

19. होटल में केबल 158 – उपरोक्तानुसार एफ.एल.-3 के 82 होटल एवं अन्य 76

क्र.	होटल का नाम	मासिक शुल्क
1	2	3

### दुर्ग शहर पूर्व

1	श्री रमेश चंद्र, होटल पायल, स्टेशन रोड, दुर्ग	1000
2	होटल उपवन, कातुल बोर्ड, दुर्ग	1000
3	होटल ड्रीम पैलेस, स्टेशन के पास, दुर्ग	1000
4	होटल मिलन, मालवीय नगर, दुर्ग	1000
5	होटल जन्नत, पोटिया रोड, दुर्ग	500

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6	होटल महाराजा, धमधा रोड, दुर्ग	1000
7	होटल अरुण, पद्मनाभपुर, दुर्ग	500
8	होटल रॉयल, बोरसी रोड, दुर्ग	500
9	होटल मधुबन, बोरसी चौक, दुर्ग	500
10	होटल एवन, स्टेशन रोड, दुर्ग, प्रो. सोनम नारायणी	1000
11	होटल प्लाजा, तितुरडीह दुर्ग, प्रो. श्रीमती ममता माने	1000
12	होटल एवरग्रीन, बांसपारा, दुर्ग, प्रो. गणेश गजभिये	1000
13	होटल ऋषि, रेल्वे स्टेशन के सामने, दुर्ग	1000
14	होटल स्टार, बोरसी, दुर्ग	1000
15	होटल सागर, स्टेशन रोड, दुर्ग	2000
16	होटल पंजाब, बस—स्टैण्ड, दुर्ग	1000
17	होटल सत्यम शिवम, प्रो. टी.आर. साहू गायत्री मंदिर, वार्ड—25, दुर्ग	1000
18	होटल फ्रेण्डशीप, धमधा रोड, दुर्ग	1000
19	होटल तुलीस, दीपक नगर, दुर्ग	1000
20	होटल फोरसीजन, मालवीय नगर, स्टेशन रोड, दुर्ग	1000
21	होटल ग्रीन, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
22	होटल शीला, इंदिरा मार्केट, दुर्ग	1000
23	होटल पारख, स्टेशन रोड, दुर्ग	1000
24	होटल कुणाल, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
25	होटल सिद्धार्थ, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
26	होटल वाणी, स्टेशन रोड, दुर्ग	1000
27	होटल विजय, स्टेशन रोड, दुर्ग	1000
28	होटल द एवलॉन, मालवीय नगर, दुर्ग	1500
29	होटल अल्का पैलेस, स्टेशन रोड, दुर्ग	1000
30	होटल केम्बियन, ग्रीन चौक, दुर्ग, डाय. श्री कमल कुमार	1000
31	होटल सांई लॉज, बांसपारा, दुर्ग	500
32	होटल रॉयल लॉज, स्टेशन पारा, दुर्ग	500
33	होटल जायका, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
34	होटल रैन बसेरा, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
35	होटल मंगला, पोलसाय पारा, दुर्ग	500
36	होटल जलाराम लॉज, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
37	होटल सांई राज, स्टेशन रोड, दुर्ग (राहुल ग्लानी)	500

### दुर्ग शहर पश्चिम

1	2	3
38	होटल सम्राट, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
39	होटल सुकून, नयापारा, दुर्ग	750
40	होटल मार्डन स्पोट्स एण्ड रिक्रियेशन क्लब	500
41	होटल शीतल (ओमसांई फेमिली रेस्टोरेंट), स्टेशन रोड, दुर्ग	500
42	होटल प्रिया, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
43	होटल मान, मोती पारा, दुर्ग	500
44	होटल गुलशन, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
45	होटल पहुना, पुलगांव चौक, दुर्ग	500
46	होटल प्रिंस, गंजपारा, दुर्ग	500
47	होटल न्यू इंडिया, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
48	होटल दीक्षित, तकिया पारा, दुर्ग	500
49	होटल पुरोहित, आपापुरा, दुर्ग	500
50	होटल क्वालिटी, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
51	होटल गारमेटइन, स्टेशन रोड, दुर्ग	2000
52	होटल साई पैलेस, मोती पारा, दुर्ग	500
53	होटल शगुन, उरला रोड, दुर्ग	500
54	होटल लाखेलॉज, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
55	होटल अम्बे, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
56	होटल सूर्या, स्टेशन रोड, दुर्ग	500
57	एफ.एल. 4(क) होटल गोल्डन सोशल क्लब, दुर्ग	500

### दुर्ग शहर आंतरिक उत्तर

58	होटल प्लेजर क्लब, अंजोरा, दुर्ग	1000
59	शिवनाथ क्लब कैफेटेरिया, प्रो. श्री लक्ष्मीनारायण	500
60	रॉयल ग्रीन रिसोर्ट, पिपरछेड़ी	1000

### दुर्ग शहर आंतरिक दक्षिण

1	2	3
61	एफ.एल. 4(क) मेनका सोशल क्लब, उतर्ई	500
62	होटल रॉयल गार्डन, पाटन पुल, उतर्ई	500

### भिलाई क्रमांक 1

63	श्री दिलीप सिंह, होटल वत्स, भिलाई	1500
64	श्री अभिजीत भट्टाचार्य, होटल हिमालया, सुपेला, भिलाई	1000
65	होटल आमंत्रण, सुपेला, जी.ई. रोड, भिलाई	750
66	होटल इंडियन कॉफी हाऊस, सुपेला, जी.ई. रोड भिलाई	1000
67	होटल रॉकफोर्ट, सतनाम सिंह नेहरू नगर चौक, भिलाई	1000
68	प्रबंधक भिलाई होटल भिलाई निवास दीपशिखा	2000
69	होटल सेन्ट्रल पार्क, शिवाजी कॉम्प्लेक्स, सुपेला	1500
70	होटल इंडिया, सेक्टर-10, भिलाई	1000
71	होटल माया, सुपेला भिलाई	1000
72	होटल गौरी, सुपेला भिलाई	1000
73	होटल डिल्लन, सुपेला भिलाई, ला. श्री शंकर शर्मा	750
74	होटल रायल, सिविक सेन्टर, भिलाई	1000
75	होटल ग्रीन, जी.ई. रोड, सुपेला, भिलाई ला. श्री इंद्रजीत, वार्ड क्रमांक 5	750
76	होटल मधुशाला, सुपेला, भिलाई	1000
77	होटल सुभाष, सुपेला भिलाई	1000
78	होटल रिजेन्सी, सुपेला भिलाई, श्री धरमवीर सिंह	1000
79	होटल ग्राण्ड डिल्लन, नेहरू नगर चौक, भिलाई	1500
80	होटल मूनडिलक्स, नेहरू नगर, भिलाई	1000
81	होटल राजपूताना, सुपेला भिलाई	1000
82	होटल दावत, जुनवानी रोड, भिलाई	750
83	होटल सुनील वत्स, शिवनाथ कॉम्प्लेक्स नगर निगम के बाजू सुपेला भिलाई	1000
84	होटल आक्टोपस, सुपेला भिलाई	1000
85	एफ.एल. 4 स्टील क्लब, भिलाई	1000
86	एफ.एल. 4 भिलाई क्लब, भिलाई	1000
87	होटल जैनइन, जैन प्लाजा, सुपेला, भिलाई	1500
88	होटल राजश्री, प्रियदर्शनी परिसर, नेहरू नगर भिलाई	1000

## भिलाई क्रमांक 2

क.	होटल का नाम	मासिक शुल्क
1	2	3
89	होटल शुभम्, श्री आशा नायर, पावर हाउस, भिलाई	500
90	होटल स्टील सिटी, श्री आर.के. गुप्ता नंदिनी रोड, भिलाई	750
91	होटल सोनू, श्री विनोद निझावन भिलाई	500
92	होटल अमित इंटरनेशनल, जी.ई. रोड, भिलाई ला. मीनाक्षी देवी	1500
93	होटल अनिकेत लॉज, नंदनी रोड, भिलाई, प्रो. श्री रविन्द्र नाथ	500
94	होटल चेरिओट, कोहका भिलाई, प्रो. श्री जुल्फीकार अली	500
95	होटल मेघदूत, पावर हाउस, भिलाई, प्रो. श्री निर्मल सिंह	1000
96	होटल मून, प्रो. भावना यादव	500
97	होटल पंजाब, रामनगर भिलाई, श्री राजवंत सिंह	1000
98	होटल वाईल्ड फायर, विजय बसंत काम्प्लेक्स, जी.ई. रोड, भिलाई, प्रो. श्री अभिषेक कुमार जैन	500
99	होटल आर.के., वृन्दानगर केम्प-1, भिलाई प्रो. धर्मन्द्र पाठक	1000
100	होटल सुविधा, केम्प-1 भिलाई	1000
101	होटल गोवा, डॉ राजेन्द्र प्रसाद चौक, कोहका भिलाई	1000
102	होटल ग्लासी रेस्टोरेंट, प्रो. श्रीमती प्रीति उर्फ पुष्पा	750
103	होटल अजन्ता, जुनवानी नेहरू नगर	1000
104	होटल रैनबो सिरसा रोड, कोहका भिलाई	750
105	होटल साईं लॉज एम-2, कोहका, भिलाई	500
106	होटल पॉपुलर लॉज, नंदिनी रोड, भिलाई	500
107	होटल ए.के. लॉज, रेल्वे स्टेशन, पावर हाउस, भिलाई	500
108	होटल श्रीसाईं लॉज, पावर हाउस, भिलाई	500
109	होटल सिटी पाइन्ट, रेल्वे स्टेशन, पावर हाउस, भिलाई	500
110	होटल एपिकम्यूर कोहका, भिलाई, प्रो. संजय नेवा	500
111	हो. सेंटर पाइन्ट, सद्भावना चौक, सिरसा रोड, धमधा	500

### भिलाई क्रमांक 3

1	2	3
112	होटल आशीष इन्टरनेशनल, जी.ई. रोड, भिलाई श्री आशीष कुमार गुप्ता	1500
113	होटल लवली पैलेस, जी.ई. रोड, भिलाई	1500
114	होटल पड़डा प्राइड, जी.ई. रोड भिलाई श्रीमती प्यार कौर पड़डा	750
115	होटल कुसुम, नंदनी रोड, भिलाई	750
116	प्रिया लॉज, प्रो. राकेश सूरी, टी.मार्केट, पावर हाउस भिलाई	750
117	होटल सकुन प्रो. जी.आर. मेहता, नंदनी रोड, पावर हाउस, भिलाई	750
118	केशरी लॉज, शास्त्री मार्केट, भिलाई	750
119	साकेत लॉज, विनोद गुप्ता, नंदिनी रोड भिलाई	750
120	होटल वृन्दावन, प्रो. श्री सुनील सूरी, शास्त्री मार्केट, भिलाई	750
121	अपना केशरी लॉज, सपना टॉकीज के पास, नंदिनी रोड भिलाई	750
122	होटल राधा लॉज, शांति रंजन गोड, पावर हाउस, भिलाई	750
123	होटल अजन्ता लॉज, नंदनी रोड, भिलाई, प्रो. श्रीमती रुमाली देवी	750
124	होटल आर.के. लॉज, श्रीमती सीमा आनंद, पावर हाउस चौक, भिलाई	750
125	होटल ब्लू हैवन, राजपाल सिंह, रिसाली, भिलाई-3	750
126	होटल मधुरम, प्रो. प्रवीण सिंह, रिसाली भिलाई	750
127	गुप्ता लॉज, प्रो. मनोज कुमार प्रसाद शास्त्री मार्केट, भिलाई	750
128	होटल प्रिंस, श्री हरदेव सिंह, नंदिनी रोड, पावर हाउस भिलाई	750
129	होटल अंजली (हर्ष) प्रो. अंजू जायसवाल, नंदिनी रोड, भिलाई	750
130	होटल स्काई लॉज, श्रीमती अजिया प्रकाश नंदनी रोड, भिलाई	750

131	होटल हर्ष प्रो. भानुमति कश्यप, नंदिनी रोड भिलाई	750
132	होटल ऑरियन प्रो. सोनी कौर, शिवाजी नगर, खुर्सीपार भिलाई	750
133	होटल दि.प्लाजा, रिसाली भिलाई श्री श्याम नारायण यादव	750
134	होटल नटराज (अशोका), नंदिनी रोड, भिलाई	750
135	होटल महेन्द्रा, पावर हाऊस, भिलाई श्रीमती मीरा सिंह	750
136	होटल प्रिंस, खुर्सीपार गेट, भिलाई, श्री जसवीर सिंह	750
137	होटल इम्पीरियल, शास्त्री मार्केट भिलाई प्रो. श्री गुरुविन्दर सिंह	750
138	होटल राजधानी, जामुल, प्रो. श्री मनोज कुमार सिंह	750
139	होटल जलतरंग, रिसाली, भिलाई प्रो. श्री कुमानदास साहू	750
140	होटल राप्ती, खुर्सीपार भिलाई प्रो. श्रीमती माया मिश्रा	750
141	होटल रितुफोर्ट, नंदिनी रोड भिलाई प्रो. कु. संगीता आ. कृपाशंकर, से. 5 भिलाई	750
142	होटल आशीषइन, नंदिनी रोड भिलाई	750
143	होटल आदित्य, नंदिनी रोड, पावर हाऊस भिलाई प्रो. श्रीमती अनीता केशरवानी	750
144	होटल विश्वनाथ लॉज, शास्त्री मार्केट, भिलाई	750
145	होटल एस.के. 7 भिलाई	750

#### भिलाई क्रमांक 4

1	2	3
145	होटल प्रतीक्षा, मदर टेरेसा नगर, भिलाई-3 कु. बबीता पाण्डेय आ. श्री रमेश कांत	500
146	होटल केरेबियन, ट्रांसपोर्ट नगर, भिलाई प्रो. श्रीमती दुर्गावती पाण्डेय पत्नी श्री रमेशकांत पाण्डेय, नि. हनुमान मंदिर के पास	500

147	होटल नीलकमल, चरोदा भिलाई प्रो. श्रीमती अरुणा राव आ. श्री पी.जी राव ई.डब्लू.एस. 1796, हाउसिंग बोर्ड भिलाई	500
148	होटल इन्द्रलोक, ट्रांसपोर्ट नगर, हथखोजप्रो. श्रीती पुष्पा देवी पत्नी स्व. इन्द्रल सिंह यादवएम.एल.जी.-176, एम.पी. एच. बोर्ड, भिलाई	500
149	होटल राइट, धमधा रोड, कुम्हारी प्रो. श्री हरजीत सिंह आ. श्री जनरैल सिंह, बावादीप सिंग नगर सिंधु भवन के पास, सुंदर नगर भिलाई	500
150	होटल फिलफोर्ट, जी.ई. रोड, कुम्हारी	750
151	<b>होटल रॉयल, भिलाई-3</b> <b>प्रो. हरेन्द्र राय आ. श्री रामजतन राय</b>	500
152	<b>चावला हॉलीडे रिसोर्ट, कुम्हारी</b> <b>प्रो. गुरदीप सिंह चावला</b>	500

#### धमधा वृत्त

153	होटल बबला, धमधा श्री गणेश सिंह आ. ढाल सिंह, ग्राम-धमधा	750
154	होटल सनबीच, अहिवारा श्री मनोज अग्रवाल आ. जयनारायण अग्रवाल निवासी- जामुल	750
155	एफ.एल. 4(क) वैष्णों कलब, पथरिया श्रीमती निशा सिंह पत्नी स्व. विरेन्द्र सिंह, हनुमान नगर दुर्ग	750
156	पारख लॉज, श्री हर्ष कुमार पारख आ. स्व. फकीर चंद पारख, बेमेतरा रोड, रेस्टहाउस के सामने, धमधा	750
157	एफ.एल. 3 होटल संगम बार, अहिवारा प्रो. श्री राजेश शर्मा	750
<b>महायोग</b>		<b>125000</b>

20. वीडियों — निरंक

21. भांग दुकान 01 — केम्प-1 भिलाई

**(02) कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थ अधिकारियों की सूची:-**

**नवगठित दिनांक 03.11.1984 से**

क्रं.	नाम अधिकारी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	भारमुक्त दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री जे.आर. कश्यप	जिला आबकारी अधिकारी	03.11.1984	14.06.1985
2.	श्री जयेन्द्र सिंह चन्देल	जिला आबकारी अधिकारी	14.06.1985	23.07.1988
3.	श्री ओ.पी. चतुर्वेदी	जिला आबकारी अधिकारी	23.07.1988	17.09.1991
4.	श्री प्रकाश पाण्डेय	जिला आबकारी अधिकारी	18.09.1991	12.04.1993
5.	श्री बहोरन सिंह	जिला आबकारी अधिकारी	13.04.1993	31.01.1996
6.	श्री विशाल सिंह राजपूत	जिला आबकारी अधिकारी	15.02.1996	20.01.1998
7.	श्री एम.जेड.ए. सिद्धि की	जिला आबकारी अधिकारी	21.01.1998	31.07.2000
8.	श्री बी.एल. मण्डावी	जिला आबकारी अधिकारी	01.08.2000	29.01.2002
9.	श्री यू.एस.दुबे	प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी	29.01.2002	09.03.2002
10.	श्री के.आर. जनार्दन	जिला आबकारी अधिकारी	09.03.2002	21.02.2004
11	श्री आर.के. तिवारी	जिला आबकारी अधिकारी	23.02.2004	29.10.2004
12	श्री वाय. मेश्राम	जिला आबकारी अधिकारी	30.10.2004	16.08.2005
13	श्री आर.के. तिवारी	जिला आबकारी अधिकारी	16.08.2005	31.08.2005
14	श्री एल.एल.ध्रुव	जिला आबकारी अधिकारी	01.09.2005	05.07.2007
15	श्री के.आर.जनार्दन	जिला आबकारी अधिकारी	05.07.2009	02.03.2009
16	श्री एल.एल.ध्रुव	सहायक आयुक्त आबकारी	02.03.2009	18.07.2013
17	श्री पी.एल. साहू	सहायक आयुक्त आबकारी	29.07.2013	अद्यावत

**(03) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन:-**

क्र.	अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन	कुल वेतन
1	2	3	4	5	6
1	श्री पी.एल. साहू	सहायक आयुक्त आबकारी	15600-39100	58192	72372
2	श्री सेलेस्टीन बड़ा	जिला आबकारी अधिकारी	15600-39100	39684	50864
3	श्री उदय पाण्डे	जिला आबकारी अधिकारी	15600-39100	42252	46905
4	श्री जे.के. अरोरा	सहा.जिला आबकारी अधिकारी	9300-34800	45340	55020
5	श्री बी.आर. नेताम	सहा.जिला आबकारी अधिकारी	9300-34800	41521	47381

1	2	3	4	5	6
6	श्री सी.एस. पाण्डेय	सहा.जिला आबकारी अधिकारी	9300-34800	45240	56670
7	श्री जे.पी.एन. दीक्षित	सहा.जिला आबकारी अधिकारी	9300-34800	44930	53303
8	श्री खीस्तोफर खलको	सहा.जिला आबकारी अधिकारी	9300-34800	43411	49311
9	कु. गीता परस्ते	सहा.जिला आबकारी अधिकारी	9300-34800	36946	50096
10	श्री इन्द्रशाह मंडावी	सहा.जिला आबकारी अधिकारी	9300-34800	36325	46475
11	श्री प्रभाकर शर्मा	सहा.जिला आबकारी अधिकारी	9300-34800	46930	53080
12	श्री एल.के.गायकवाड़	सहा.जिला आबकारी अधिकारी	9300-34800	35772	41952
13	श्री कोमल सिंह ठाकुर	आबकारी उप निरीक्षक	5200-20200	32075	34300
14	श्री जी.पी. प्रजापति	आबकारी उप निरीक्षक	9300-34800	39465	50615
15	श्री एस.के. नामदेव	आबकारी उप निरीक्षक	9300-34800	34961	42141
16	श्री सतीश शर्मा	आबकारी उप निरीक्षक	9300-34800	42411	56561
17	श्री सी.आर. साहू	आबकारी उप निरीक्षक	9300-34800	32183	42833
18	श्री मुकेश अग्रवाल	आबकारी उप निरीक्षक	9300-34800	35755	41405
19	श्रीमती सुप्रिया तिवारी	आबकारी उप निरीक्षक	5200-20200	29713	32975
20	श्रीमती कुसुम लता जोल्हे	आबकारी उप निरीक्षक	5200-20200	29713	32975
21	श्री चंदनसिंह चुरेन्द्र	आबकारी उप निरीक्षक	5200-20200	37051	40201
22	कु. शीलारानी एका	आबकारी उप निरीक्षक	5200-20200	22775	25304
23	श्री मलय सावित्रेय	आबकारी उप निरीक्षक	5200-20200	22775	25304
24	श्री विकास कुमार साहू	आबकारी उप निरीक्षक	5200-20200	22775	25304
25	श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय	आबकारी उप निरीक्षक	5200-20200	22775	25304
26	श्री लवकेश कुमार ध्रुव	आबकारी उप निरीक्षक	5200-20200	22775	25304
27	श्री बालकदास साहू	मुख्य आरक्षक	5200-20200	32183	37333
28	श्री आशाराम शाक्य	मुख्य आरक्षक	5200-20200	28284	34434
29	श्री देवसिंह देशमुख	आबकारी आरक्षक	5200-20200	35861	30711
30	श्री रामानन्द दीवान	आबकारी आरक्षक	5200-20200	27816	33966
31	श्री राम कुमार वर्मा	आबकारी आरक्षक	5200-20200	29826	36976
32	श्री अशोक कुमार साहू	आबकारी आरक्षक	5200-20200	25364	35514
33	श्री प्रह्लाद सिंह राजपूत	आबकारी आरक्षक	5200-20200	20491	23641
34	श्री रोशन लाल बंजारे	आबकारी आरक्षक	5200-20200	20892	24042
35	श्री रमेश कुमार तिवारी	आबकारी आरक्षक	5200-20200	18605	21255
36	श्री तारण प्रसाद शर्मा	आबकारी आरक्षक	5200-20200	18605	21255
37	श्री भीषम प्रसाद यादव	आबकारी आरक्षक	5200-20200	18605	21255
38	श्री संतोष कुमार गुप्ता	आबकारी आरक्षक	5200-20200	18605	21255
39	श्री भुनेश्वर सिन्हा	आबकारी आरक्षक	5200-20200	18605	21255
40	श्री जनार्दन प्रसाद पाण्डेय	आबकारी आरक्षक	5200-20200	18605	21255

1	2	3	4	5	6
41	श्री धनपत सिंह बघेल	आबकारी आरक्षक	5200-20200	18605	21255
42	श्री मुरलीधर सोनी	आबकारी आरक्षक	5200-20200	16105	21255
43	श्री रवीन्द्र देवांगन	आबकारी आरक्षक	5200-20200	17105	21255
44	श्री पवन कुमार ठाकुर	आबकारी आरक्षक	5200-20200	17905	21055
45	श्री जागेश्वर सिंह दाउ	आबकारी आरक्षक	5200-20200	15984	17798
46	श्री पी. माधव राव	आबकारी आरक्षक	5200-20200	30771	33921
47	श्री पुरषोत्तम साकार	आबकारी आरक्षक	5200-20200	25571	33721
48	श्री विक्रम सिंह ठाकुर	आबकारी आरक्षक	5200-20200	30571	33721
49	श्री दीपक कुमार गुप्ता	आबकारी आरक्षक	5200-20200	29192	32417
50	श्री जय सिंह ठाकुर	आबकारी आरक्षक	5200-20200	30771	33921
51	श्री शिव कुमार साहू	आबकारी आरक्षक	5200-20200	29711	35861
52	श्री रामेश्वर पाण्डेय	आबकारी आरक्षक	5200-20200	27571	33721
53	श्री सरजूराम राजवाडे	आबकारी आरक्षक	5200-20200	18491	23641
54	श्री नारायण सिंह कंवर,	आबकारी आरक्षक	5200-20200	29701	32851
55	श्री देवी प्रसाद तिवारी	आबकारी आरक्षक	5200-20200	29574	34724
56	श्री मोती लाल वर्मा	आबकारी आरक्षक	5200-20200	25660	33810
57	श्री प्रह्लादनाथ परिहार	आबकारी आरक्षक	5200-20200	24490	29640
58	श्री कन्हैयालाल पाण्डेय	आबकारी आरक्षक	5200-20200	18605	21255
59	श्री महिपाल सिंह	आबकारी आरक्षक	5200-20200	30466	26316
60	श्री गोपाल रामजी सोनी	आबकारी आरक्षक	5200-20200	30196	35348
61	श्री रामेश्वर सिंह	आबकारी आरक्षक	5200-20200	19111	21255
62	श्री सुरेश कुमार गुप्ता	आबकारी आरक्षक	5200-20200	19111	21255
63	श्री सलीम खान	लेखापाल	5200-20200	26297	33597
64	श्रीमती सुधा जलोटा	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	25141	32291
65	श्रीमती मधु शर्मा	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	25141	32291
66	श्री रवि सिंह	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	16227	18041
67	श्रीमती कीर्ति ठाकुर	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	17216	19134
68	श्री संजय सिंह ठाकुर	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	22358	24508
69	कु रोशिता केरकेटा	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	16227	18041
70	श्री देवेन्द्र कुमार	वाहन चालक	5200-20200	17241	19159
71	श्री छविलाल सिन्हा	वाहन चालक	5200-20200	16737	18602
72	श्री अनिल कुमार घिदौडे	वाहन चालक	5200-20200	16737	18602
73	श्री जे.दीपक राजू	वाहन चालक	5200-20200	16737	18602
74	श्री सुकर्वर्ती राम निषाद	भृत्य	5200-20200	19729	24839
75	श्री मनबोधीराम साहू	भृत्य	5200-20200	21894	25984

1	2	3	4	5	6
76	श्री प्रेमलाल कुलार्य	भृत्य	5200-20200	22007	23597
77	श्री श्यामसिंह सामरथ	भृत्य	5200-20200	23002	25092
78	श्री जोहर लाल महिलांग	भृत्य	5200-20200	14550	16640
79	श्री सच्चिदानन्द राय	भृत्य	5200-20200	14040	17130
80	श्री श्याम सिंह उइके	भृत्य	5200-20200	19705	22815
81	श्री कुमार उर्फ कल्लू यादव	भृत्य	5200-20200	15040	17130
82	श्री अशोक कुमार गुप्ता	भृत्य	4750-7440	16750	18683
83	श्री अब्दुल रफीक खान	भृत्य	5200-20200	15048	16638

**(04) देशी / विदेशी मदिरा समूह की जानकारी –**

**वर्ष 2011–12**

क्र.	समूह का नाम	लायसेंसी का नाम	वार्षिक राजस्व
1	2	3	4
1	पोटिया रोड समूह	नीरज मिश्रा आ. विक्रम मिश्रा	57600000
2	बांसपारा,दुर्ग समूह	महेश कुमार साहू आ. देवीसिंह साहू	66227500
3	स्टेशन एरिया, दुर्ग समूह	विनोद कुमार आ. शिवपूजन प्रसाद	76320000
4	तितुरडीह दुर्ग, एकल समूह	सुरेश कुमार साहू आ. खेमलाल साहू	16200000
5	संतराबाड़ी,दुर्ग समूह	नीन्दर कौर पत्नी बीरा सिंग	74081250
6	गंजपारा,दुर्ग समूह	छगनलाल यादव आ. हीरासिंह यादव	48935000
7	नयापारा, दुर्ग समूह	जगरनाथ सिंह आ. सत्येन्द्र सिंह	18630000
8	जेवरासिरसा समूह	देवनारायण साहू आ. चतुर साह	34392500
9	ननकट्ठी, एकल समूह	मोहम्मद इश्तयाक आ. असमुद्रदीन मियां	21600000
10	अहिवारा समूह	रविन्द्र पासवान आ. राम सुभग	48445000
11	नंदनी खुंदनी, एकल समूह	बंशीधर झा आ. सुरेश झा	4050000
12	भिंभौरी समूह	राजबहादुर शुक्ला आ. रमाशंकर शुक्ला	24317500
13	कठिया, एकल समूह	मान सिंह आ. गानी राम	3240000
14	अंजोरा समूह	घनश्याम आ. रूपसिंह	22680000
15	धमधा समूह	ललन सिंह आ. जगरनाथ सिंह	37445000
16	परपोड़ी, एकल समूह	रामाधार सिंह आ. वासुदेव सिंह	10800000
17	देवकर समूह	दिलीप सिंह आ. सुखदेव सिंह	18392500
18	साजा समूह	अभय कुमार आ. परशुराम सिंह	20892500
19	थानखम्हरिया समूह	भीम सिंह आ. झुरी सिंह	28042500

20	बेरला समूह	कृष्ण मेहता आ. महेश्वरी मेहता	42475000
21	सुपेला,भिलाई समूह	राजेन्द्र मलिक आ. दोलगोविन्द मलिक	80255000
22	वैशाली नगर,भिलाई समूह	जितेन्द्र पासवान आ. रामचरितर पासवान	45840000
23	न्यूबसंत, भिलाई समूह	रामहंस यादव आ. ललई यादव	55250000
24	जवाहर मार्केट,भिलाई समूह	विष्णु कुमार आ. प्रभुराम	50558750
25	जामुल समूह	अनिल कुमार आ. रामप्रसाद साव	24942500
26	ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई, एकल समूह	नानक सिंह आ. गुरुमुख सिंह	22680000
27	संतोषीपारा भिलाई समूह	कृष्ण पासवान आ. राम पासवान	31050000
28	सिविक सेंटर भिलाई समूह	रामखिलावन साहू आ. बगास साहू	69960000
29	रिसाली, भिलाई समूह	सुदर्शन कुमार सिंह आ. स्व. सुबन सिंह	52465000
30	पावर हाउस, भिलाई समूह	लाल मोहन भुईयां आ. रामदेनी भुईयां	60397500
31	खुर्सीपार, भिलाई समूह	बसंत कुमार सिंह आ. देवनन्दन	51255000
32	भिलाई—३ समूह	रामोतर ठाकुर आ. महावीर	54830000
33	जोरातराई समूह	उत्तम रामटेके आ. हरिशचन्द्र	17010000
34	देवबलौदा समूह	बसंत राम आ. खेलावनराम	14445000
35	चरौदा समूह	परमानंद मिस्त्री आ. नन्हकू	40125000
36	कुम्हारी समूह	रामपुकार सिंह आ. विष्णुदेव सिंह	63537500
37	उतर्ई समूह	भंवर लाल साहू आ. जनक साहू	58155000
38	बिल्हारी, एकल समूह	जितेन्द्र राम आ. वृहस्पत राम	16200000
39	पाटन समूह	जितेन्द्र रजक आ. विगु रजक	50285000
40	जामगांव, एकल समूह	सत्येन्द्र सिंह आ. डोमन सिंह	19440000
41	धनोरा समूह	शिवमंगल सेन आ. उद्देराम सेन	21060000
42	बेलौदी समूह	रमेश भोइ आ. बलभद्दर	12150000
43	अण्डा समूह	ललन सिंह आ. सुर्यदेव सिंह	38162500
44	अर्जुन्चा, एकल समूह	विकम आ. अमारु राम	17820000
45	गुंडरदेही समूह	शशांक जायसवाल आ. नारायण	41072500
46	सिकोसा समूह	रूपोतिन अधिया पत्नी गेंदलाल पटेल	17800000
47	बालोद समूह	सोहन आहुजा आ. रमेश लाल	72827500
48	करहीभदर, एकल समूह	कमलापति यादव आ. कुबेर सिंह	12960000
49	गुरुर समूह	जैबुन्निशा पत्नी शेख हबीब	30056250
50	पुर्लर समूह	दीपक ठाकुर आ. अजायब सिंह	30012500
51	डॉडीलोहारा समूह	पन्नालाल आ. भरतलाल	37827500
52	मंगचुवा समूह	माखन गोड आ. भुखन गोड	15795000
53	देवरी समूह	सदाराम यादव आ. फिरत राम यादव	15390000

54	दल्लीराजहरा समूह	चैतराम चुरेन्द्र आ. रामनाथ	25245000
55	झरनदल्ली समूह	अक्तूराम सिन्हा आ. बिहारीलाल सिन्हा	43348750
56	डौण्डी समूह	दीपक कुमार सिन्हा आ. राजकुमार सिन्हा	8477500
57	पिकरीपारा बेमेतरा समूह	दिनेश कुमार लोहिया आ. श्याम सुंदर	61882500
58	बेमेतरा-दुर्ग रोड, एकल समूह	ठाकुर राम आ. भागु राम	19980000
59	दाढ़ी समूह	कसम खान आ. युसुफ खान	13600000
60	नवागढ़ समूह	पंकज कुमार सिंह आ. शिवदत्त सिंह	31446250
61	सम्बलपुर समूह	गोविन्द शर्मा आ. कामदेव शर्मा	9826250
62	मारो समूह	ओमप्रकाश सिंह आ. जगत नारायण सिंह	10530000

### वर्ष 2012–13

क्र.	समूह का नाम	लायसेंसी का नाम	वार्षिक राजस्व
1	2	3	4
1	पेटिया रोड दुर्ग समूह	श्री अशोक कुमार शर्मा आ. रामेश्वर शर्मा	64910000
2	बांसपारा,दुर्ग समूह	श्रीमती गुरमीत कौर जौजे मंगल सिंह	87620000
3	स्टेशन एरिया, दुर्ग समूह	श्री के.वेनुगोपाल राव आ. कोठारी चलपती राव	106230000
4	तितुरडीह दुर्ग, एकल समूह	श्रीमती निर्मल कौर जौजे मनजीत सिंह कंग	22680000
5	संतराबाडी,दुर्ग समूह	श्री रमन सिंह आ. रामप्रसाद सिंह	87280000
6	गंजपारा,दुर्ग समूह	श्री कमलेश कुमार वर्मा आ. जगजीवन वर्मा	57270000
7	नयापारा, दुर्ग समूह	श्री सुरेश प्रजापति आ. केश्वर प्रजापति	28080000
8	जेवरासिरसा समूह	श्रीमती हिरोबाई साहू जौजे जयलाल साहू	62650000
9	ननकट्ठी, एकल समूह	श्री सुरेश कुमार शर्मा आ. अवदेश कुमार शर्मा	39960000
10	अहिवारा समूह	श्री सुनील शर्मा आ. भगवान दास शर्मा	64370000
11	नंदनी खुंदनी, एकल समूह	श्री प्रमोद बोरसे आ. प्रभाकाक राव बोरसे	6480000
12	अंजोरा समूह	श्री तिलक चंद बल आ. सुकदेव बल	48600000
13	धमधा समूह	श्री रमेश सिंह आ. दिपन सिंह	60360000
14	सुपेला,भिलाई समूह	श्री दिनेश सिंह आ. प्राण सिंह	98830000
15	वैशाली नगर,भिलाई समूह	श्री गिरीश सोनी आ. सतीष सोनी	68800000
16	च्यूबसंत, भिलाई समूह	श्रीमती कशमीर कौर जौजे नानक सिंह	62060000
17	जवाहर मार्केट,भिलाई समूह	श्रीमती संगीता जौजे आत्मा	55210000
18	जामुल समूह	श्री कैलाश आ. जगदीश	50130000
19	ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई, एकल समूह	श्री देववंश सिंह आ. रमा सिंह	32400000
20	संतोषीपारा भिलाई समूह	श्री राजकुमार आ. रामप्रवेश सिंह	45360000
21	सिविक सेंटर भिलाई समूह	श्रीमती चरनजीत कौर जौजे हरभजन सिंह	99300000
22	रिसाली, भिलाई समूह	श्री सुखराजी राम आ. रुखुम राम	79950000

23	पावर हाउस, भिलाई समूह	श्रीमती अमरजीत कौर जौजे अमरिक सिंह	67530000
24	खुर्सीपार, भिलाई समूह	श्रीमती फुलझारी देवी जाजे तपेश्वर सिंह	61190000
25	भिलाई-3 समूह	श्री सलीम अहमद आ. इस्माईल अहमद	68110000
26	जोरातराई समूह	श्री अखिलेश सिंह आ. गिरजा सिंह	29160000
27	देवबलौदा समूह	श्री अमरजीत कुमार आ. राजेश्वर यादव	25920000
28	चरौदा समूह	श्री लखन सिंह आ. रामदास सिंह	46780000
29	कुम्हारी समूह	श्री मोतीराम कौर आ. बिसनाथ कौर	84600000
30	उतरई समूह	श्रीमती कमलेश्वरी देशमुख जौजे सालिक राम	97960000
31	पाटन समूह	श्रीमती कलिन्द्री बाई निषाद जौजे लखन लाल	82440000
32	जामगांव, एकल समूह	श्री खेदूराम खरे आ. प्रेमाधार खरे	37800000
33	अण्डा समूह	श्री तरुण कुमार सिंह आ. हृदय नारायण सिंह	65280000

वर्ष 2013–14

क्र.	समूह का नाम	लायसेंसी का नाम	वार्षिक राजस्व
1	2	3	4
1	पोटिया रोड समूह	श्री संजय सेठी आ. पवन कुमार सेठी	80920000
2	बांसपारा समूह	श्री राणा नवीन कुमार सिंह आ. श्री राणा विरेन्द्र कुमार सिंह	119680000
3	स्टेशन एरिया समूह	श्री मनोज कुमार सोनी आ. श्री श्याम विहारी सोनी	115155600
4	तितुरडीह एकल समूह	श्री बनवाली निर्मलकर आ. रोहिदास	34000000
5	संतराबाड़ी समूह	श्री कुलवंश सिंह आ. बाला सिंह	121560000
6	गंजपारा समूह	श्री होरीलाल ठाकुर आ. बिसनाथ ठाकुर	74720000
7	नयापारा समूह	श्रीमती काश्मीर कौर पति त्रिलोक सिंह	44880000
8	जेवरासिरसा समूह	श्री चित्रा कुमार साहू आ. प्रीतम साहू	89880000
9	ननकट्ठी एकल समूह	श्री अनिल कुमार सिंह आ. बद्री सिंह	58480000
10	अहिवारा समूह	श्रीमती लीलावती देवी पल्लि विनोद प्रसाद	88200000
11	नंदनी खुंदनी, एकल समूह	श्री अरविन्द सिंह आ. श्री रामानंद सिंह	10880000
12	अंजोरा समूह	श्री अग्रसेन भोई आ. निलोभोई	73440000
13	धमधा समूह	श्री अशोक कुमार नायक आ. श्री गोबिंद चन्द्र नायक	84640000
14	सुपेला, भिलाई समूह	श्री शिवपूजन जायसवाल आ. मुसाफिर जायसवाल	113526800

<b>15</b>	वैशाली नगर समूह	श्री भगवान यादव आ. कल्पनाथ यादव	104320000
<b>16</b>	न्यूबसंत समूह	श्री विनोद यादव आ. रामबचन यादव	82360000
<b>17</b>	जवाहर मार्केट समूह	श्री दिनेश लोहिया आ. श्यामसुंदर लोहिया	73800000
<b>18</b>	जामुल समूह	श्री उद्देश रजक आ. खोरबाहरा राम रजक,	84480000
<b>19</b>	ट्रांसपोर्ट नगर समूह	श्री विजय सिंह आ. सिंगेश्वर नाथ सिंह	48960000
<b>20</b>	संतोषीपारा समूह	श्री धर्मन्द्र कुमार आ. कन्हाई सिंह	68000000
<b>21</b>	सिविक सेंटर समूह	श्री विकास अग्रवाल आ. रमेश अग्रवाल	136720000
<b>22</b>	रिसाली समूह	श्रीमती सरिता राजपूत पत्नि संतोष ठाकुर	111640000
<b>23</b>	पावर हाउस समूह	श्री बाबूलाल मौर्य आ. स्व. रामआनंद मौर्य	<b>84856572</b>
<b>24</b>	खुर्सीपार समूह	श्री श्याम बहादुर आ. मथुरा सिंह	81520000
<b>25</b>	भिलाई-3 समूह	श्री गुडदू शर्मा आ. ओपेन्द्र प्रसाद शर्मा	97680000
<b>26</b>	जोरातराई समूह	श्री वीर प्रताप सिंह आ. बलदेव सिंह	40800000
<b>27</b>	देवबलौदा समूह	श्री गगनबिहारी दास आ. श्री कमलदास	35360000
<b>28</b>	चरौदा समूह	श्री नितिन कुमार जसवानी आ. शीतलदास जसवानी	60280000
<b>29</b>	कुम्हारी समूह	श्री विक्की सिंह आ. मानसिंह	<b>66676378</b>
<b>30</b>	उतई समूह	श्री भैयालाल आ. कन्छेदलाल	138400000
<b>31</b>	पाटन समूह	श्री सत्येन्द्र पासवान आ. रामस्वरूप पासवान	115480000
<b>32</b>	जामगांव, एकल समूह	श्रीमती कशमीर कौर पत्नि नानक सिंह	57120000
<b>33</b>	अण्डा समूह	श्रीमती दुलारी देवी पत्नि कृष्णा सिंह	96405714

**वर्ष 2014–15**

क्र.	समूह का नाम	लायसेंसी का नाम	वार्षिक राजस्व
1	2	3	4
1	धमधा समूह	श्री अखंड प्रताप सिंग आ० श्री महिपाल सिंग	108657143
2	ननकट्ठी, समूह	श्री उपेन्द्र कुमार दास पिता श्री दामोदर दास	75771429
3	जेवरासिरसा समूह	श्री ताराचंद पटेल आ० श्री जयलाल पटेल	95857143

4	अहिवारा समूह	श्री हिमांशु अवस्थी आ० उमेश अवस्थी	93714285
5	कुम्हारी समूह	श्री अनिल आ० रामबृक्ष	112800000
6	चरौदा समूह	श्री रुद्रधार देवता आ० अलेख राम देवता	70857142
7	जामगांव समूह	श्री विजेन्द्र कुमार सिंग आ० आदित्य सिंग	100285714
8	भिलाई-३ समूह	श्री अगनु सतनामी आ० मंगलदास सतनामी	99600000
9	ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई समूह	कल्पना गुप्ता आ० किशोरी लाल गुप्ता	57942857
10	जोरातराई समूह	श्री गगन बिहारी दास आ. मायाधर दास	55714285
11	खुर्सीपार, भिलाई समूह	श्री दिनेश कुमार सिंह आ. राम नगीना	132942857
12	जवाहर मार्केट भिलाई समूह	श्री चोवाराम निषाद आ. मनहरण निषाद	206800000
13	ए.सी.सी. चौक जामुल समूह	श्री रमेश चौधरी आ. रामधव चौधरी	110628571
14	सुपेला भिलाई समूह	श्री मदन चंदन आ. रामभुज चंदन	137073572
15	कोहका,भिलाई समूह	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	67753231
16	जुनवानी भिलाई समूह	श्री ओतार आ. रामेश्वर	55085714
17	नेहरू नगर भिलाई समूह	श्री राकेश झा आ. बाबूलाल झा	62057143
18	सिविक सेंटर भिलाई समूह	श्री रोहित कुमार अग्रवाल	80402660
19	बांसपारा,दुर्ग समूह	मीना सिंह पत्नी राजकिशोर सिंह	138114285
20	स्टेशन एरिया, दुर्ग समूह	श्री रोहित जायसवाल आ. कमल किशोर	153771428
21	धमधा रोड दुर्ग समूह	श्री दशरथ साहू आ. सहशराम साहू	90257143
22	संतराबाडी,दुर्ग समूह	श्री सुनील आ. रमन क्षेत्रा	128314285
23	गंजपारा,दुर्ग समूह	श्री सुदर्शन प्रसाद आ. गानु प्रसाद प्रजापति	154285715
24	पोटिया रोड, दुर्ग समूह	श्री जनकराम चौहान आ. रामदयाल	42342857
25	अंजोरा समूह	श्री नीतिन सुरोज आ. सहदेव	86914286
26	अण्डा समूह	श्री मानस नायक आ. टीकाराम नायक	97942857
27	पद्मनाभपुर दुर्ग समूह	कुमारी साहू पत्नी दानीराम साहू	94771428
28	रिसाली, भिलाई समूह	श्री बृजकिशोर भारती आ. श्यामलाल भारती	98400000
29	मडौदा समूह	श्री सुतिन्द्रजीत सिंह आ. करमवीर सिंह	98857143
30	उतरई समूह	श्री अरुण तिवारी आ. विश्वनाथ तिवारी	142285715
31	पाटन समूह	श्री मनोज कुमार मिश्रा आ. कालानंद मिश्रा	155571429

## वर्ष 2015–16

क्र.	समूह का नाम	लायसेंसी का नाम	वार्षिक राजस्व
1	2	3	4
1	धमधा समूह	नीतू सिंह पति सुरेन्द्र सिंह	122571429
2	ननकट्ठी, समूह	दीनबन्धु पलई आ. नारायण पलई	100285714
3	जेवरासिरसा समूह	अजीत यादव आ. छोटेलाल यादव	100371429
4	अहिवारा समूह	हरिहर नायक आ. बबन नायक	120185714
5	कुम्हारी समूह	चंद्रहास चंद्राकर आ. खम्हनलाल चंद्राकर	128742857
6	चरौदा समूह	करुणा पत्ति कलीपदा बरत	75785714
7	जामगांव समूह	लक्ष्मीकांत द्विवेदी आ. अमृतलाल द्विवेदी	118285714
8	भिलाई-3 समूह	घासीराम धनकर आ. झोलाराम धनकर	103571429
9	ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई समूह	शुहीना परवीन पत्ति साहब असमद	64285714
10	जोरातराई समूह	अशोक सिंह आ. बांके बहादुर सिंह	72000000
11	खुर्सीपार, भिलाई समूह	हरिसदन मोदक आ. भोलानाथ मोदक	127971429
12	जवाहर मार्केट भिलाई समूह	कुबेर नारायण अग्रवाल आ. शिव कुमार अग्रवाल	201085714
13	ए.सी.सी. चौक जामुल समूह	उदय नारायण शर्मा आ. जयराम शर्मा	113428571
14	सुपेला भिलाई समूह	राकेश जायसवाल आ. रामकृपाल जायसवाल	203985714
15	कोहका,भिलाई समूह	ओम प्रकाश मौर्या आ. जय प्रकाश मौर्या	99000000
16	जुनवानी भिलाई समूह	चंदेश भारती गोस्वामी आ. सुरेश भारती गोस्वामी	94100000
17	नेहरू नगर भिलाई समूह	श्री नीतेश कुमार वासनिक आ. राजेश वासनिक,	93014286
18	सिविक सेंटर भिलाई समूह	श्री उत्तम रामटेके आ. हरिशचंद्र रामटेके	98528571
19	बांसपारा,दुर्ग समूह	श्री राजू शर्मा आ. रवि शर्मा	132614286
20	स्टेशन एरिया, दुर्ग समूह	रीना सिंह पत्ति कुन्दन सिंह	143914286
21	धमधा रोड दुर्ग समूह	चरण सिंह यादव आ. रतन सिंह यादव	104142857
22	संतराबाडी,दुर्ग समूह	शिवराम विभार आ. शुराम विभार	122428571
23	गंजपारा,दुर्ग समूह	मोहम्मद शमीम आ. मोहम्मद मोइनुद्दीन	151942857
24	पोटिया रोड, दुर्ग समूह	पतिराम फरकुण्डे आ. गोविन्द फरकुण्डे	77142857
25	अंजोरा समूह	सरिता देवी पत्ति धनंजय प्रसाद गुप्ता	92571429
26	अण्डा समूह	ललिता आर्या पत्ति सूर्य नारायण मालीरेडी	100228571
27	पदमनाभपुर दुर्ग समूह	विजय चौधरी आ. राम चौधरी	111700000
28	रिसाली, भिलाई समूह	भैयाराम लहरे आ. बुधारूराम लहरे	104771429
29	मडौदा समूह	रामेश्वर सिंह आ. तुलसी सिंह	104342857
30	उतरई समूह	मोहम्मद गुलाम सरवर आ. मोहम्मद निजामुद्दीन	165071429
31	पाटन समूह	देवेन्द्र वर्मा आ. रामावतार वर्मा	190500000

**(10) जिले में स्थित छविगृह का प्रवेश दर एवं दर्शक क्षमता की जानकारी**

क्र.	छविगृह का नाम	कुल बैठक क्षमता क्लासवाईस				कुल बैठ क्षमता का योग	वर्ष 2014–15 में दिया गया टैक्स	सितम्बर तक दिया गया टैक्स
		बाल्कनी	रिजर्व	अपर	लोवर			
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1	अप्सरा, दुर्ग	219	580	---	---	799	68200	105462
2	शारदा, दुर्ग	---	150	412	---	562	---	---
3	तरुण, दुर्ग (बिंग)	73	422	102	---	597	1535715	1904140
4	स्वरूप, दुर्ग (बंद)	419	494	163	---	1076	123537	---
5	श्री व्यंकटेश्वर, भिलाई	387	264	78	---	729	1030027	610207
6	चूू बसंत, भिलाई	287	249	487	---	1023	836459	407080
7	चन्द्रा, भिलाई	196	464	---	127	787	416794	285589
8	मौर्या, भिलाई	511	488	---	172	1171	1832582	607894
9	सपना, भिलाई	360	470	---	300	1130	---	---
10	पी.वी.आर.सिनेमास भिलाई	198	447	153	---	798	11768036	8634416
11	गीत सिनेमा भिलाई	46	685	200	---	931	6304196	6094604
	योग—	<b>2452</b>	<b>3581</b>	<b>1242</b>	<b>599</b>	<b>8672</b>	<b>23915546</b>	<b>18649392</b>

टीप :- वर्ष 2015–16 में दुर्ग जिले हेतु प्राप्त मनोरंजन कर वार्षिक निर्धारित राजस्व लक्ष्य 90,00,000 है ।

**(11) देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के आबंटन एवं प्रक्रिया वर्ष 2015–16 की जानकारी:-**

**11(अ) कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने की प्रक्रिया :-**

- (1) कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने के लिए सर्वप्रथम जिले का कोड क्रमांक, जो प्रथम दो अंकों का होगा, इसके बाद समूह का अनुक्रमांक जो द्वितीय दो अंकों का होगा, एवं तत्पश्चात आवेदन क्रमांक जो तृतीय पांच अंकों का होगा, अंकित रहेगा, तदनुसार दुर्ग जिले के लिए कोड क्रमांक 02 आबंटित किया गया है ।
- (2) आवेदकों के द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों के लिये समूहवार पंजी संधारित की जावेगी । समूहवार संधारित पंजी में प्राप्त आवेदन पत्र पर पहले जिले का कोड क्रमांक तत्पश्चात समूह का अनुक्रमांक फिर प्राप्त आवेदन पत्र का क्रमांक क्रमशः अंकित किया जाकर आवेदन पत्र के ऊपर दर्शित कियाजावेगा ।
- (3) आवेदकों के द्वारा ऑन–लाईन आवेदन किये जाने के उपरांत आवेदक के आवेदन पत्र पर कम्प्यूटर के माध्यम से रेन्डम पंजीयन नंबर अंकित हो जायेगा । आवेदक आवेदन जमा करने के प्रमाण स्वरूप आवेदन पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेंगे । आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात आवेदक आबकारी

विभाग की वेबसाईट [www.excise.cg.nic.in](http://www.excise.cg.nic.in) से उपरोक्तानुसार आबंटित रेन्डम पंजीयन नंबर द्वारा उस समूह के सम्पूर्ण कोड क्रमांक युक्त वास्तविक पंजीयन नंबर (प्राप्ति अभिस्वीकृति) प्राप्त कर सकते हैं।

- (4) आवेदकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने पर उनके आवेदन पत्र के लिये जो वास्तविक पंजीयन नंबर (प्राप्ति अभिस्वीकृति) दिया जावेगा उस वास्तविक पंजीयन नंबर में जिले का कोड क्रमांक, समूह का अनुक्रमांक एवं आवेदन पत्र का क्रमांक जो उस समूह/आवेदक के लिये सम्पूर्ण कोड क्रमांक कहलायेगा, अंकित किया जाकर, वास्तविक पंजीयन नंबर दिया जावेगा। उदाहरण के लिये इस जिले का कोड क्र.-02 समूह का अनुक्रमांक-15 व आवेदन पत्र का क्रमांक 115 है, उसे इस प्रकार अंकित किया जावेगा।

**021500115**

- (5) जिन समूहों के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उन समूहों को सर्वप्रथम चयन के लिये घोषित किया जावेगा, तत्पश्चात् जिन समूहों के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उन समूहों के लिए बढ़ते कम से प्राप्त आवेदन पत्र अनुसार समूहों के चयन की प्रक्रिया अपनाई जावेगी अर्थात् जिस समूह में कम आवेदन पत्र रहेंगे, उन समूहों को पहले, इसी प्रकार बढ़ते कम के आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार समूहों के चयन की कार्यवाही की जावेगी।
- (6) दुर्ग जिले के लिए लॉटरी निकालने की नियत तिथि **28.02.2015** के पूर्व समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची कलेक्टर/कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला दुर्ग के सूचना पटल पर सभी आवेदकों के अवलोकन के लिये प्रदर्शित की जावेगी, जिसमें भी उपरोक्तानुसार कोड नंबरों की जानकारी अंकित रहेगी। **लॉटरी निकालने के पूर्व पात्र आवेदनों एवं निरस्त आवेदनों की पृथक-पृथक सूची सूचना पटल पर चर्चा किया जावेगा।**
- (7) लॉटरी निकालने के दिवस को लॉटरी द्वारा चयन प्रक्रिया के स्थल पर केवल उन्हीं आवेदकों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को प्रवेश दिया जायेगा जिनके पास संबंधित समूह के लिये किए गए आवेदन पत्र की विधिवत प्राप्ति अभिस्वीकृति होगी।

- (8) एक आवेदक/फर्म/एच.यू.एफ./कम्पनी को जिले में केवल दो समूह की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबंटन किए जाने का प्रावधान है। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले जिन समूहों में कम आवेदन प्राप्त होते हैं, पहले उन समूहों के चयन की कार्यवाही की जावेगी, ताकि पहले घोषित समूहों में यदि किसी आवेदक को दो समूह आबंटित हो जाते हैं, तो अगले समूह के चयन की प्रक्रिया में उसका चयन होने पर विचार करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा, तथा अगले कम पर आने वाले आवेदक से प्रथम, द्वितीय, तृतीय आवेदक का चयन किया जा सकेगा।
- (9) कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने में नम्बरों का प्रयोग करते समय सर्वप्रथम जिले का कोड कमांक, जो प्रथम दो अंकों का होगा, इसके बाद समूह का अनुक्रमांक जो द्वितीय दो अंकों का होगा, एवं तत्पश्चात् आवेदन पत्र कमांक जो तृतीय पांच अंकों का होगा, अंकित किया जाकर लॉटरी निकालने की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।
- (10) यदि प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय चयनित आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती है और विहित औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं या दुकान/दुकानों के समूह हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आबंटन को निरस्त कर दिया जावेगा तथा दुकान/दुकानों के समूह के पुर्णव्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

#### 11(ब).आवेदन पत्र की प्रविष्टि तथा लॉटरी प्रक्रिया :-

वर्ष 2015–16 के लिये देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि तथा कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने के संबंध में निम्न बिन्दुओं का पालन किया जावेगा:-

- (1) वर्ष 2015–16 के लिए दुर्ग जिले के समूहों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण किये जाने पश्चात् आवेदन परीक्षण उपरांत निरस्त किये जाते हैं, तो उनके पर्याप्त कारणों का उल्लेख किया जावेगा।
- (2) एन.आई.सी. (डाटा एंट्री) कक्ष में केवल अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते हैं, एवं किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।

- (3) कलेक्ट्रेट परिसर जहां पर कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकाली जावेगी, वहां कम्प्यूटर से लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को सभी आवेदकों की सहूलियत के लिए बड़े पर्दे पर दिखाया जावेगा।
- (4) चयन के दिन कम्प्यूटर के द्वारा लॉटरी का वास्तविक ड्रा निकालने के पूर्व आवेदकों को ड्रा निकालने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी जावेगी, एवं उनके समक्ष छद्म ड्रा (मॉक डिमास्ट्रेशन) जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु कम से कम तीन बार अवश्य कराया जायेगा, ताकि कोई आवेदनकर्ता संशय की स्थिति में न रहे। इस संबंध में आम सूचना भी प्रकाशित की जावेगी।
- (5) छद्म ड्रा (मॉक डिमास्ट्रेशन) कराने की प्रक्रिया एवं जितनी बार छद्म ड्रा (मॉक डिमास्ट्रेशन) कराया जायेगा, उस समय उपस्थित आवेदकों/अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यवाही विवरण तैयार किया जावेगा। इसी तरह वास्तविक ड्रा की कार्यवाही का विवरण भी जिस समय प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी, उस समय से प्रक्रिया के अंत तक की कार्यवाही का विवरण तैयार कर फैक्स द्वारा आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर को उसी दिन अनिवार्य रूप से भेजा जावेगा।
- (6) प्रत्येक समूह का ड्रा निकालने के पश्चात् उसका प्रिंट आउट निकाला जायेगा, तथा उस पर कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। यदि संबंधित समूह के चयनित आवेदकों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी स्थल पर उपस्थित होंगे तो उनके भी हस्ताक्षर लिये जावेंगे। प्रिंट आउट की मूल प्रति सील कर सुरक्षित रखी जावेगी।

वर्ष 2015–16 के लिये देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की शर्तें

**1) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञापन अवधि:-**

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञापन अवधि दिनांक 01.4.2015 से 31.03.2016 तक एक वित्तीय वर्ष रहेगी।

**2) देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापन एवं समूह का निर्धारण :-**

- (2.1) दुर्ग जिले में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को, भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे से नजदीक स्थित, यथासंभव एक एवं अधिक से अधिक दो देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह बनाये गये हैं। यथासंभव एक ही स्थान की देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को उक्त सीमा के अध्यधीन रहते हुए एक ही समूह में रखा गया है।

- (2.2) इस जिले में शासकीय राजस्व हित में रूपये 10.00 करोड़ से अधिक राजस्व वाले 22 समूहों को बनाया गया है। जिसकी पूर्व स्वीकृति का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त छ.ग. रायपुर को भेजा गया है।
- (2.3) आगामी वर्ष 2015–16 के लिए एक आवेदक/फर्म/एच.यू.एफ.कंपनी को जिले में केवल दो समूह की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबंटन किया जा सकता है, किन्तु किसी भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/एच.यू.एफ.कंपनी) से जिले में एक समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- (2.4) वित्तीय वर्ष 2015–16 में दुर्ग जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के ऑन–लाईन प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 581 रायपुर दिनांक 10.02.2015 को प्रकाशित/प्रसारित की गई विज्ञप्ति में दिये गये हैं। जिसमें दुर्ग जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिये प्रोसेस फीस, निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, ड्यूटी की राशि, लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक राजस्व लक्ष्य, प्रतिभूति धनराशि एवं एक माह की लायसेंस फीस की राशि, माह अप्रैल 2015 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि आदि की जानकारी अंकित है। उक्त विज्ञप्ति आबकारी विभाग के वेबसाईट [www.excise.cg.nic.in](http://www.excise.cg.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

### **3) प्रोसेस फीस :-**

- (1) वर्ष 2015–16 के लिये देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को आवेदन प्रणाली में आबंटन प्राप्त करने के लिये इच्छुक आवेदनकर्ताओं के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक समूह के आवेदन हेतु 5000/- रखी गई है।
- (2) उक्त प्रोसेस फीस सहायक आयुक्त आबकारी जिला–दुर्ग के पक्ष में, राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शेड्यूल कर्मशियल बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के मूख्य शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क 800 अन्य प्राप्तियां 0761 विविध प्राप्तियां (देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह हेतु प्रोसेस फीस) के मद में चालान द्वारा जमा करायी जाकर, आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर अथवा चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी और न ही यह राशि लायसेंस प्राप्त न होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी।

**4) देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के आबंटन के लिये आवेदन पत्र :—**

- (4.1) इच्छुक आवेदनकर्ता वर्ष 2015–16 के लिए आवेदन प्रणाली में आबंटित की जाने वाली देशी/विदेशी मदिरा के समूह में सम्मिलित फुटकर दुकान/दुकानों की सूची वार्षिक निर्धारित न्युनतम प्रत्याभूत की मात्रा, वार्षिक ड्यूटी की राशि, वार्षिक लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक मूल्य, निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 वे भाग के बराबर धनराशि एवं वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12 वे भाग के बराबर प्रतिभूति की धनराशि एवं 1 माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि व समूह के लिये निर्धारित प्रोसेस फीस आदि की जानकारी दुर्ग जिले के कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आबकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार/नगर निगम/नगर पालिका के कार्यालय एवं इसके अतिरिक्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड्ढनदस्ता एवं छ.ग. बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी तथा आबकारी विभाग के वेबसाइट **www.excise.cg.nic.in** पर भी उपलब्ध है।
- (4.2) आवेदनकर्ता 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन के लिये आवेदन पत्र परिशिष्ट–02 शपथ पत्र व अशिक्षित/अर्द्ध शिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप परिशिष्ट– 04 व 03 है जो आबकारी आयुक्त कार्यालय की विज्ञप्ति के साथ भी प्रकाशित किए गए हैं, सहायक आयुक्त आबकारी जिला दुर्ग के कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। इसे आबकारी विभाग के वेबसाइट **www.excise.cg.nic.in** पर भी उपलब्ध करायी गयी है। आवेदन पत्र व शपथ–पत्र तथा अशिक्षित/अर्द्ध शिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र निर्धारित प्रारूपों पर ही किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज की स्कैन की गई फोटो लगाई जावेगी। स्कैन की गई फोटो की साईज 20 के.बी. से 50 के.बी. के बीच एवं रिजोल्युशन न्युनतम 144X144 px (पिक्सल) का होना चाहिए।
- (4.3) किसी भी इच्छुक आवेदनकर्ता के द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन हेतु आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्धारित किए गए आवेदन पत्र के प्रारूप पर निर्धारित तिथि व समय तक ऑन लाइन आवेदन किया जा सकता है। चयनित आवेदनकर्ता को चयन की

सूचना के तीन कार्य दिवस के भीतर विहित प्रारूप मे अपने प्रमाणित फोटोग्राफ सहित पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र के साथ निम्नलिखित मूल अभिलेख के साथ सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा स्थिति मे चयनित आवेदक का चयन अस्वीकृत कर दिया जावेगा ।

- (i) आयु प्रमाण के लिए— म्युनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न प्रारूप मे दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राईविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। जांच पश्चात् मूल प्रति आवेदक को वापस की जावेगी।
- (ii) स्थायी निवास के प्रमाण के लिए— मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राईविंग लायसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट, इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतिलिपि भी संलग्न होना अनिवार्य है। जांच पश्चात् मूल प्रति आवेदक को वापस की जावेगी।
- (iii) आवेदक को आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य है।
- (4.4) वर्ष 2015–16 के लिए कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/एच.यू.एफ.कंपनी) एक जिले में एक समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

#### **(4.5) ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करना :—**

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह हेतु अनुज्ञाप्ति स्वीकृति के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में “ऑन लाईन” आवेदन पत्र निर्धारित प्रोसेस फीस (5000/- प्रति समूह) के साथ “ई–पेमेंट के माध्यम से” निर्धारित तिथि एवं समय तक निम्नानुसार जमा किये जा सकते हैं :—

- जिले के मदिरा दुकानों/समूहों की अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ऑन लाइन जमा किए जायेंगे। आवेदन पत्र [www.excise.cg.nic.in/eApplication](http://www.excise.cg.nic.in/eApplication) के वेब साईट में उपलब्ध रहेगा।

2. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक 11.02.2015 को सुबह 10.30 बजे से दिनांक 25.02.2015 को सायंकाल 5:30 बजे तक अनवरत रहेगी ।
3. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत प्रणाली में आवेदक को आवेदन में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न (Attach) करना अनिवार्य होगा, फोटो में आवेदक का चेहरा स्पष्टता दर्शित होना आवश्यक है, स्कैन फोटो का साइज 20 के.बी. से 50 के.बी. के बीच एवं रिजोल्यूशन न्यूनतम 144 X 144PX(पिक्सल)का होना चाहिए ।
4. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली आवेदक को आवेदन में अपने पेन कार्ड के अग्रभाग को रक्कैन, कर संलग्न (Attach) करना अनिवार्य होगा एवं पेन कार्ड के रक्कैन Image का साइज 40 के.बी. से 80 के.बी. के बीच एवं रिजोल्यूशन न्यूनतम 300 X 150PX (पिक्सल) का होना चाहिए ।
5. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदक को आवेदन जमा करते समय प्रति समूह रूपये 5000/- की प्रोसेस फीस की राशि **ऑन लाईन फन्ड ट्रान्सफर** की प्रक्रिया के तहत जमा करना होगा । इस हेतु भारतीय स्टेट बैंक के Payment Gateway में उपलब्ध बैंकों में संचालित खातों में से आन लाइन प्रक्रिया के तहत राशि ट्रान्सफर की जा सकेगी । प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञाप्ति स्वीकृत न होने पर वापसी योग्य होगी ।

इसी प्रकार **इन बैंकों के डेबिट कार्ड** के माध्यम से भी प्रोसेस फीस की राशि जमा की जा सकेगी । ऑन लाईन फन्ड ट्रान्सफर की प्रक्रिया में लगने वाले शुल्क का वहन आवेदक को स्वयं करना होगा ।

6. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली के तहत भारतीय स्टेट बैंक के पेमेंट गेटवे में 50 बैंक संयोजित हैं जो कि निम्नानुसार है :—

S.No.	Bank Name	S.No.	Bank Name
1	ALLHABAD BANK	26	KARUR VYSYA BANK
2	ANDHRA BANK	27	KOTAK BANK
3	BANK OF BAHRAIN KUWAIT	28	LAKSHMI VILAS BANK (CORPORATE)
4	BANK OF BARODA (CORPORATE)	29	LAKSHMI VILAS BANK (RETAIL)
5	BANK OF BARODA (RETAIL)	30	ORIENTAL BANK OF COMMERCE

6	BANK OF INDIA	31	PUNJAB & SINDH BANK
7	BANK OF MAHARASTRA	32	PUNJAB NATIONAL BANK (CORPORATE)
8	CANARA BANK	33	PUNJAB NATIONAL BANK (RETAIL)
9	CATHOLIC SYRIAN BANK	34	RATNAKAR BANK
10	CENTRAL BANK OF INDIA	35	SARASWAT BANK
11	CITY UNION BANK	36	SHAMRAO VITHAL CO-OP BANK LTD
12	CORPORATION BANK	37	SOUTH INDIAN BANK LTD
13	DCB BANK	38	STANDARD CHARTERED BANK
14	DENA BANK	39	SYNDICATE BANK
15	DEUTSCHE. BANK	40	STATE BANK OF BIKANAR & JAIPUR
16	DHANALAXMI BANK	41	STATE BANK OF HYDERABAD
17	FEDERAL BANK	42	STATE BANK OF MYSORE
18	HDFC BANK LIMITED	43	STATE BANK OF PATIALA
19	IDBI BANK	44	STATE BANK OF TRAVANCORE
20	INDIAN BANK	45	TNSC BANK
21	INDIAN.OVERSEAS BANK	46	UCO BANK
22	INDUSIND BANK	47	UNION BANK OF INDIA
23	ING VYASYA BANK	48	UNITED BANK OF INDIA
24	JAMMU & KASHMIR BANK	49	VIJAYA BANK
25	KARNATAKA BANK	50	YES BANK

उपरोक्त संयोजित बैंकों के सभी शाखाओं में संचालित खातों के खातेधारकों को जिन्हें **इन्टरनेट बैंकिंग** की सुविधा उपलब्ध होगी उनके ही खातों से प्रोसेस फीस की राशि ट्रान्सफर हो सकेगी ।

इस प्रकार उपरोक्त बैंकों के द्वारा जारी निम्नानुसार प्रकार के **एटीएम–कम डेबिट कार्ड** से भी प्रोसेस फीस की राशि जमा की जा सकेगी :—

S.No.	CARD TYPE
1	GOLD MAGNETIC STRIPE DEBIT CARD
2	GOLD CHIP DEBIT CARD
3	PLATINUM DEBIT CARD
4	YUVA CARD
5	VISA GOLD
6	MASTER GOLD
7	MASTER PLATINUM CARD
8	VISA PLATINUM CARD
9	INTERNATIONAL CARD
10	SILVER CARD (16 DIGIT VISA/MASTER CARD)
11	CLASSIC CARD (16 DIGIT VISA/MASTER CARD)
12	DOMESTIC CARD
13	DRISHTI CARD

7. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करने हेतु प्रोसेस फीस की राशि आवेदन के खाते से ऑन लाइन ट्रान्सफर हो जावें परन्तु आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण न हो सके तो ऐसी स्थिति में संबंधित आवेदक/आवेदकों के प्रोसेस फीस की राशि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत वापस की जावेगी ।
  - 8 (i) ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदक ऑन लाइन आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी की प्रविष्टि कर किसी जिले की एकाधिक समूहों के लिए आवेदन कर सकेगा । एक साथ एकाधिक समूहों में आवेदन जमा करने की स्थिति में आवेदित समूहों की संख्या के गुणांक में प्रोसेस फीस की कुल राशि आवेदक के बैंक खाते से ऑन लाइन ट्रान्सफर हो जावेगी ।
  - (ii) ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन करते समय आवेदकों की सुविधा के लिए जिलेवार/समूहवार विस्तृत जानकारी का लिंक पोर्टेबल डाक्यूमेंट फार्मेट (Pdf) में उपलब्ध रहेगा ।
  - 9 ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करते समय निर्धारित प्रोसेस फीस की राशि की अदायगी पश्चात् ही संबंधित आवेदक का आवेदन जमा माना जावेगा । तत्पश्चात् 9 अकों का रेण्डम (Random) पंजीयन नम्बर की जानकारी आवेदक के मोबाईल नंबर में लघु संदेश(sms) द्वारा एवं E-mail ID में E-mail संदेश के द्वारा भेजी जावेगी । रेण्डम नम्बर अक्षरांकीय (ALPHA NUMERIC) होगा ।
  - 10 आनें लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में ऑन लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय समस्त आवेदकों के मोबाईल नंबर में वास्तविक पंजीयन नंबर की जानकारी लघु संदेश सेवा(sms) के द्वारा तथा E mail ID में E mail संदेश के द्वारा भेजा जावेगा ।
- टीप:-** वास्तविक पंजीयन नम्बर की जानकारी का प्रिंट आवेदक द्वारा किये गये आवेदन की प्राप्ति अभिस्वीकृति होगी ।
- 11 ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में मोबाईल नंबर एवं E-mail ID की गलत प्रविष्टि की जाती है अथवा तकनीकी कारणों से यदि विभाग द्वारा प्रेषित की जाने वाली लघु संदेश सेवा (sms) व (E-mail) संदेश आवेदक को संसूचित नहीं हो पाती तो विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।

- 12 ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदक ऑन लाइन आवेदन जमा करने के पश्चात् अपने आवेदन का प्रिन्ट निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं।
- 13 ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करने के पश्चात् भी आवेदक अपने आवेदन पत्र की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में जाकर PAN एवं जन्म तिथि की प्रविष्टि कर ऑन लाइन प्राप्त कर सकते हैं।
- 14 ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली के अन्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/समुहों के व्यवस्थापन प्रणाली के तहत चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में वर्णित जानकारियों के समर्थन में मूल अभिलेखों के साथ चयन के **तीन कार्य दिवस** के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 15(i) आवेदकों की सुविधा के लिए विभाग के वेबसाइट में ऑन लाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित सचित्र यूजर मेनुअल उपलब्ध कराया गया है।
- 16 ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को होने वाली किसी भी असुविधा/तकनीकी असुविधा के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
17. ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत अपरिहार्य स्थिति में निर्धारित तिथियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित रहेगा।
18. ऑन लाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रणाली के अंतर्गत कोई भी आवेदक राज्य के किसी भी जिला से ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदकों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर में हेल्प लाईन नम्बर 0771–4287925 एवं 0771–4287928 प्रारंभ किया गया है जिसमें इच्छुक आवेदक अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रातः 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- (4.6) आवेदक को जिले के सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र शपथ पत्र तथा अशिक्षित/अर्धशिक्षित आवेदक हेतु जन्मतिथि के लिये मजिस्ट्रेट / नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह के लिए ऑन लाईन आवेदन किया जा सकेगा अर्थात् जिला कार्यालय से प्रपत्रों का वितरण नहीं किया

जाकर, केवल प्रपत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया जावेगा, जो सर्वसाधारण की जानकारी के लिए जिला कार्यालय के सूचना पटल पर भी चस्पा कर दिया जावेगा, ताकि संबंधित आवेदक द्वारा इन निर्धारित प्रारूपों को उपयोग में लाया जा सके। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिये मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र के प्रारूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र व शपथ पत्र तथा अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिये मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र के निर्धारित प्रारूपों में किसी आवेदक द्वारा संशोधन या परिवर्तन / परिवर्धन किया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्र/आवेदन पत्रों को समिति द्वारा जांच के समय निरस्त किये जाने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

## 5. आवेदकों के लिए पात्रता की शर्त :-

- (क) देशी/विदेशी मंदिरा की दुकान/दुकानों के समूह के लाइसेंस की पात्रता के लिये आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी—
  - (1) भारत का नागरिक हो ।
  - (2) 21 वर्ष से अधिक आयु हो ।
  - (3) आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित न हो। इन नियमों के नियम 13 के अधीन व्यतीकरणी सूची में सम्मिलित न हो ।
  - (4) आवेदक को दुकान/समूह आबंटित होने पर आपत्तिरहित स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त स्थान रखता हो या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता हो ।
  - (5) आवेदक का नैतिक चरित्र अच्छा हो, और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो, तथा उसको आबकारी अधिनियम 1915 या स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम 1985 या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध में दंडित न किया गया हो ।
  - (6) आवेदनकर्ता के अनुज्ञाप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला जहां का वह निवासी है, के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा कि उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है ।

- (7) आवेदक के अनुज्ञाप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संकामक या छुआछुत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी ।
- (8) आवेदनकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय न हो ।
- (9) आवेदक आयकर विभाग द्वारा आबंटित स्थायी लेखा संख्या (**Permanent Account Number**) धारित करता हो ।
- (ख) इस नियम के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) से (9) तक की शर्तों के प्रमाण स्वरूप आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ ही विहित प्रारूप में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र एवं पैन नंबर की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा ।

## 6. चयन प्रक्रिया :-

01. किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में कलेक्टर दुर्ग द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालकर दुकान/समूहों के अनुज्ञापी (लाइसेंसी) का चयन किया जावेगा । यह कार्यवाही निम्न समिति के समक्ष की जावेगी ।
- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| (i) जिले के कलेक्टर              | अध्यक्ष     |
| (ii) जिले के सहायक आयुक्त आबकारी | सदस्य, सचिव |
02. चयनित आवेदक को निम्नानुसार दर्शाई गई समय-सीमा में अग्रिम लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूमि राशि जमा करना अनिवार्य होगा ।
- |  |  |
|--|--|
| (i) माह अप्रैल 2015 की लायसेंस फीस अग्रिम के रूप में दिनांक 27-3-2015 तक जमा करना अनिवार्य होगा । यह राशि नगद/राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शेड्यूल कमर्शियल बैंक के ड्राफ्ट /बैकर्स चेक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा की जा सकती है ।   |  |
| (ii) चयनित समूह के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि, नगद अथवा बैंक गारंटी के रूप में तथा वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति (सिक्यूरिटी डिपाजिट) की धनराशि नगद/राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक /बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा । वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वां भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि आवेदक को अपने चयन की सूचना प्राप्ति के एक दिवस के अंदर जमा करना होगा । वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि दिनांक 30 अप्रैल 2015 तक जमा करना होगा । |  |

03. किसी देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में कलेक्टर दुर्ग द्वारा कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालकर दुकान/समूहों के अनुज्ञापी (लायसेसी) का चयन किया जाएगा। कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने का कार्य, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा तैयार किए गए साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा एवं इस प्रणाली में तीन आवेदकों का चयन (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) किया जाएगा ।
04. यदि प्रथम चयनित आवेदक द्वारा अपने चयन के तीन दिवस के भीतर उप-कंडिका (2) (ii) के अनुसार वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति के लिए जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के दूसरे क्रम पर आये आवेदक को प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकान के समूह का आबंटन किया जा सकता है ।
05. इसी प्रकार यदि दूसरे आवेदक के द्वारा भी अपने चयन के तीन दिवस के भीतर उप-कंडिका (2) (ii) के अनुसार वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति के लिए जमा नहीं किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है. तो चयन सूची के तीसरे क्रम पर आये आवेदक को प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् संबंधित देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकान के समूह का आबंटन किया जा सकता है अन्यथा स्थिति में समूह के पुर्णआबंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।
06. जिले में स्थित देशी/विदेशी मंदिरा दुकान/दुकानों के समूहों को आवेदन प्रणाली में आबंटन की कार्यवाही यदि किसी कारणवश नियत तिथि को पूरी नहीं होती है, तो आबंटन हेतु शेष रही दुकानों/समूहों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन की जा सकेगी, जिसके लिए कलेक्टर द्वारा संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जावेगा ।
07. वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के चयन की संपूर्ण कार्यवाही के लिए विडियोग्राफी करवाई जायेगी, तथा विडियोग्राफी में 4 सी.डी. तैयार करवाई जायेगी, जिसमें से एक सी.डी. जिला स्तर पर, एक सी.डी. राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र की जिला इकाई में सुरक्षित रखी जाकर, 2 सी.डी. मुख्यालय भेजने की व्यवस्था की जायेगी ।

**07. देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की लायसेंस फीस एवं वसूली:-**

- (7.1) चयनित आवेदक को माह अप्रैल 2015 की लायसेंस फीस अनुज्ञाप्ति जारी होने के पूर्व अर्थात् 27 मार्च 2015 तक जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त लायसेंस फीस की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में अथवा नगद जमा की जा सकती है। वर्ष 2015–16 के लिये देशी/विदेशी मदिरा दुकान /समूह के लिए निर्धारित लायसेंस फीस को 12 समान किश्तों में जमा कराने का प्रावधान रहेगा। 12 समान किश्तों में लायसेंस फीस विभाजित न होने पर, अविभाज्य राशि माह अप्रैल 2015 की लायसेंस फीस में जोड़ी जावेगी। सामान्य लायसेंस शर्त 2 (1) के अनुसार लायसेंस फीस की मासिक अंशिका माह के प्रथम कार्य दिवस को देय होकर जमा किया जाना अनिवार्य है। यह प्रावधान नियमों में वर्णित है, किन्तु लायसेंसी को 10 कार्य दिवस का ग्रेस पीरियड रहेगा।
- (7.2) देशी/विदेशी मदिरा समूह के अनुज्ञाप्तिधारी से लायसेंस फीस की वसूली को सुनिश्चित करने के लिये चयनित आवेदक को निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 वें भाग के बराबर धनराशि प्रतिभूति दिनांक **30 अप्रैल 2015** तक नगद अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रतिभूति की राशि संबंधित लायसेंसी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बकाया न रहने की दशा में **माह मार्च 2016** की देय मासिक अंशिका के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी।
- (7.3) अनुज्ञाप्तिधारी, मास के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों की मासिक अनुज्ञाप्ति फीस संबंधित माह के दसवें कार्य दिवस तक जिले के कोषालय /उपकोषालय में जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसा अनुज्ञाप्तिधारी, उनके विरुद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाहियों के साथ-साथ, वह बकाया अनुज्ञाप्ति फीस की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक (अर्थात् 1 प्रतिशत मासिक) की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

**08 प्रतिभूति धनराशि का समायोजन/वापसी :-**

राज्य शासन को देय लायसेंस फीस/ ड्यूटी/ शास्ति की राशि या अन्य देयों के निस्तारण हेतु आवश्यकता होने पर प्रतिभूति धनराशि समायोजन योग्य होगी। राज्य शासन के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् प्रतिभूति धनराशि वापस किए जाने योग्य रहेगी।

**09. देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह हेतु प्रतिभूति जमा :-**

वर्ष 2015–16 के लिये जिले में स्थित देशी /विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए प्रतिभूति धनराशि उस दुकान/समूह की दुकानों की वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वां भाग अर्थात् मदिरा दुकानों के समूह /दुकान की एक माह के लिए निर्धारित मदिरा के उठाव की मात्रा के समतुल्य देय ड्यूटी राशि होगी। चयनित आवेदक को उक्त 1/12 भाग की राशि उसके चयन होने के दो कार्य दिवस के भीतर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में अथवा नगद जमा करना अनिवार्य होगा, जो सम्बन्धित दुकान/समूह की किसी भी प्रकार की बकाया न होने की दशा में वापसी योग्य होगी।

**10. देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह हेतु माहवार न्यूनतम उठाव मात्रा का निर्धारण :-**

वर्ष 2015–16 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का माहवार न्यूनतम उठाव निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :—

क्रं.	माह का नाम	माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का प्रतिशत	
		देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा स्प्रिट	माल्ट मदिरा (बियर)
1.	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 15%
2.	मई	वार्षिक मात्रा का 10%	वार्षिक मात्रा का 15%
3.	जून	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 13%
4.	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
5.	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
6.	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
7.	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 6%
8.	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 5%
9.	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 5%
10.	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 6%
11.	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 9%
12.	मार्च	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 8%

दुर्ग जिले के देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं ड्यूटी राशि का माहवार विवरण परिशिष्ट 06 से 11 में संलग्न है।

12. देशी/विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरें :— वर्ष 2015–16 के लिये देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिये मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं—

क्रं.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1	2	3
1.	देशी मदिरा :— मसाला — 25 <sup>0</sup> UP प्लेन — 50 <sup>0</sup> UP रासी — 60 <sup>0</sup> UP	रूपये 90/- प्रति प्रुफलीटर
2	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :— विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2014–15 में विदेशी मदिरा की लैंडिंग प्राइज प्रति पेटी पर निम्नानुसार होगी :— 1. रूपये 700/- तक 2. रूपये 701/- से 1000/- तक 3. रूपये 1001/- से 1500/- तक 4. रूपये 1501/- से 2500/- तक 5. रूपये 2501/- से 4000/- तक 6. रूपये 4001/- और उससे अधिक	रूपये 100/- प्रति प्रुफ लीटर रूपये 115/- प्रति प्रुफ लीटर रूपये 130/- प्रति प्रुफ लीटर रूपये 160/- प्रति प्रुफ लीटर रूपये 190/- प्रति प्रुफ लीटर रूपये 220/- प्रति प्रुफ लीटर
3.	बीयर (माल्ट मदिरा)	रूपये 22/- प्रति बल्क लीटर
4.	(क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट) सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/ उनकी संस्थाओं/ कलबों के लिये (ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	रूपये 30/- प्रति प्रुफ लीटर रूपये 8/- प्रति बल्क लीटर

- (i) विदेशी मदिरा स्प्रिट के लिए माहवार निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा पर औसत ड्यूटी राशि की गणना रूपये 100/- प्रति प्रुफ लीटर के आधार पर किया गया है । औसत ड्यूटी राशि की गणना निम्नानुसार किया गया है :—

क्र.	रेंज का नाम	लैंडिंग प्राइज का स्लेब	ड्यूटी दर	मासिक प्रत्याभूत मात्रा में रेंज वाइस कुल प्रतिशत	ड्यूटी राशि
1	2	3	4	5	6
1	निम्न(चीप)	रूपये 700/- तक	100/-	59%	5900/-
2	मध्यम	रूपये 701/- से 1000/- तक	115/-	7%	805/-
3	उच्च	रूपये 1001/- से 1500/- तक	130/-	24%	3120/-
4	उच्चतर	रूपये 1501/- से 2500/- तक	160/-	8%	1280/-
5	उच्चतम	रूपये 2501/- से 4000/- तक	190/-	1.5%	285/-
6	प्रिमियम	रूपये 4001/- और उससे अधिक	220/-	0.5%	110/-
				100%	11500/-

टीप :— ड्यूटी स्लेब की गणना छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के लैंडिंग प्राइज पर किया जावेगा ।

- (ii) किसी भी लायसेंसी की मदिरा दुकान में यदि उच्च, उच्चतर अथवा उच्चतम रेंज की मदिरा की खपत निर्धारित मात्रा अनुसार न हो तो ऐसी स्थिति में उच्च, उच्चतर एवं उच्चतम रेंज की निर्धारित मात्रा अनुसार ड्यूटी राशि का चालान जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु उतनी ही मात्रा का निम्न अथवा मध्यम रेंज की विदेशी मदिरा स्प्रिट का क्य अनुज्ञितधारी द्वारा किया जा सकेगा ।
- (iii) अनुज्ञितधारी निम्न एवं मध्यम रेंज की निर्धारित स्लेबवार मात्रा के स्थान पर आवश्यकतानुसार क्रमशः उतनी ही मात्रा का उच्च, उच्चतर, अथवा उच्चतम रेंज की मदिरा की निर्धारित ड्यूटी राशि जमा कर मदिरा क्य कर सकेगा । इस प्रकार अनुज्ञितधारी द्वारा माह के लिए निर्धारित की गई संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान एवं निर्धारित की गई सम्पूर्ण ड्यूटी राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा । परन्तु किसी भी माह के लिए विदेशी मदिरा स्प्रिट की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से ड्यूटी राशि जमा करने से शेष रही मात्रा के लिए स्लेबार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार शास्ति के लिए अनुज्ञितधारी दायी होगा ।

**13. देशी मदिरा की तेजी :—** वर्ष 2014–15 के दौरान  $25^0$  यू.पी. की “मसाला” मदिरा  $50^0$  यू.पी. की “प्लेन” मदिरा व  $60^0$  यू.पी. का “रासी” मदिरा प्रदाय की जावेगी । वर्तमान वर्ष 2005–06 में मसाला के कैरेमल रंग, प्लेन के रंगहीन तथा रासी के हल्के पीले रंग की व्यवस्था प्रचलित है । वर्ष 2015–16 में वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी ।

**14. मादक द्रव्यों की नवीन दुकानें खोलना / बंद करना :—** वर्ष 2015–16 में दुर्ग जिले में न ही कोई नवीन दुकान खोली जा रही है और न ही बंद की जा रही है ।

**15. देशी मदिरा दुकानों की अवस्थिति :—**

- (1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत निर्मित सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम 1 (1) के अंतर्गत प्रावधानित आपत्तिजनक स्थानों पर कोई भी फुटकर मदिरा दुकान, जहां पर परिसर में मदिरा के उपभोग की अनुमति हो, स्थापित नहीं की जा सकती है ।
- (2) उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम 1 उप–नियम (1) के अंतर्गत आपत्तिजनक स्थल में स्थापित मदिरा दुकानों को सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक–5 के अनुसार एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में हस्तांतरण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर सक्षम है, अतः जिले की कोई मदिरा दुकान, जहां पर परिसर में मदिरा के उपभोग की अनुमति हो, यदि आपत्तिजनक स्थल पर है, तो नियमानुसार आपत्तिरहित स्थल पर दुकान स्थापित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जावेगी ।

**16. देशी मदिरा की उप—दुकान खोलने की सुविधा :—** राज्य शासन के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2013—14 के लिये देशी मदिरा की उपदुकान स्वीकृत नहीं की जाएगी।

**17. मद्यभाण्डागार खोलना/बंद करना :—** वर्ष 2015—16 में दुर्ग जिले में कोई भी नया भण्डारण भाण्डागार नहीं खोला जाएगा तथा दुर्ग में स्थित भण्डारण भाण्डागार, दुर्ग बंद किया जावेगा। दुर्ग जिले की देशी मदिरा दुकानों को प्रदाय भण्डारण भाण्डागार भिलाई से किया जावेगा।

**18. सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय का अनुपातः—**

(18.1) वर्ष 2015—16 के लिये देशी मदिरा की फुटकर दुकान /समूहों को भण्डारण भाण्डागार से सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय के लिये देशी मदिरा की कांच की बोतलों में प्रूफ लीटर में प्रदाय का अनुपात बोतल, अद्वा, पाव क्रमशः **08:22:70** रहेगा।

(18.2) वर्ष 2014—15 की भाँति आगामी वर्ष 2015—16 में फुटकर अनुज्ञप्तिधारक प्रति पेटी मदिरा की कीमत एवं प्रदाय दर का देशी मदिरा के प्रदाय संविदाकार को भुगतान कर संबंधित भण्डागार—भाण्डागार से देशी मदिरा का प्रदाय लेगा।

(18.3) वर्ष 2014—15 में देशी मदिरा की कॉच की बोतलों का विशिष्ट मानकीकरण किया गया है, जिसके तहत कॉच की बोतल को गोल आकार (Round Shape) में रखा गया है तथा प्रत्येक माप की बोतल में “छ.ग.आब.दे.म.” तथा बोतल माप जैसे—बोतल में 750 ml. अद्वी में 375 ml. एवं पाव में 180 ml. उत्कीर्ण (Embossed) किया गया है। यह प्रावधान आगामी वर्ष 2015—16 में यथावत रहेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015—16 में देशी मदिरा की शीशीयों में ढक्कन और होलोग्राम के ऊपर “Plastic transparent sealing cap” लगाये जाने का प्रावधान किया गया है।

**19. शुष्क दिवस :—**

(19.1) वर्ष 2014—15 की भाँति आगामी वर्ष 2015—16 के लिए प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ—साथ एफ.एल. 2,3,4,4—क, 6,7,8 एवं 10 को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों के अनुसार बंद रखा जावेगा :—

क्रं.	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
1	2	3
1.	26 जनवरी “गणतंत्र दिवस”	1 दिवस
2.	15 अगस्त “स्वतंत्रता दिवस”	1 दिवस
3.	2 अक्टूबर “गांधी जयंती”	1 दिवस
4.	30 जनवरी “महात्मा गांधी निर्वाण दिवस”	1 दिवस
5.	मोहर्रम	1 दिवस
6.	होली (जिस दिन रंग खेला जाय)	1 दिवस
7.	18 दिसम्बर “गुरुद्वासीदास जयंती”	1 दिवस

उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार है कि वे वर्ष के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में जिले / क्षेत्र की देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित हैं, के चुनाव/उप-चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंदिरा की दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी लोकहित में बंद करने के लिए सक्षम हैं।

अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी कियाकलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने का आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

**20. देशी मंदिरा के विनिर्माण के लिए आर.एस. एवं विदेशी मंदिरा के सीलबंद बोतलों में आयात पर आयात शुल्क का निर्धारण :-**

**(क) देशी मंदिरा के विनिर्माण के लिए आर.एस.:—**

वर्ष 2015–16 के लिए देशी मंदिरा की सीलबंद बोतलों पर अंतर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क रूपये 6/- प्रति प्रूफ लीटर निर्धारित है।

वर्ष 2015–16 में देशी मंदिरा की बॉटलिंग आसवनी परिसर स्थित देशी मंदिरा विनिर्माण भाण्डागार में की जाकर प्रदाय क्षेत्र के जिलों में स्थित भाण्डारण भाण्डागारों को सीलबंद बोतलों में देशी मंदिरा मास्टर कार्टून पैकिंग में प्रदाय करने की व्यवस्था रहेगी।

(ख) विदेशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में आयात शुल्क :—

वर्ष 2015–16 के लिए विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) के अन्तर्ज्ञीय आयात पर आयात शुल्क क्रमशः स्प्रिट के लिए 30/- प्रति प्रूफ लीटर एवं माल्ट के लिए 14/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है।

**21. विभिन्न प्रकार की अनुज्ञाप्तियों के लायसेंस फीस एवं शुल्क निर्धारण:—**

प्रदेश में प्रचलित विभिन्न प्रकार की अनुज्ञाप्तियों व अनुज्ञा पत्रों के लिए वर्ष 2014–15 में प्रचलित लायसेंस फीस एवं परिवहन फीस आदि राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2015–16 के लिए निम्नानुसार होगी :—

क्र.	अनुज्ञाप्ति/अनुज्ञा पत्र का नाम	वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लायसेंस फीस/परिवहन फीस	वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लायसेंस फीस/परिवहन फीस
1	डी-1 आसवनी अनुज्ञाप्ति	रुपये 10,00,000/-	रुपये 20,00,000/-
2	एफ.एल.9 बोतल भराई अनुज्ञाप्ति	रुपये 7,00,000/-	रुपये 10,00,000/-
3	एफ.एल.9क विशेष बोतल भराई अनुज्ञाप्ति	रुपये 2,00,000/- (Per Franchise)	रुपये 5,00,000/- (Per Franchise)
4	विदेशी मदिरा एफ.एल.10 अनुज्ञाप्ति	रुपये 2,00,00,000/-	रुपये 2,00,00,000/-
5	सी.एस. 1 सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय अनुज्ञाप्ति	रुपये 2,25,000/-	रुपये 2,25,000/-
6	सी.एस.1-ख देशी मदिरा विनिर्माण अनुज्ञाप्ति	रुपये 3,00,000/-	रुपये 3,00,000/-
7	रेक्टीफाइड स्प्रिट परिवहन फीस	रुपये 200/- प्रति परमिट	रुपये 200/- प्रति परमिट
8	विदेशी मदिरा परिवहन फीस	रुपये 200/- प्रति परमिट	रुपये 200/- प्रति परमिट
9	देय बोतल भराई फीस(बॉटलिंग फीस)एफ.एल.9	रुपये 2.00/- प्रति प्रूफ लीटर	रुपये 2.00/- प्रति प्रूफ लीटर
10	(क) छत्तीसगढ़ में विहित होने वाले प्रत्येक ब्राण्ड के लिए :—  देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस) एफ.एल.9क (ख) प्रदेश के बाहर निर्यात करने के लिए प्रत्येक ब्राण्ड के लिए :—  देय बोतल भराई फीस (बॉटलिंग फीस) एफ.एल.9क	(i) प्रति मेगनम (ii) प्रति क्वार्ट (iii) प्रति पिंट (iv) प्रति निप  रुपये 20.00/- प्रति प्रूफ लीटर  (i) प्रति मेगनम (ii) प्रति क्वार्ट (iii) प्रति पिंट (iv) प्रति निप  रुपये 2.00/- प्रति प्रूफ लीटर	रुपये 20.00/- प्रति प्रूफ लीटर  रुपये 2.00/- प्रति प्रूफ लीटर
11	देशी मदिरा सीलबंद बोतलों पर आयात शुल्क	रु. 6.00 प्रति प्रूफ लीटर	रु. 6.00 प्रति प्रूफ लीटर
12	विदेशी मदिरा (माल्ट) के लिए आयात फीस	रु.10.00/-प्रति बल्क लीटर	रु.14.00/-प्रति बल्क लीटर
13	लेबल रजिस्ट्रेशन	रुपये 1,00,000/-	रुपये 1,00,000/-
14	विदेशी मदिरा निर्यात फीस	रु. 2.00/- प्रति प्रूफ लीटर	रु. 2.00/- प्रति प्रूफ लीटर
15	आर.एस. निर्यात फीस	रु. 1.00/-प्रति बल्क लीटर	रु. 1.00/-प्रति बल्क लीटर
16	ई.एन.ए. आयात /निर्यात फीस	रु. 3.00/- प्रति बल्क लीटर	रु. 3.00/- प्रति बल्क लीटर
17	आर.एस. आयात फीस	रु. 1.25 प्रति बल्क लीटर	रु. 2.50 प्रति बल्क लीटर
18	विदेशी मदिरा आयात फीस	रु. 30.00 प्रति प्रूफ लीटर	रु. 30.00 प्रति प्रूफ लीटर
19	माल्ट की बोतल भराई फीस	रु. 10.00 प्रति बल्क लीटर	रु. 10.00 प्रति बल्क लीटर

**22. देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के संचालन की व्यवस्था :—** वर्ष 2015–16 के लिए किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों अथवा किसी समूह के लिए व्यवस्थापन नियम—2002 एवं उसके अधीन प्रचलित आवेदन प्रणाली के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं अथवा वर्तमान में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन संबंधी जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन पर, आबकारी आयुक्त उस दुकान/समूह की दुकानों के विभागीय संचालन अथवा पुनर्व्यवस्थापन की, जैसी भी उचित समझे, व्यवस्था कर सकेंगे।

**23. मद्य निषेध नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप मदिरा दुकान बंद करना :—** वित्तीय वर्ष 2015–16 में छत्तीसगढ़ राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप या अन्य कोई भी कारणों से यदि कोई दुकान/समूह की दुकानें बंद की जाती है, तो इसके कारण अनुज्ञाप्तिधारी को शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से राज्य की किसी दुकान/समूह की दुकानों के पुनर्आवंटन करने का निर्णय लिया जाता है तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा तथा उस पर किसी अनुज्ञाप्तिधारी की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी और न ही किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय होगी। यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के व्यवस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञाप्तिधारी को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो अनुज्ञाप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता शासन द्वारा नहीं होगी।

**24. लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान:—** वर्ष 2015–16 में दुर्ग जिले में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के लिये आवेदक का अनुज्ञाप्तिधारी के रूप में चयन होने पर वह अपने चयन की सूचना से तीन कार्य दिवस के भीतर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय डयूटी के  $1/12$  भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि तथा अप्रेल माह की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च 2015 तक अग्रिम रूप में जमा करेगा। यदि वह विहित कालावधि में प्रतिभूति धनराशि व अप्रेल माह की लायसेंस फीस जमा करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जाएगा और उक्त अनुज्ञाप्तिधारी को राज्य में कहीं भी कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से भविष्य में वर्जित कर दिया जायेगा।

## 25. देशी/विदेशी मंदिरा की प्रदाय व्यवस्था :-

- (25.1) व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम 14 के अधीन देशी मंदिरा का अनुज्ञाप्तिधारी देशी मंदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी राशि का चालान जमा कर भण्डारण भाण्डागार भिलाई से तथा विदेशी मंदिरा का अनुज्ञाप्तिधारी विदेशी मंदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी राशि का चालान जमा कर छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड मंदिर हसौद जिला – रायपुर से विदेशी मंदिरा की कीमत एवं टी. सी. एस. का भुगतान कर, अभिप्राप्त करेगा। परेषण प्राप्त करने उपरांत परेषण को गंतव्य स्थल/दुकान तक सीधे ले जाना होगा तथा परेषण को परिवहन के दौरान खोला नहीं जायेगा और न ही अन्य स्थल/स्थान पर परिवर्तित किया जायेगा। अनुज्ञाप्तिधारी देशी/विदेशी मंदिरा प्रदाय हेतु मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा।
- (25.2) प्रदायकर्ता/छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन जिसके पास मांगपत्र प्रस्तुत किया जावेगा। मांगपत्र प्राप्त करने की तारीख तथा समय अभिलिखित कर मांगी गई मंदिरा की मात्रा का यथासंभव शीघ्र प्रदाय सुनिश्चित करेगा।
- (25.3) वर्ष 2015–16 के लिये देशी/विदेशी मंदिरा के ड्यूटी दरें कंडिका क्रमांक–02 में दर्शित सारणी अनुसार होगी।

## **26. मास के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान और असफलता के परिणाम:-**

- (26.1) अनुज्ञाप्तिधारी, माह के दौरान देशी/विदेशी मंदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक जिले के कोषालय/उप कोषालय में जमा कर चालान की मूल प्रति सहायक आयुक्त आबकारी को प्रस्तुत करेगा, जिस पर प्रदाय माहान्त तक किया जा सकेगा। माह के अंतिम कार्य दिवस तक बिना उठायी गयी मंदिरा की मात्रा को समपूर्त कर लिया जायेगा।
- (26.2) यदि देशी/विदेशी मंदिरा की दुकान/समूह की दुकानों का अनुज्ञाप्ति-धारी खण्ड (38.1) के अनुसार मास के दौरान देशी/विदेशी मंदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक शासन कोष में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो सहायक आयुक्त आबकारी तत्काल मामले की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को

देगा, जो व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) के अनुरूप शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे। अधिरोपित – शास्ति के समतुल्य धनराशि व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की अवशेष राशि को अनुज्ञप्तिधारी की जमा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के भीतर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि, संबंधित दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां क्यों न निरस्त कर दी जाए? यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई अवधि के भीतर प्रतिभूति धनराशि की पूर्ति करने में असफल रहता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां निरस्तीकरण के दायित्वाधीन होगी। इसके उपरांत अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान/दुकानों के समूह की दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(26.3) अनुज्ञप्तिधारी, मास के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक जिले के कोषालय/उपकोषालय में जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, उनके विरुद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाहियों के साथ—साथ, वह न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की बकाया ड्यूटी की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक (अर्थात् 1 प्रतिशत मासिक) की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

(26.4) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अधिरोपित की गई शास्ति के समतुल्य धनराशि व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की अवशेष राशि को अनुज्ञप्तिधारी की जमा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित किया जावेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई अवधि के भीतर प्रतिभूति धनराशि की पूर्ति करने में असफल रहता है तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के समूह की दुकान/दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी तथा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम एवं उत्तरदायित्व पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित समूह की दुकान/दुकानों का पुनर्व्यवस्थापन किया जावेगा तथा इस पुनर्व्यवस्थापन में शासन को जो हानि होगी, उसकी वसूली संबंधित अनुज्ञप्तिधारी से भू—राजस्व की बकाया की भाँति की जावेगी।

**27. न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी/विदेशी मदिरा का उठान :-**

अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक का उठान निर्धारित ड्यूटी की दर पर ही कर सकता है ।

**28. न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्यः—** व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम 17 के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के लिये शासन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी, जिसमें 5% का अंतर रखा जावेगा । देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/ विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित किये गये न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा ।

**29. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टाक का व्ययन :-** राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2014–15 में अनुज्ञप्तिधारी, लायसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के अतिशेष स्टाक के व्ययन (Disposal) के फलस्वरूप, स्थानांतरित/हस्तांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा पर वर्ष 2014–15 के लिए देय ड्यूटी राशि के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर, धनराशि का भुगतान करेगा, जिसका समायोजन वित्तीय वर्ष 2015–16 की ड्यूटी राशि/लायसेंस फीस में नहीं किया जावेगा तथा स्थानांतरित/हस्तांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा का भी समायोजन आगामी वर्ष हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में नहीं किया जावेगा ।

**30. प्रतिभूति धनराशि का समायोजन/वापसी :-** राज्य शासन को देय लायसेंस फीस/ ड्यूटी/ शास्ति की राशि या अन्य देयों के निस्तारण हेतु आवश्यकता होने पर प्रतिभूति धनराशि समायोजन योग्य होगी । राज्य शासन के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् प्रतिभूति धनराशि वापस किए जाने योग्य रहेगी ।

**31. लायसेंस का अभ्यर्पण :-** अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 33 के उपबन्धों के अधीन अपने लायसेंस का अभ्यर्पण अनुज्ञापन प्राधिकारी को कम से कम एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है । ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार कार्यवाही करेगा । अनुज्ञापन प्राधिकारी आवकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा ।

## 32. लायसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण :—

- (32.1) अनुज्ञापन प्राधिकारी लायसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है—
- (क) यदि अनुज्ञाप्त परिसर में कोई ऐसी मदिरा बोतल पाई जाती है, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में प्रतिभूति होलोग्राम नहीं लगाया गया है।
- (ख) यदि अनुज्ञाप्त परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि (जिसके लिये लायसेंस मंजूर नहीं किया गया है) पाई जाती है।
- (ग) यदि अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा **नियम-8** के खण्ड(ग) के अंतर्गत प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया कथन असत्य पाया जाता है।
- (घ) यदि अनुज्ञाप्तिधारी, अधिनियम या किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध से या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध पाया जाता है।
- (ङ) यदि कोई मदिरा की बोतल छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 यथा संशोधित के नियम 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर अथवा अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है।
- (च)(1) यदि देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह का अनुज्ञाप्तिधारी किसी मास के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि, उस माह की 25 तारीख तक जिले के कोषालय /उपकोषालय में जमा कराकर चालान की मूल प्रति जिले के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध ऐसी कम पटाई गई राशि की न्यूनतम प्रत्याभूत की मात्रा पर देशी मदिरा के लिए रूपये 78/- प्रति प्रूफ लीटर, विदेशी मदिरा स्प्रिट के लिए स्लेबवार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार व माल्ट मदिरा के लिए रूपये 22/- प्रति बल्क लीटर की दर से शास्ति के लिए दायी होगा व अधिरोपित शास्ति नियत अवधि में जमा करने में विफल रहता है।
- (2) यदि अनुज्ञाप्तिधारी उक्त खण्ड (एक) के अनुसार अधिरोपित शास्ति के पश्चात् भी मासवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि जमा करने में असफल रहता है तथा विहित कालावधि के भीतर प्रतिभूति राशि में आयी कमी को पूरा करने में भी असफल रहता है।

(3) यदि अनुज्ञाप्तिधारी किसी मास के लिए निर्धारित मासिक लायसेंस फीस की संपूर्ण राशि उस माह की 10वें कार्य दिवस तक जिले के कोषालय/उप-कोषालय में जमा कराकर चालान की मूल प्रति कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला दुर्ग में प्रस्तुत करने में विफल रहता है ।

(32.2) अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऊपर उल्लिखित आधार पर अनुज्ञाप्ति को तत्काल निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्यवाही, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत करेगा, जिसमें अनुज्ञाप्तिधारी को उसकी अनुज्ञाप्ति को निलंबित या निरस्त करने तथा उसकी जमा प्रतिभूति धनराशि को राजसात करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जायेगा और अनुज्ञाप्तिधारी से अपेक्षा की जाएगी कि, वह अपना स्पष्टीकरण कारण बताओ सूचना—पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे, तत्पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञाप्तिधारी को सुनवाई का सम्यक् अवसर देने के पश्चात् विधिवत् आदेश पारित करेगा ।

(32.3) अनुज्ञाप्तिधारी, इस नियम के अधीन लायसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(32.4) ऊपर लिखित आधार पर लायसेंस निरस्त किए जाने के मामले में अनुज्ञाप्तिधारी को काली सूची में भी डाला जायेगा तथा भविष्य में कोई भी आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित किया जाएगा ।

### **33. आबकारी राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से होलोग्राफिक स्टीकर का उपयोग:-**

ड्यूटी की चोरी तथा मदिरा की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से देशी व विदेशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी का नम्बरयुक्त होलोग्राफिक स्टीकर लगाया जायेगा । निगम के परिसर से विदेशी मदिरा की निकासी देय ड्यूटी के भुगतान के उपरांत ही बोतलों में होलोग्राफिक स्टीकर लगाकर ही की जायेगी । इसी भांति देशी मदिरा की बोतलों में आसवनी परिसर से होलोग्राफिक स्टीकर लगाने के बाद ही जिले में स्थित मद्य भण्डारण भाण्डागार (वेयर हाउस) के माध्यम से प्रदाय की जायेगी ।

### **34. एफ.एल.-2 रेस्टारेंट बार एवं एफ.एल.-3 होटल बार अनुज्ञाप्ति फीस:-**

विदेशी मदिरा एफ.एल.2 रेस्टारेंट बार अनुज्ञाप्ति एवं एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञाप्ति हेतु आगामी वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लायसेंस फीस निम्नानुसार रहेगी :—

क्र.	मापदण्ड	2014–15 के लिये निर्धारित लायसेंस फीस (रुपये में)				2015–16 के लिये निर्धारित लायसेंस फीस (रुपये में)				
		एफ.एल.2	एफ.एल.3	एफ.एल.4	एफ.एल. 4(क)	एफ.एल.2	एफ.एल.3	एफ.एल.4	एफ.एल. 4(क)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	
1	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो :-		3,00,000	9,00,000		4,50,000	4,50,000	10,50,000		5,40,000
2	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो :-		4,00,000	12,00,000	1,00,000	6,00,000	6,40,000	15,00,000	1,00,000	7,50,000
3	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो :-		5,00,000	15,00,000		7,50,000	8,50,000	20,00,000		10,00,000

टीप :- नगर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में स्थित एफ.एल.2/3 लायसेंस फीस वही होगी, जो उस नगर के लिए लागू हो एवं एफ.एल.-4(क) की लायसेंस फीस की गणना निकटस्थ एफ.एल.3 की लायसेंस फीस अनुसार की जावेगी ।

(2) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (3) के अंतर्गत एफ.एल. 2/3 के लायसेंस की स्वीकृति देने के लिए कलेक्टर सक्षम है। राज्य शासन द्वारा दिनांक 09.12.2002 को जारी किए गए निर्देश के अनुसार एफ.एल.-2 तथा एफ.एल.-3 लायसेंस दिये जाने के लिए जनसंख्या संबंधी मापदण्ड के अंतर्गत 25 हजार की जनसंख्या में एक-एक लायसेंस दिये जाने की सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी प्रकरण में जनसंख्या हेतु निर्धारित सीमा को और शिथिल करने की आवश्यकता होती है, तो इस संबंध में आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ के माध्यम से राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे लायसेंस जारी किए जा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा दिनांक 09.8.2002 को जारी निर्देश के अनुसार एफ.एल.-3 होटल बार अनुज्ञाप्ति के लिए होटल में न्यूनतम कमरों की संख्या 5 निर्धारित की गई है। उक्त प्रावधान आगामी वर्ष 2015–16 के लिए यथावत रहेंगे। साथ ही उक्त नियमों के नियम-8 के उप-नियम (6) के अनुसार एफ.एल.-2, एफ.एल.-3, एफ.एल.-4, एफ.एल.-4'क' एवं एफ.एल.-5 अनुज्ञाप्ति-धारियों को निकटस्थ स्थित किसी-भी 3 एफ.एल.-1'घ' विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से सम्बद्ध किए जाने के प्रावधान वर्तमान वर्ष की भाँति आगामी वर्ष 2015–16 में यथावत प्रचलित रहेंगे।

**35. बैंक ड्राफ्ट कैश आर्डर या बैंकर्स चेक के संबंध में :-** बैंक ड्राफ्ट कैश आर्डर या बैंकर्स चेक के संबंध में यदि किसी बैंक को कमीशन देने का प्रश्न उपस्थित होता है तो ऐसे कमीशन की राशि का भुगतान अनुज्ञापी द्वारा ही किया जावेगा ।

**36. दुकान की स्थिति एवं स्थान :-**

(36.1) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा दुकानें सामान्य प्रयुक्ति के नियम 1 में दिये प्रतिबंधों के अंतर्गत आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित करने की जिम्मेदारी अनुज्ञाप्तिधारी की रहेगी। दुकान स्थापना के क्षेत्र का विवरण कंडिका कमांक (4.4) में अंकित है।

(36.2) कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि अनुज्ञापन अवधि में दुकान के स्थान परिवर्तन की आज्ञा बिना कोई कारण बताये दे सकते हैं। अनुज्ञापी को यदि इस कारण कोई हानि हो तो वह मुआवजे का हकदार नहीं होगा। ऐसी आज्ञा का समयावधि में पालन न करने पर दुकान का पुनर्व्यवस्थापन किया जा सकेगा तथा इस कारण हुई क्षतिपूर्ति संबंधित अनुज्ञापी को वहन करनी होगी।

(36.3) अनुज्ञापी द्वारा शराब की दुकानें बस्ती में आपत्तिजनक स्थान पर नहीं रखी जावेगी। यदि वर्तमान में जिस स्थान पर शराब की दुकानें हैं एवं उसी स्थान पर उसे रखने में कोई आपत्ति नियमों के अंतर्गत अथवा कलेक्टर द्वारा हो तो अनुज्ञापी को दूसरी जगह पर कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से दुकान कायम करनी होगी। अनुज्ञापी को जगह न मिलने के कारण या अन्य स्थान पर दुकान बदलने से यदि कोई हानि हो तो वह शासन से किसी प्रकार का मुआवजा पाने का हकदार न होगा। अनुज्ञापी दुकान का स्थान परिवर्तन करेगा तो कलेक्टर से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(36.4) सहायक जिला आबकारी अधिकारी या वृत्त उपनिरीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा एक बार लायसेंस पर दुकान की चतुर्सीमा अंकित कर देने के बाद बिना कलेक्टर की अनुमति के अनुज्ञापी अपनी दुकान की उस सीमा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

**37. दुकान पर साईन बोर्ड प्रदर्शित करना :-**

(37.1) व्यवस्थापन नियम, 2002 के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान हेतु सी.एस.2-घ लायसेंस शर्त 13 एवं विदेशी मदिरा दुकान हेतु एफ.एल.1घ लायसेंस शर्त 9 में साईनबोर्ड लगाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार अनुज्ञाप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड लगायेगा, जिस पर अनुज्ञाप्तिधारी का नाम, देशी अथवा

विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारी फुटकर विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंस प्राधिकारी द्वारा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेगी।

- (37.2) किसी भी स्थिति में मदिरा दुकान पर ग्लोसाईन बोर्ड प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे।
- (37.3) सी.एस.2-घ अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 13 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड, जिसका आकार 3 फुट X 2 फुट का होगा, प्रदर्शित करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम दुकान का प्रकार एवं नाम, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, दुकान की अवस्थिति तथा लायसेंस की अवधि एवं वर्तमान में निर्धारित मदिरा विक्रय दर अंकित होगी। साईनबोर्ड में लिखावट के लिये साईनबोर्ड की शीट लाल रंग एवं अक्षर सफेद रंग से अंकित किए जावेंगे। इसी प्रकार एफ.एल.1-घ अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 9 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड, जिसका आकार 3 फुट X 2 फुट का होगा, प्रदर्शित करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, दुकान का प्रकार एवं नाम दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, दुकान की अवस्थिति तथा लायसेंस की अवधि अंकित होगी। साईनबोर्ड में लिखावट के लिये साईनबोर्ड की शीट लाल रंग एवं अक्षर सफेद रंग से अंकित किए जावेंगे तथा अनुज्ञप्तिधारी दुकान के विक्रय काउंटर पर विदेशी मदिरा की वर्तमान सीलबंद बोतल, अद्वी. पाव की पृथक—पृथक निर्धारित न्यूनतम फुटकर विक्रय दरें एवं अधिकतम फुटकर विक्रय दरें प्रदर्शित करते हुये एक सहज दृश्य मूल्य तालिका प्रदर्शित करेगा।

### **38. मादक पदार्थों की आमद एवं बिकी का हिसाब :-**

विदेशी मदिरा की प्रतिदिन की आमद बिकी बचत का नियमानुसार ब्राण्ड, लेबिल और बैच नंबर के अनुसार सही—सही हिसाब रखना होगा। प्रत्येक परमिट के अंतर्गत क्रय की गई मदिरा की खरीदी के इनवाईस दुकान पर रखना अनिवार्य होगा तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रतिमाह की पांच तारीख तक सहायक आयुक्त आबकारी दुर्ग को विदेशी मदिरा की आमद बिकी एवं अवशेष स्टाक की मासिक जानकारी का पत्रक देना अनिवार्य होगा।

### **39. वेयर हाउस का प्रबंध :-**

- (39.1) जिले की सभी देशी मदिरा दुकानों को भंडारण भाण्डागार भिलाई से देशी मदिरा प्रदाय की जावेगी।

(39.2) सहायक आयुक्त आबकारी को अनुज्ञाप्ति की अवधि में वेयर हाउस के निर्गम दिवसों में परिवर्तन करने का अधिकार है, तदनुसार अनुज्ञाप्तिधारी को प्रदाय लेने की व्यवस्था करनी होगी। इस परिवर्तन से अनुज्ञाप्तिधारी क्षतिपूर्ति प्राप्ति के हकदार नहीं होंगे।

(39.3) भण्डारण भाण्डागार प्रत्येक रविवार, छुटियों के दिन जो निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत घोषित की गई है, बंद रहेंगे यदि पूर्व घोषित छुटियों के अतिरिक्त बीच में अन्य कोई छुट्टी घोषित हो एवं उस दिन निर्गम दिवस हो तो मद्य भण्डागार अधिकारी ऐसी छुटियों के एक दिन पूर्व या दूसरे दिन प्रदाय दे सकते हैं, किंतु इसकी सूचना उन्हें नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी।

**40. मादक पदार्थों के निर्गम हेतु पास बुक :—** अनुज्ञापी या उनका स्वीकृत एजेंट ही मादक पदार्थ का प्रदाय लेने हेतु पास बुक, प्रदाय का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए वेयर हाउस आफीसर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि पास बुक गुम हो जावे, जल जावे या प्रस्तुत न की जावे तो नई पासबुक रखना होगा तथा इसकी सूचना मद्यभंडारण भाण्डागार अधिकारी के माध्यम से सहायक आयुक्त आबकारी को देनी होगी एवं सक्षम अधिकारी के आदेश पर ही नवीन पासबुक का प्रदाय किया जावेगा। चिट्ठी या पर्ची के आधार पर मादक पदार्थों का परिवहन नहीं किया जावेगा।

**41. अनुज्ञाप्ति अवधि में मादक पदार्थों के कर तथा व्यवस्था में परिवर्तन :—**

- (1) अनुज्ञाप्ति की अवधि में किसी भी मादक पदार्थों की ड्यूटी घटाने या बढ़ाने का अधिकार शासन को है।
- (2) शासन यदि चाहे तो अनुज्ञाप्ति की अवधि में मादक पदार्थों की व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। इसके फलस्वरूप यदि हानि हुई तो अनुज्ञाप्तिधारी को क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा।
- (3) राज्य सरकार लायसेंस के चालू रहने के दौरान लायसेंस की किसी भी शर्त को संशोधित करने के लिए सक्षम है और जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न कर दिया जावे ऐसा संशोधन लायसेंस के प्रारंभ से ही प्रभावशील रहेगा तथा लायसेंसी इसके द्वारा आबद्ध रहेगा और वह किसी ऐसे संशोधन के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

#### **42. अन्य कर :—**

अनुज्ञाप्ति अवधि में किसी विधान, नियम अथवा अधिनियम द्वारा मादक पदार्थों पर कोई अन्य कर लगाया जावेगा तो अनुज्ञाप्तिधारी को ही इस कर का भुगतान करना होगा। और वे इस बाबत् शासन से कोई छूट या क्षतिपूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे और इस संबंध में उनकी कोई आपत्ति ग्राह्य योग्य नहीं होगी।

**43. दुकानों की किताब :—** अनुज्ञाप्तिधारी को निर्धारित हिसाब पंजी, निरीक्षण पुस्तिका, पासबुक, नौकरनामा, परमिट एवं विदेशी मंदिरा की ब्राण्डवाईज पंजी, लायसेंस एवं लायसेंस फीस अदायगी के चालान दुकान पर रखने होंगे, एवं उन्हें निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

**44. बिक्री की प्रतिद्वन्द्विता :—** समीपवर्ती अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा बिक्री में की गई प्रतिद्वन्द्विता की शिकायत तथा उसके फलस्वरूप होने वाली हानि के लिए शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।

#### **45. मादक पदार्थों के विक्रय विज्ञापन का निषेध :—**

- (क) कोई भी अनुज्ञाप्तिधारी मादक पदार्थों के विक्रय का विज्ञापन ढिलोरा पिटवाकर या अन्य किसी भी प्रकार से नहीं कर सकेंगे और न ही ग्राहकों को मोटर गाड़ी या अन्य वाहनों का उपयोग कर विक्रय में वृद्धि ला सकेंगे।
- (ख) मंदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिबंध रहेगा जैसा कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 23 'ए' में उपबंधित किया गया है।

#### **46. मादक द्रव्यों का विक्रय व्यवहार :—**

- (क) देशी—विदेशी मंदिरा जो बेची जावेगी या दुकान पर बिक्री हेतु रखी जायेगी उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट, तेजी बढ़ाने या घटाने या अन्य किसी उद्देश्य से नहीं की जावेगी।
- (ख) विदेशी मंदिरा/देशी मंदिरा को किसी अन्य नाम से नहीं बेचा जाएगा भिन्न-भिन्न प्रकार की शराब मिलाना, मिलाकर रखना या बेचना मना है।
- (ग) मंदिरा का विक्रय केवल नगदी में किया जावेगा।
- (घ) मंदिरा केवल सीलबन्द बोतलों में ही बेची जावेगी। खुली मंदिरा का विक्रय करना अथवा संग्रह में रखना गंभीर अपराध माना जावेगा।

**47. स्त्रोत पर आयकर की कटौती** :— प्रत्येक फुटकर अनुज्ञापी को मद्य भण्डागार से देशी मंदिरा का प्रदाय लेने पर नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त राशि एक्साइस वेयर हाउस भिलाई, जिला-दुर्ग को आबंटित टेन नंबर **JBPCO-0530-F** शीर्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन से विदेशी मंदिरा प्रदाय लेने पर नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। जिसमें ड्यूटी की राशि पर सहायक आयुक्त आबकारी दुर्ग को आबंटित टेन नंबर **JBPCO-0530-F** पर एवं विदेशी मंदिरा की कीमत के स्त्रोत पर आयकर छत्तीसगढ़ ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन को आबंटित टेन नंबर पर जमा करना अनिवार्य होगा। स्त्रोत पर आयकर जमा करने के पश्चात ही देशी मंदिरा / विदेशी मंदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी। स्त्रोत पर आयकर की गणना मंदिरा के प्रति पेटी कीमत एवं ड्यूटी पर की जावेगी। इसी प्रकार फुटकर दुकान/समूह के अनुज्ञप्तिधारियों को देशी मंदिरा प्रदाय के समय देशी मंदिरा प्रदाय संविदाकार को भुगतान की जाने वाली देशी मंदिरा भरी बोतलों की प्रति पेटी कीमत पर प्रदायकर्ता आसवक के नाम से जारी टेन नंबर में नियमानुसार स्रोत पर आयकर जमा करना अनिवार्य होगा।

**48. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर लायसेंस, नौकरनामा, निरीक्षण पुस्तिका, हिसाब पंजी आदि समस्त अभिलेख वापिस करना** :— अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होते ही प्रत्येक अनुज्ञापी को अपनी दुकान/दुकानों के समूह संबंधी दिये गये लायसेंस, नौकरनामा, हिसाब पंजी, परमिट पंजी, निरीक्षण पुस्तिका आदि उन व्यक्तियों को सुपुर्द कर देना होगा जिन्हें कलेक्टर अथवा सहायक आयुक्त आबकारी इस कार्य के लिये अधिकृत करेंगे अथवा अपने वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षक को वापिस लौटाकर रसीद प्राप्त करेंगे।

**49. मुख्तियारनामा/नौकरनामा की स्वीकृति** :— देशी/विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों के संचालन के लिए लायसेंसियों द्वारा अभिकर्ताओं /नौकरों को रखा जाता है। अनुज्ञापी को दुकान आबंटन के पश्चात् दुकान संचालन के लिये मुख्तियारनामा एवं नौकरनामा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा जिसके लिए उसे इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वह अपने नौकरों द्वारा किये गये समस्त कृत्यों के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये जिस व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाए उसके संबंध में पासपोर्ट साईज फोटो तथा उसका स्थाई पता एवं नमूना हस्ताक्षर मय शपथ पत्र के प्रस्तुत करना होगा।

राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2015–16 में मंदिरा दुकानों के प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित चयनित आवेदक द्वारा अपनी देशी अथवा विदेशी मंदिरा दुकान के लिए अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु देशी मंदिरा दुकान एवं विदेशी मंदिरा दुकान हेतु पृथक—पृथक आवेदन पत्र सहायक आयुक्त आबकारी दुर्ग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा जिले में विधिवत् कार्यवाही एवं आवश्यक जॉचोपरान्त फोटोयुक्त नौकरनामा 15 अप्रैल तक मंजूर किये जावेंगे।

### **50. मादक पदार्थों के बिकी की मात्रा :-**

(1) देशी मंदिरा, विदेशी मंदिरा, भांग बिकी की वही मात्रा रहेगी जो कि एक व्यक्ति के लिए आधिपत्य की सीमा है। निर्धारित मात्रा से अधिक विक्रय हेतु नियमानुसार स्पेशल पास आवश्यक होंगे।

(2) एक व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थों के आधिपत्य की सीमा निम्नानुसार है :—

(अ)	देशी मंदिरा	1500 मि.ली.
(ब)	विदेशी मंदिरा	
(क)	स्प्रिट	04 क्वार्ट बोतल
(ख)	वाइन	06 क्वार्ट बोतल
(ग)	बीयर	06 क्वार्ट बोतल

(3) जब किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप एफ.एल.-1 घ से किसी अनुज्ञप्तिधारी को प्ररूप एफ.एल.-3 में विक्रय की गई हो —

स्प्रिट	420 क्वार्ट बोतल
शराब वाइन	360 क्वार्ट बोतल
बीयर या साईडर	660 बोतल

परन्तु एफ.एल. 3 अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय उपरोक्त मात्रा से अधिक स्टाक नहीं रखेगा।

(4) जब किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप एफ.एल.-1 घ से किसी अनुज्ञप्तिधारी को प्ररूप एफ.एल.-2 में विक्रय की गई हो

बीयर या साईडर	780 बोतल
---------------	----------

परन्तु एफ.एल.2 अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय उपरोक्त मात्रा से अधिक स्टाक नहीं रखेगा।

- (5) जब किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप एफ.एल.-1 घ से किसी अनुज्ञप्तिधारी को प्ररूप एफ.एल.-4 में विक्य की गई हो

स्प्रिट	48 क्वार्ट बोतल
शराब वाइन	72 क्वार्ट बोतल
बीयर या साईडर	144 क्वार्ट बोतल

परन्तु एफ.एल. 4 अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय उपरोक्त मात्रा से अधिक स्टाक नहीं रखेगा।

**टीप :-** एफ.एल.1 घ से एफ.एल.2, एफ.एल.3 व एफ.एल.4 को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3, 4 एवं 5 अनुसार विदेशी मदिरा की विक्य मात्रा वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 के लिए है, जो वर्ष 2015–16 हेतु जारी निर्देश/आदेश के अध्यधीन रहेंगे।

## 51. अनुज्ञापनों का व्यक्तिगत स्वरूप :—

- (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति पत्र जिस व्यक्ति (आवेदक/फर्म/एच.यू.एफ./कंपनी) के नाम से स्वीकृत हुआ है, वह उसका (आवेदक/फर्म/कंपनी) व्यक्तिगत होगा एवं अनुज्ञप्ति समाप्ति पर वृत्त उप निरीक्षक/सहायक जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को वापस सौंपा जावेगा।
- (2) यदि अनुज्ञापन अवधि में या पूर्व में अनुज्ञापी की मृत्यु हो जावे तो ऐसा अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जावेगा। किन्तु कलेक्टर अपने विवेकानुसार चाहें तो ऐसी अनुज्ञप्ति मृत अनुज्ञापी के वारिसों के नाम पर चालू रखने की स्वीकृति दे सकते हैं।

**52. वर्ष के प्रारंभ में मदिरा का प्रदाय :—** वर्ष 2015–16 के अनुज्ञापी अपनी मदिरा दुकान से मदिरा विक्य दिनांक 01.04.2015 से 10:30 बजे दिन से प्रारंभ कर सकें, इस हेतु मध्य भंडारण भाण्डागार से निर्गम देने की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :—

- (1) मदिरा का प्रदाय यदि 01.04.2015 के पूर्व दिया गया, तो ड्यूटी की राशि कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी दुर्ग में नगद जमा की जावेगी।

- (2) मद्य भाण्डागार से 8 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित दुकानें दिनांक 31.03.2015 को प्रदाय ले सकेंगे ।
- (3) मद्य भाण्डागार के मुख्यालय तथा मुख्यालय से 8 कि.मी. की दूरी तक स्थित मदिरा दुकान दिनांक 01.04.2015 को दिन के 10:30 बजे के पूर्व प्रदाय ले सकेंगे ।
- (4) वर्ष 2015–16 के अनुज्ञापियों को दिनांक 27.03.2016 के पश्चात् किसी भी प्रकार की मदिरा का प्रदाय सहायक आयुक्त आबकारी जिला – दुर्ग की अनुमति के बिना नहीं दिया जावेगा ।

**53. उपबन्धों की व्याख्या** :— इस घोष विक्रय ज्ञापन में प्रावधानित शर्तों के संबंध में यदि कोई संशय की स्थिति निर्मित हो तो उसकी व्याख्या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, उसके अधीन बनाये गये नियम, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम-2002 यथा संशोधित की शर्तों एवं निर्बन्धनों के संदर्भ में की जावेगी ।

**54. छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 में संशोधन** :— आगामी वर्ष 2015–16 के लिये प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन “छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम-2002” जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 15 मार्च 2002 हुआ है तथा इन नियमों में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधन के अंतर्गत जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को आवेदन प्रणाली में उक्त नियमों/निर्देशों के तहत आबंटित किया जायेगा ।

-----000-----

(पी.एल.साहू)  
सहायक आयुक्त आबकारी  
जिला-दुर्ग (छ.ग.)